खण्ड-208, अंक-9
बुधवार, 21 माघ, शक संवत् 1881
(10 फरवरी, 1960 ई0)

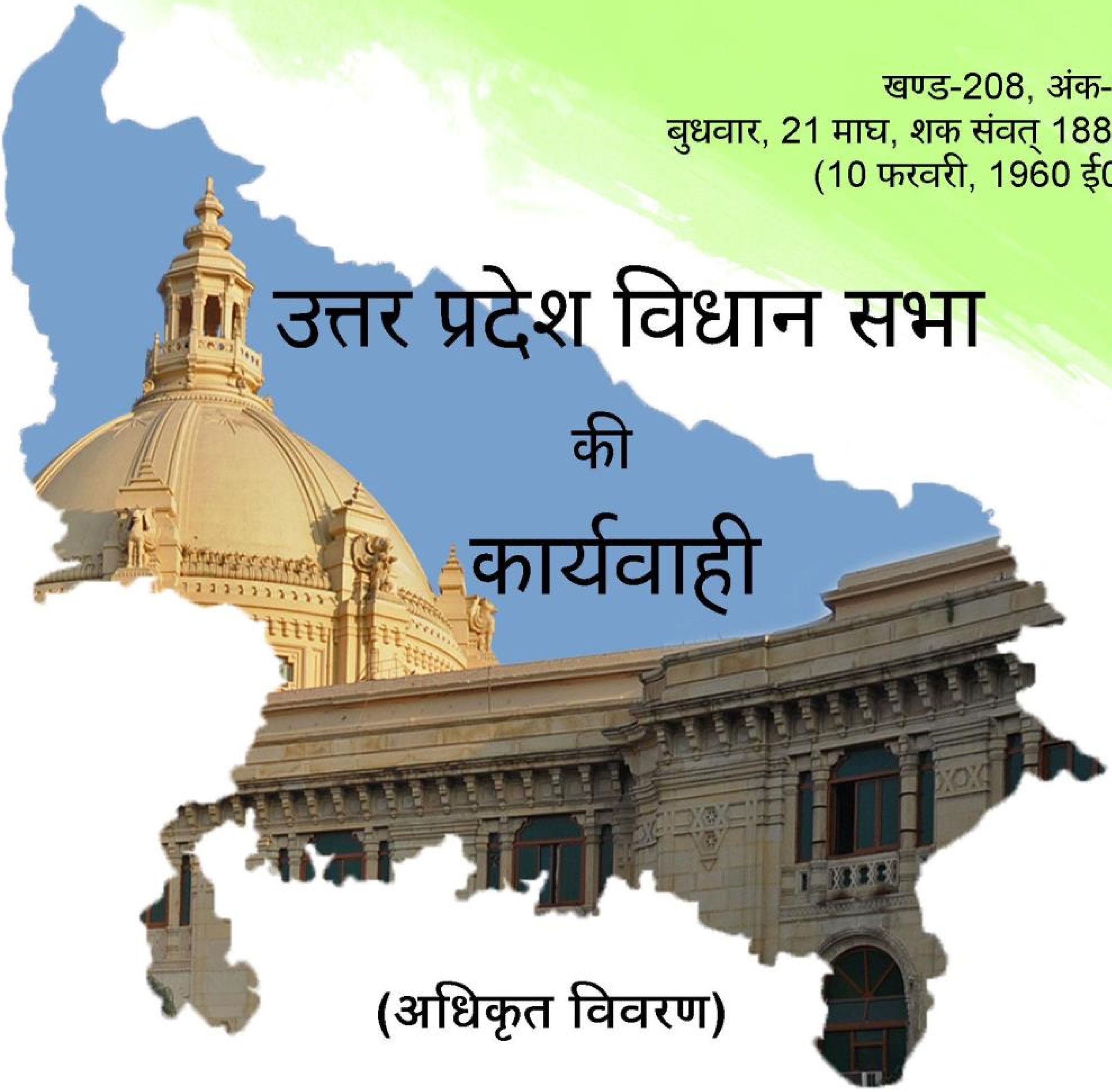

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 208 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १० फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्भूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री

प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजू लनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री

रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती

उत्तर प्रदेश सभा

सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महाबीर सिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १० फरवरी, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विश्वविद्यालयों से संबंधित हाई पावर कमीशन नियुक्त करने का विचार

**१---श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि उसने हाल में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में कोई जांच कमीशन बिठाने की योजना बनाई है ? अगर हां, तो उसके Terms of Reference क्या हैं और उसके संगठन करने का आधार क्या है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---यह सही है कि सरकार विश्वविद्यालयों की जांच करने के लिये और विश्वविद्यालायों से सम्बन्धित और विषयों पर विचार करने के लिये एक कमेटी बैठाने जा रही है । किंतु ऐसी कमेटी को बैठाने में पहले उन लोगों की स्वीकृति लेनी पड़ेगी जिन्हें सरकार कमेटी का सदस्य बनाना चाहती है । कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेन्स अभी विचाराधीन हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कोई आधार बनाया है इसके लिये कि किस आधार पर यह सदस्य छांटे जायेंगे और क्या क्या टर्म्स आफ रेफरेन्स होंगे ? इसकी कोई मोटी रूप रेखा बनायी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---टर्म्स आफ रेफरेन्स तो अभी विचाराधीन हैं । कमेटी के सदस्यों के नामों पर अभी विचार हो रहा है और शीघ्र ही इस पर हम विचार करेंगे । अब आधार क्या होगा ? आधार तो यही होगा कि उसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जो शिक्षा से सम्बन्ध रखते होंगे और हर तरह से मान्य होंगे ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कमीशन की टर्म्स आफ रेफरेन्स तय करते समय उन विचारों को भी ध्यान में

रखा जायगा जो कि पिछले अधिवेशन में प्रकट किये गये थे कि विश्वविद्यालय सीनेट और कोर्ट में जो पार्टी बाजी है और अध्यापकों में जो पार्टी बाजी है वह बहुत कुछ स्टूडेन्ट इन्डिसिप्लिन के लिये जिम्मेदार हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित प्रायः सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिये यह बैठेगा ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने जो इस बात की प्रार्थना की थी कि उनके मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिये, तो क्या वह न्यायिक जांच की बात भी हाई पावर कमीशन में शामिल रहेगी या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सरकार से तो किसी ने किसी प्रकार की प्रार्थना की नहीं थी कि न्यायिक कमीशन बैठे। उसकी जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित जितने भी मामले हैं और हो सकते हैं शिक्षा सम्बन्धी, उनके विकास सम्बन्धी, उनकी आर्थिक स्थिति सम्बन्धी, भविष्य में उनका कितना और कैसे विस्तार हो सकता है, इन सभी प्रश्नों पर विचार होगा और यह प्रश्न उसके सामने रहेंगे ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को यह बात स्मरण है कि जब पिछली बार विधान सभा में यूनीवर्सिटीज से सम्बन्धित विचार हो रहा था तो मंत्री जी ने बयान दिया था और कहा था कि वे हाई पावर कमीशन बैठाने के संबंध में विचार कर रहे हैं और यह सब बातें उसके कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यूनीवर्सिटीज से सम्बन्धित विवाद के ही समय नहीं, गत वर्ष बजट के समय भी इस बात की मांग हुई थी कि एक कमीशन बैठाया जाय। जब गत वर्ष बजट इस सदन में पेश हुआ था तभी इस सदन में इस तरह की मांग हुई थी और जब विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में ऐक्ट पास हो रहा था तब भी इस हाउस में यह मांग की गयी थी। तो मामला तो साल भर से चल रहा है और उसी समय गवर्नमेन्ट की ओर से यह कहा गया था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इसके लिये एक कमेटी बिठा दी जाय ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राधाकृष्णनन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके अलावा कोई विषय, वर्तमान अनुशासन सम्बन्धी या आर्थिक समस्याओं सम्बन्धी हैं, जिनके लिये यह कमेटी बिठाई जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---राधाकृष्णनन कमीशन से इसका कोई विरोध तो है नहीं, उन्होंने भी बहुत-सी सिफारिशें की हैं जिनमें बहुतों को माना गया है। लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट काफी समय की हो चुकी है और इस बीच में विश्वविद्यालयों की बहुत सी आवश्यकतायें बढ़ी हैं, कुछ परिवर्तन भी हुये हैं, तो इन सारी चीजों की जांच की जायगी ।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह कमीशन कब से अपना कार्य आरम्भ कर देगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि अभी तो सरकार ने यह निश्चय किया है कि एक कमेटी की स्थापना करें लेकिन तफसील की बातें जब निश्चित हो जायेंगी तब उनकी घोषणा होगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कमीशन जिन बातों पर विचार करेगा उनमें, अध्यापकों में भ्रष्टाचार और विद्यार्थियों में जो अनुशासनहीनता के आरोप हैं, इनपर भी विचार किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित जितने प्रश्न हैं, उन पर विचार किया जायगा। टर्म्स आफ रेफ्रेन्स अभी विचाराधीन हैं और उसका निश्चय हो जाने के बाद सदन को जानकारी हो जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टर्म्स आफ रेफ्रेन्स बनाते समय, वर्तमान विश्वविद्यालयों की प्रणाली और भविष्य में खोले जाने वाले विश्वविद्यालय यूनिटरी, एफीलिएटरी या फेडरेटिव हों, इस सम्बन्ध में भी विचार किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह भी विचार है।

श्री राजनारायण---क्या माननीय शिक्षा मंत्री स्पष्ट करेंगे कि २३ जनवरी को लखनऊ में जो गार्जियन कमेटी बनी है उसने लखनऊ में शिक्षा मंत्री जी से बात चीत की थी ? लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापकों पर विद्यार्थियों ने जो आरोप लगाये हैं उन बातों को लेकर गार्जियन कमेटी ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात चीत की थी और समाचार-पत्रों में मंत्री जी का बयान आया है कि बहुत जल्दी वह एक हाई पावर कमीशन बैठाने की बात सोच रहे हैं, क्या वह बात सही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, मुझसे किसी कमेटी ने कोई बात नहीं की थी।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने जो चार्टर आफ डिमान्ड सरकार के सामने दी है उनमें जिन प्रार्थनाओं को सरकार उचित समझती है उनको भी टर्म्स आफ रेफ्रेन्स में देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो कई दफा कहा कि अभी टर्म्स आफ रेफ्रेन्स के बारे में विचार हो रहा है।

श्री मोती लाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी यह बताने के की कृपा करेंगे कि उस कमेटी को विचार करने में कितना समय लगेगा ? क्या इसी अधिवेशन के दर्मियान में ही वे अपनी सिफारिशों की घोषणा कर देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जितना आवश्यक होगा उतना समय लगेगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

विधायकों को रेलवे यात्रा के लिए माइलेज कूपन सिस्टम की सुविधा देने की प्रार्थना

*१---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी) तथा **श्रीमती राजेन्द्र किशोरी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार के पास केन्द्रीय सरकार से इस आशय की सूचना आई है कि रेलवे बोर्ड ने अन्य प्रदेशीय सरकारों के विधान मंडल के सदस्यों की भांति उसके उक्त सदस्यों को भी Mileage Coupon System पर रेलवे में यात्रा करने की सुविधा प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो वह उसको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---जी नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करने की कृपा करेगी कि जिस प्रकार से बंगाल विधान मंडल के सदस्यों को माइलेज कूपन सिस्टम

पर यात्रा करने को सुविधा प्रदान की गई है उसी प्रकार की सुविधा यहां के सदस्यों को भी प्रदान की जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है, अब इसपर सरकार विचार करेगी।

[१० फरवरी, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

झांसी तथा ललितपुर नगरपालिकाओं के बिना वापसी चुंगी संबंधी प्रस्ताव

*१---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ललितपुर (झांसी) नगरपालिका ने अपने यहां बिना वापसी के चुंगी जारी करने के लिये उससे इस वर्ष (१९५९) के आरम्भ में एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति मांगी थी ? यदि हां, तो उसकी अभी तक स्वीकृति न दिये जाने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---ललितपुर नगरपालिका ने बिना वापसी चुंगी के दरों की सूची को अन्तिम रूप रेखा अपने प्रस्ताव संख्या २, दिनांक ८-८-१९५९, द्वारा स्वीकृत की थी जो कि कमिश्नर, झांसी खंड द्वारा सरकार को ५-१०-५९ को प्राप्त हुई थी। उक्त नगरपालिका non-city municipality है अतः म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा १३३ के अन्तर्गत कमिश्नर को वहां के कर प्रस्तावों को स्वीकृत करने का स्वयं अधिकार है। इसी कारण उक्त प्रस्ताव को आवश्यक कार्यवाही हेतु उन्हें वापस कर दिया गया था।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रस्ताव कमिश्नर को कब वापस किया गया।

श्री जयराम वर्मा---सन् ५७ में।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस प्रस्ताव पर कमिश्नर महोदय ने कौन-सी कार्यवाही की ?

श्री जयराम वर्मा---उन्होंने नगरपालिका को सुझाव दिया कि अलीगढ़ नगरपालिका के करों की दरों को माडल मानकर उनके अनुसार सुधार कर लें और फिर आपत्तियां मंगाकर मंजूरी करावें। अब नगरपालिका ने ऐसा कर लिया है और आगे की कार्यवाही होगी।

*२---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या झांसी नगरपालिका ने सन् १९५६-५७ में एक प्रस्ताव द्वारा अपने यहां बिना वापसी की चुंगी जारी करने के लिये सरकार से स्वीकृति मांगी थी ? यदि हां, तो अभी तक स्वीकृति न देने का क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा---जी हां, शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के लिये यह आवश्यक था कि पहले बोर्ड म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १३१ व १३२ के अधीन आवश्यक कार्यवाही करता और फिर विधिवत अपना प्रस्ताव शासन को भेजता। चूंकि बोर्ड ने उक्त कार्यवाही किये बिना ही प्रस्ताव भेजा था, अतः उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति देने का प्रश्न नहीं उठता था।

*३---**श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)**---[२४ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*४---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---[हटा दिया गया।]

*५---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---[२४ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की पार्क रोड गृह-निर्माण योजना

*६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में पार्क रोड, लखनऊ में फ्लैटों और बंगलों आदि के निर्माण की योजना सरकार के सामने प्रस्तुत की है ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां ।

*७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत कितने भवनों का निर्माण कहां पर किया जायेगा और उसमें कुल कितनी धनराशि लगने का अनुमान है ?

श्री जयराम वर्मा—पार्क रोड पर स्थित नं० ३ नजूल के बंगले में १२, दो कमरे वाले फ्लैट और ४, तीन कमरे वाले फ्लैट, १६ मोटर गैरिज तथा १६ नौकरों के क्वार्टर बनाने की योजना है जिसकी अनुमानित लागत ४,१४,००० रु० है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या यह धनराशि ट्रस्ट को कर्ज दी गई है ? यदि हां, तो किस ब्याज पर ?

श्री जयराम वर्मा—सूचना चाहिये ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—भवनों को किराये पर उठाते समय किस आधार को प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री जयराम वर्मा—नियमों के अनुसार किराया नियत किया जायगा और सरकारी कर्मचारियों को ये किराये पर दिये जायेंगे ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—यह निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है ।

गांवों में औद्योगिक श्रमिकों की गृह निर्माण व्यवस्था के लिए प्रार्थना

*८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—दिनांक ९-९-५९ के प्रश्न संख्या ३,४ के पूरक प्रश्नों के उत्तरों के क्रम में क्या स्वशासन मंत्री को ज्ञात है कि उद्योगों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने लगी है ? यदि हां, तो जिस प्रकार म्युनिसिपल बोर्डों के द्वारा औद्योगिक गृह निर्माण योजना हेतु सरकार सहायता देती है उसी प्रकार जिला बोर्डों के अन्तर्गत भी सहायता देने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगी ?

श्री जयराम वर्मा—जिन नगरों में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या पर्याप्त है, वहां सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा श्रमिकों के लिये मकान बनवाये जाते हैं । यदि गांवों में भी औद्योगिक श्रमिकों की संख्या पर्याप्त हो तो वहां भी मकान बनवाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि कितने श्रमिकों की संख्या को पर्याप्त समझा जायगा जिन्हें मकान बनवाने की आज्ञा दे दी जायगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—संख्या हजारों के करीब होनी चाहिये और उनके रहने की स्थिति ऐसी होनी चाहिये जिसे गन्दी बस्ती में शुमार किया जा सके ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि हजारों की संख्या वाले उद्योग अभी देहातों में शुरू नहीं किये जा सके हैं और न निकट भविष्य में किये जा सकते हैं ? तो देहातों के उद्योगों की स्थापना में जितने श्रमिक लगते हैं उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुये मंत्री जी इस संख्या को कम करने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसीलिये इससे वहां लागू नहीं किया गया है। गांवों के लिये रूरल हाउसिंग योजना है। उसमें कुछ पैसा दिया जाता है जिससे लोग मकान बना सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---रूरल हाउसिंग स्कीम में कितनी प्रगति हो रही है और उसके मुख्य अंग क्या हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---एक क्षेत्र लेकर वहां आदर्श गांव बसाने की कोशिश की जाती है, जिसमें अच्छी सड़कें व स्कूल इत्यादि हों और पानी के निकास का प्रबंध हो ताकि फिर वह गन्दी बस्ती में परिणत न हो सके। यह अभी अधिक नहीं चली है क्योंकि लोग जमानत देने के लिये तैयार नहीं हैं और पारसाल ही यह शुरू भी हुई है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---ऐसी आदर्श ग्रामीण बस्तियां किन-किन जिलों में मंत्री जी ने बसाई हैं?

श्री जयराम वर्मा---३७५ गांव इसके लिये चुने गये हैं जो विभिन्न जिलों में हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---यह योजना किसके प्रार्थना-पत्र पर लगाते हैं।

श्री जयराम वर्मा---जिन गांवों में यह योजना लागू है वहां के रहने वालों के प्रार्थना पत्र पर १,५०० रुपये का ऋण उन्हें दिया जाता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि इस आदर्श ग्राम की योजना की रूपरेखा क्या है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसमें यह देखा जाता है कि मकान ऐसे बनाये जावें कि जिनमें हवा, रोशनी इत्यादि का ठीक प्रबंध हो, सड़कों और पानी की व्यवस्था हो और स्कूलों के लिये जगह छोड़ी जाय, इत्यादि।

कंघारी बाजार जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम, लखनऊ से प्रभावित व्यक्तियों की मांगें

*९---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कंघारी बाजार जनरल इम्प्रूवमेन्टस्कीम, लखनऊ से प्रभावित व्यक्तियों का एक शिष्ट मंडल १-१०-५९ को १॥ बजे दोपहर स्वायत्त शासन मंत्री से मिला था? यदि हां, तो उसकी मांगें क्या थीं और स्वायत्त शासन मंत्री ने उन्हें क्या जवाब दिया?

श्री जयराम वर्मा---जी हां १-१०-५९ को स्वायत्त शासन मंत्री से एक शिष्ट मंडल १॥ बजे मिला था। उनकी निम्नलिखित मांगें थीं:---

१---चूंकि यह योजना सन् १९३५ में लागू की गई थी इसे समाप्त कर दिया जावे।

२---इससे प्रभावित व्यक्तियों को बहुत कठिनाई हो रही है और इस प्रकार इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को कुछ लोगों के मकान बनाने के लिये स्वीकृति देने तथा अन्य को मकान बनाने की स्वीकृति न देने में पक्षपात करने का अवसर मिलता है।

३---इस योजना को इस प्रकार संशोधित किया जावे कि कम से कम लोग बेघर हों।

४---बेघरबार लोगों को इस योजना के अन्तर्गत बसाया जावे।

५---लोगों को मुआविजा वर्तमान दर से दिया जावे।

स्वायत्त शासन मंत्री ने शिष्ट मंडल को यह आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी को स्मरण है कि गत १ अक्तूबर को शिष्ट मंडल के मिलने के बाद शिष्ट मंडल के नेता की तरफ से जो बातें हुई थीं उनका फार्मल लेटर भेजा गया था और उसका उत्तर भी उनकी तरफ से गया है ? क्या मंत्री जी उनकी संक्षिप्त बातें सदन में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—पत्र की प्रतिलिपि मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—इस स्कीम से क्या विशेष लाभ होंगे और इसमें कितने पुराने मकान तुड़वाये जायेंगे और उनकी कीमत क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—इसमें ५० सम्पत्तियों को एक्वायर करना था जिनमें से केवल १० अपने घर से बेघर होते, बाकी ४० किरायेदार हैं । कीमत का अन्दाजा नहीं है ।

श्री झारखंडे राय—सरकार ने गत ४ महीनों में उन मांगों पर क्या फैसले किये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी यह योजना रुकी हुई है । जब यह ली जायगी तो उस समय ऐसे सभी प्रश्न हल कर दिये जायेंगे ।

श्री मदन पाडेय—क्या उनकी मांगों में से एक यह भी थी कि जो लोग वहां समर्थ हैं उनको भी एकोमोडेट किया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, उनसे यह कहा गया कि हमारी जो मकान बनाने के लिये रुपया देने की योजना है, उससे वे लाभ उठा लें ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में फारुकी साहब, आई०सी०एस० जो आफीशियेटिंग ओ०एस०डी० हैं, उन्होंने चेयरमैन, लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि क्या कंधारी बाजार योजना में प्रापर्टी नंबर २०,२१ रहने दी जायगी और बाकी लोगों को हटा दिया जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—इस पत्र की जानकारी शासन को नहीं है ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, ऐसा नहीं है । उनसे कहा गया था कि कुछ वह जमीन जो बिना मुआवजे के ट्रस्ट को दी जानी है उसमें उनका मकान ऐसा पड़ता है जिसको स्कीम से अलग किया जा सकता है । इसलिये उनको यह अधिकार दिया गया और उनसे यह कहा गया था कि अगर गवर्नमेन्ट उसको ऐक्वायर करेगी तो कंपेन्सेशन नहीं दिया जायगा । उनकी इस स्वीकृति के बाद ही उनको इजाजत दी गयी ।

श्री देवनारायण भारतीय—जो ५० संपत्तियां सरकार ने एक्वायर की हैं उनके मुआवजे में सरकार को कितना धन देना है ?

श्री जयराम वर्मा—सिर्फ २० संपत्तियां ऐक्वायर हुई हैं, बाकी नहीं हुईं । रुपये की सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो संपत्तियां मुक्त की गयी हैं क्या उसका आधार राजनैतिक है ? यदि नहीं, तो उसका आधार क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि जो जमीन छोड़ी जा सकती है और जिसमें से कुछ जमीन उन लोगों की है जिनको कंपेन्सेशन नहीं देना है, सिर्फ ऐसे लोगों को ही मुक्त किया गया है । इसका कोई राजनैतिक आधार नहीं है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं । प्रश्न यह है कि डिप्टी मिनिस्टर साहब ने उग्रसेन जी के उत्तर में बताया कि फारुकी साहब, आई०सी० एस० के पत्र की जानकारी शासन को नहीं है लेकिन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि उसका उत्तर

बाद में देंगे। अब सही उत्तर कौन-सा माना जायगा। दोनों उत्तर प्रोसीडिंग्स में आगये होंगे। अब इन दोनों में कौन-सा सही माना जायगा, इसको स्पष्ट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मालूम होता है उस वक्त आप सोते रहे।

श्री राजनारायण—मैं उठा था लेकिन इतने में आप आगे बढ़ गये। क्योंकि हमारी आदत नहीं है कि हम आपको बीच में टोंके।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आकर बात कर लीजिये।

सिसवा बाजार टाउन एरिया की ड्रेनेज तथा जलकल योजना के लिये ऋण की मांग

*१०—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत ३-१०-५९ को प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया पत्र स्वशासन मंत्री जी को प्राप्त हुआ है जिसके साथ १४ जून, १९५९ को चेयरमैन टाउन एरिया, सिसवा बाजार (जिला गोरखपुर) द्वारा मंत्री को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि भी नत्थी थी जिसमें उक्त टाउन एरिया की ड्रेनेज तथा जलकल योजनाओं के निमित्त ३ लाख रुपया सहायता तथा ३ लाख रुपया ३० वार्षिक किस्तों पर कर्ज के लिये प्रार्थना की गई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त दरख्वास्त पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री जयराम वर्मा—जी हां। सिसवा बाजार टाउन एरिया की ड्रेनेज योजना का जिसकी अनुमानित लागत ४ लाख रुपया है, प्रोजेक्ट स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है और शीघ्र ही तैयार हो जावेगा।

जहां तक उक्त टाउन एरिया की जल कल योजना का सम्बन्ध है, चेयरमैन महोदय को यह सम्मति दी गई है कि वे जल्द से जल्द मुख्य अभियंता की प्रोजेक्ट फीस जमा कर दें जिससे कि प्रोजेक्ट शीघ्र ही तैयार किया जा सके।

इन योजनाओं के लिये सरकार कोई अनुदान नहीं देती। इन योजनाओं के लिये ऋण देने के प्रश्न पर तब विचार किया जावेगा जब प्रोजेक्ट तैयार हो जायगा। कमेटी को उक्त स्थिति से सूचित कर दिया गया है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फीस जमा करने का आदेश देने का पत्र किस तारीख को भेजा गया? क्या उसका उत्तर आपको प्राप्त हुआ है?

श्री जयराम वर्मा—उनकी फीस ४,४०० रु० है और निश्चित तो नहीं पता है कि किस तारीख को यह पत्र गया। कोई उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना है कि सिसवा बाजार टाउन एरिया ड्रेनेज स्कीम का सर्वे पहले भी करा चुकी है?

श्री जयराम वर्मा—ड्रेनेज का प्रोजेक्ट तो बन ही रहा है।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को इस इस बात की सूचना मिली है कि वहां ड्रेनेज सम्बन्धी सर्वेक्षण कई वर्ष पहले कराया जा चुका है?

श्री जयराम वर्मा—ड्रेनेज सम्बन्धी मामले कई वर्ष पहले से चल रहे हैं और उसका प्रोजेक्ट बन रहा है।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि कुछ वर्ष पहले एल०एस०जी० डिपार्टमेन्ट ने सिसवा बाजार टाउन एरिया में ड्रेनेज सम्बन्धी सर्वेक्षण करा कर सरकार के सम्मुख स्कीम भेजी थी लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है?

श्री जयराम वर्मा—इसके जवाब में तो कहा गया है कि वह प्रोजेक्ट बन रहा है और वह जल्दी ही तैयार हो जायगा।

अल्मोड़ा के सहायक जिला पंचायत अधिकारी का स्थानान्तरण रोकने पर आपत्ति

*११—श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के पंचायतराज कार्यालय के कुछ लोगों के तबादले की आज्ञायें सन् १९५९ में गजट हो गईं पर उनकी बदली रोक दी गई, अगर हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि ये लोग ५ साल की अवधि से अधिक एक ही जिले में कार्य कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां, अल्मोड़ा के सहायक जिला पंचायत अधिकारी के स्थानान्तरण की आज्ञा उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित हो गई थी, किन्तु प्रशासकीय दृष्टिकोण से उनका स्थानान्तरण अप्रैल, १९६० तक के लिये स्थगित कर दिया गया है। वे दिनांक २१ मई, १९५५ से अल्मोड़े में कार्य कर रहे हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस आदेश के कारण उनका तबादला किया गया उसका क्या कारण था और कैंसिलेशन का क्या कारण था?

श्री जयराम वर्मा—कुछ शिकायत आयी थी उस पर तबादला कर दिया गया लेकिन बाद में जिलाधीश और वहां के मुख्य अधिकारी ने यह लिखा कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है जिसके आधार पर कोई कार्यवाही की जा सके और दूसरे तबादला हो जाने से इस समय काम में कुछ रुकावट हो जायगी क्योंकि फंक्शनल कमेटीज बन रही हैं और उनके चुनाव हो रहे हैं तथा उनके शिक्षण का इन्तजाम करना था, इसलिये उन्होंने यह प्रार्थना की थी कि कुछ दिनों के लिये यह स्थानान्तरण रोक दिया जाय ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डाइरेक्टर साहब ने फरमाया है कि तबादला रोकने का कारण यह है कि डी० पी०ओ० नये हैं और उनको काम सिखलाने के लिये उनकी जरूरत है, और यहां दूसरी इत्तला दी गई है, तो इन दोनों में कौन इत्तला सही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, ऐसा हुआ कि जो महाशय स्वयं जानेवाले थे नैनीताल से उनके लिये नैनीताल के जिलाधीश ने लिखा कि यहां पर जो काम चल रहा है उसके लिये इनका रुकना आवश्यक है, तो इन्तजामी तौर पर उनको रोक दिया गया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अपने उत्तर में जो कहा है कि तबादला शिकायतों के आधार पर किया गया और बाद में यह कहा गया कि वह शिकायत ऐसी नहीं थी जिस आधार पर तबादला किया जाना जरूरी हो, तो क्या जब तबादला किया गया तो शिकायतों की जांच किये बिना ही कर दिया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर शिकायत हो तो तुरन्त तबादला कर दिया जाता है और तबादला चूंकि ड्यू था इसलिये कर दिया गया। लेकिन उसकी वजह से चूंकि काम में रुकावट पड़ती थी इसलिये कुछ दिनों के लिये उसे रोक दिया गया। इसमें तो कोई गलत चीज नहीं दिखलायी देती।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन कौन-सी मुख्य शिकायतें हैं जो माननीय मंत्री जी के पास भेजी गयी थीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, उनकी फेहरिस्त इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जब सूचना नहीं है तो . . .

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वास्तव में श्रीमन्, हमारे पास सूचना नहीं है; बाकी ट्रांसफर शिकायत पर हुये थे।

श्री अध्यक्ष—इसीलिये तो उत्तरों में गड़बड़ी हो जाती है। "मेरे पास सूचना नहीं है" ऐसा उत्तर नहीं होना चाहिये बल्कि वह ऐसा होना चाहिये कि "सूचना की आवश्यकता है" या नोटिस मांगिये क्योंकि दफ्तर में वह हो सकती है लेकिन "मेरे पास सूचना नहीं है" का मतलब होता है कि वह आप के दफ्तर में भी नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, वह आगे से ठीक कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—ऐसा उत्तर दीजिये कि "सूचना चाहिये"।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह शिकायतें जो उन्हें प्राप्त हुई हैं उन्हें किस अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना की जरूरत है।

मोहम्मदी नगरपालिका का चुनाव न हो सकना

*१२—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नोटीफाइड एरिया मुहम्मदी, जिला लखीमपुर-खीरी म्युनिसिपल बोर्ड में परिणत की गई और उसका चुनाव अब तक हुआ या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—१५ नवम्बर, १९५७ को जिला लखीमपुर-खीरी की नोटीफाइड एरिया, मुहम्मदी नगरपालिका में परिणत की गई थी। शासन को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि मोहम्मदी नगरपालिका की सीमायें बढ़ाई जायं जिन पर विचार किया जा रहा है। इन पर निर्णय होने के उपरान्त वहां चुनाव करवा दिये जायेंगे।

श्री भीखालाल—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मोहम्मदी नगरपालिका की सीमा बढ़ाने का अभ्यावेदन कब प्राप्त हुआ और उस का अंतिम निर्णय कब प्राप्त हो गया ?

श्री जयराम वर्मा—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह सीमा बढ़ाने के लिये कब प्राप्त हुआ। अगर आवश्यकता हुई तो सूचना की जरूरत होगी लेकिन इस पर फैसला जल्द होने वाला है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह टाउन एरिया से म्युनिसिपैलिटी कब बनी और जब से वह बनी तब से वह किस के शासन में चल रही है ?

श्री जयराम वर्मा—इस की सूचना की आवश्यकता है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि अप्रैल या मई मास में लोकल बाडीज के द्वारा कौंसिल की सीटों के चुनाव होंगे और यह चुनाव उस चुनाव से पहले न हुए तो उसका असर कौंसिल के चुनाव पर भी पड़ेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—संभव है पड़े।

श्री राजनारायण—जो असर पड़ेगा उसके निराकरण का सरकार क्या प्रयत्न करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—चुनाव के लिये जल्दी की जा रही है और सीमा ठीक हो जाने के बाद चुनाव करा दिये जायेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया से म्युनिसिपैलिटी सरकार के आदेश द्वारा बनी या स्वयं बन गई और अगर सरकार के आदेश से बनी, तो वह आदेश कब हुआ ?

श्री अध्यक्ष—वह सूचना चाहते हैं, अभी उन के पास इत्तला न होगी।

कानपुर नगरमहापालिका के चुनाव में बैलट बक्स तोड़े जाने की शिकायत

*१३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या कानपुर नगरमहापालिका के २५ नवम्बर, १९५९ को होने वाले चुनावों के संबंध में सरकार के पास इस आशय की शिकायत आई है कि बूथ नं० ४, नं० ६ और नं० १८ के बैलट बक्स पुलिस के पहरे में तोड़े गये ?

श्री जयराम वर्मा—२५ नवम्बर, १९५९ को कानपुर नगरमहापालिका में विशिष्ट सदस्यों के निर्वाचन हुये थे पर उनमें न तो ऐसी कोई घटना ही घटी, न कोई शिकायत ही आई। हां, २५ अक्टूबर, १९५९ को हुये सभासदों के निर्वाचन के संबंध में कक्ष संख्या ६, सिविल लाइन्स से ऐसी एक शिकायत आई थी परन्तु उसमें पुलिस के पहरे में बैलट बक्स तोड़े जाने का उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त और किसी कक्ष के पोलिंग स्टेशन तथा बूथ के बैलट बक्सों के तोड़े जाने की शिकायत सरकार के पास नहीं आई।

*१४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार उपर्युक्त शिकायत अथवा शिकायतों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—इस शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२५ पर)

*१५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार ने पुलिस के सम्बन्ध में इस आरोप की जांच कराई ? अगर हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री जयराम वर्मा—अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट से पूछतांछ करने पर यह सूचना मिली कि इस शिकायत में सत्यता नहीं थी अतः पुलिस के संबंध में इस आरोप की जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—सरकार की ओर से कहा गया है कि शिकायत जो आई है उसमें पुलिस के पहरे में तोड़ने की कोई शिकायत नहीं है, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि यह शिकायत मौखिक की गई थी कि पुलिस के पहरे में तोड़े गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सूचना की जरूरत है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इसमें यह लिखा है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से पूछतांछ करने पर यह सूचना मिली। तो अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट से पूछतांछ की गई या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने पूछतांछ की और यह सूचना किसकी पूछतांछ के आधार पर मिली ?

श्री जयराम वर्मा—शासन द्वारा उनसे शिकायत के बारे में पूछा गया और उन्होंने दरियाफ्त करके जवाब दिया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने जब शिकायत के बारे में पूछतांछ की तो क्या उन्होंने उन लोगों से भी सबूत लिया और गवाही मांगी और बयान लिये जिन्होंने शिकायत की थी ?

श्री जयराम वर्मा—सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिकायत करने वाले कौन सज्जन थे और उनसे छ तांछ कब की गई ?

श्री जयराम वर्मा—उनसे कब पूछतांछ की गई इसके बारे में तो नोटिस के लिये मैंने पहले ही प्रार्थना कर दी। शिकायत करने वाले थे, श्री नवीनचन्द्र खन्ना।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार बतायेगी कि इन बूथों से संबंधित किसी चुनाव फल को रोक रखा गया था इस आधार पर कि उनके सम्बन्ध में कोई शिकायतें आई थीं जिनकी जांच होनी बाकी थी ?

श्री जयराम वर्मा—सूचना की आवश्यकता है।

श्री राजनारायण—सरकार के पास खन्ना जी ने जो शिकायतें भेजी हैं वे क्या-क्या हैं ?

श्री जयराम वर्मा—वह तो मेज पर रख दी गई है।

श्री अध्यक्ष—आप संक्षेप में बता दें।

श्री जयराम वर्मा—पहले अंग्रेजी में पढ़े देता हूं:—

"Lock of Ballot box of Booth no. 4, Ward 6, Kanpur found broken. Covers of Ballot boxes of Booth no. 2 and 3 found removed. All these boxes tampered with. Officers informed. Counting not stopped. Intervene."

इसका हिन्दी अनुवाद यह हुआ कि कानपुर के वार्ड नं० ६ के बूथ नं० ४ के बैलट बाक्स का ताला टूटा हुआ पाया गया और बूथ नं० २ और ३ के बैलट बाक्सों के कवर हटाये हुये मिले। तीनों बाक्सों को टेम्पर किया गया। अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। काउंटिंग रोकी नहीं गयी। दखल दीजिये।

नागनाथ सड़क को मोटरीय यातायात के योग्य बनाने की प्रार्थना

*१६—**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी** (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल जिले के उत्तरीय वन-क्षेत्र में सारी नागनाथ रोड मोटरीय यातायात के काबिल कब तक बनायी जायेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी ऐसा कोई प्रस्ताव अन्तरिम जिला परिषद्, गढ़वाल के विचाराधीन नहीं है।

समथर नोटीफाइड एरिया के लेखा में गड़बड़ी तथा सिसवा बाजार में सड़कों पर अनाधिकृत कब्जे की शिकायत

*१७—**श्री त्रिलोकी सिंह** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नोटीफाइड एरिया समथर, जिला झांसी से रुपये-पैसे के गोल-माल होने की कोई शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

पुलिस द्वारा जांच करा कर भारतीय दंड विधान की धारा ४०९ के अधीन पुलिस द्वारा अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है।

*१८—**श्री त्रिलोकीसिंह** (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिसवा बाजार, जिला गोरखपुर के नागरिकों का कोई पत्र सरकार के पास इस हेतु आया है कि टाउन एरिया के क्षेत्र में कई स्थानीय लोगों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—(क) जी हां।

(ख) टाउन एरिया का एक नक्शा बनवाया जा रहा है। उसके बन जाने पर अनधिकृत कब्जों का ठीक-ठीक पता चल सकेगा और आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

*१९—२१—श्री रामलखन सिंह (जिला जौनपुर), श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर) तथा श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[२४ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*२२—श्री शिवप्रसाद नागर—[२४ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*२३–२४—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—[२४ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

अर्द्धकुम्भ मेला, इलाहाबाद में नये पुलों का निर्माण तथा दूकानों की नीलामी

*२५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में अर्द्धकुम्भी के मेले में यातायात के लिये जिस प्रकार से कुम्भ के अवसर पर नये पुलों का निर्माण हुआ था इस वर्ष भी नये पुल बनाये जायेंगे? यदि हां, तो कितने?

श्री जयराम वर्मा—जी हां, तीन।

*२६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि अर्द्धकुम्भी सलाहकारी कमेटी के निर्णय के विरुद्ध बांध के नीचे बहुत-सी दूकानें तथा कल्पवासियों के अतिरिक्त बहुत से कैम्प लगाए गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री जयराम वर्मा—यथासंभव अर्द्धकुम्भी सलाहकारी कमेटी के निर्णय का पालन किया गया है और केवल आवश्यकतानुसार ही बांध के नीचे कैम्प लगाये गये हैं।

*२७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अर्द्धकुम्भी मेले में कुल कितनी दूकानें नीलाम की गई हैं और उनमें सबसे ज्यादा किस दुकान की बोली हुई?

श्री जयराम वर्मा—२६० दुकानें नीलाम की गई हैं। महाबीरजी के मंदिर के निकट हलवाई की दुकान की बोली १३,५०० रु० आई है जो सब से ज्यादा है और साल भर के लिये दी गई है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतायेगी कि तीन पुल जो बनाये गये थे वे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये या मिलिटरी द्वारा? यदि मिलिटरी द्वारा बनाये गये थे तो क्या कारण था?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—दो पुल सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा और एक पुल मिलिटरी के द्वारा और इस वजह से कि वह जल्दी से बना देते हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि बहुत-सी दुकानें ऐसी थीं जो नीलाम नहीं की गई थीं और दुकानदारों को ऐसे ही दे दी गईं?

श्री जयराम वर्मा—दुकानें सभी नीलाम की गईं, ऐसी हमारे पास सूचना है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—मिलिटरी द्वारा पुल क्यों बनवाया गया इसका कारण नहीं बताया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने कहा था वह जल्दी बना देते हैं।

श्री अध्यक्ष—जवाब दिया जा चुका है, वह सुन न पायें तो इसका कोई इलाज नहीं।

*२८–२९—श्री मोतीलाल अवस्थी—[२४ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३०—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[६ठवें शुक्रवार के प्रश्न ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*३१—३३—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—[२४ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[२४ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

अन्तरिम जिला परिषद्, मिर्जापुर के निलम्बित सेक्रेटरी, श्री बद्रीप्रसाद रस्तोगी से संबंधित स्मृति-पत्र

*३५—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को मालूम है कि अन्तरिम जिला परिषद, मिर्जापुर के निलम्बित सेक्रटरी के संबंध में कोई स्मृति-पत्र (मेमोरेंडम) कतिपय स्थानीय विधायकों तथा परिषद् के एक सदस्य द्वारा सरकार को दिया गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री जयराम वर्मा—जी हां। जिलाधीश की रिपोर्ट मंगाई गई थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर अन्तरिम जिला परिषद्, मिर्जापुर से इस बात का स्पष्टीकरण (Explanation) मांगा गया है कि शासन उसके प्रस्ताव सं० ४, दिनांक १७ अक्तूबर, १९५९ को जो उसके निलम्बित सेक्रटरी श्री बद्री प्रसाद रस्तोगी को उनके पद पर रिइन्स्टेट (reinstate) करने के संबंध में है, क्यों न रद्द कर दें।

श्री रामकृष्ण जैसवार—मंत्री जी बतायेंगे कि प्रस्ताव संख्या ४, दिनांक १७ अक्तूबर, १९५९ क्या है और मेम्बरों द्वारा जो मेमोरेन्डम दिया गया है उसकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं?

श्री जयराम वर्मा—प्रस्ताव १७ अक्तूबर का यह था कि जो सेक्रेटरी निलम्बित किये गये हैं वे अपनी जगह पर फिर बहाल कर दिये जायं और उनका थोड़ा-सा कसूर इस मामले में रहा है कि कार्यवाही वैधानिक नहीं रही है तो उनको बीच का वेतन न दिया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मंत्री जी बतायेंगे कि निलम्बित किन कारणों से किया गया था, किन आरोपों के आधार पर और स्मृति-पत्र की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं?

श्री जयराम वर्मा—काम में कुछ गड़बड़ी होने की शिकायत थी। रुपये-पैसे के गोलमाल के सिलसिले में भी थीं। यह शिकायतें १९५१ की हैं जिसके सम्बन्ध में एक कमेटी भी नियुक्त हुई जिसने अपनी राय दी और बराबर मामला चलता रहा। आखिर में चल करके मुख्य कार्याधिकारी ने जांच की और वह शिकायतें सही पायी गईं इसके बारे में अदालत में भी मामला चल रहा है।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या मंत्री जी को मालूम है कि कथित सेक्रेटरी के ऊपर लगभग एक दर्जन से ज्यादा क्रिमिनल केसेज कोर्ट में चलाये गये और कोर्ट द्वारा वह निर्दोष छूट गया?

श्री जयराम वर्मा—केसेज चले, कोर्ट से बरी होता रहा। लेकिन कोर्ट ने यह फैसला किया कि बड़ी इर्रेगुलेरिटीज़ उनके द्वारा की गईं और उनको उन कसूरों से बरी नहीं किया जा सकता है। इसलिये विभागीय कार्यवाही उनके खिलाफ की जा रही है।

*३६—श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)—[२४ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*३७—श्री ऊदल—[७वें शुक्रवार के प्रश्न २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लखनऊ नगरपालिका के निलम्बित कर्मचारी

*३८—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगरपालिका तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के कितने कर्मचारी कितने दिनों से मुअत्तल (सस्पेन्ड) हैं ?

श्री जयराम वर्मा—लखनऊ नगरपालिका के निम्नलिखित कर्मचारी उनके नाम के सामने दी हुई तिथियों से मुअत्तल हैं :—

नाम	मुअत्तल की तिथि
१—श्री रामसरन वाजपेयी	१३-११-५९
२—श्री एम० एल० अग्रवाल	१७-११-५९
३—श्री नियाजुल हसन	३-१२-५९
४—श्री देवीप्रसाद	२१-९-५९
५—श्री गुरप्रसाद	२८-१२-५९
६—श्री लियाकत अली	३१-१२-५९
७—श्री मो० अहसन	२९-१-६०
८—श्री एस० सी० अस्थाना	२१-११-५९

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का कोई कर्मचारी मुअत्तल नहीं है।

*३९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सरकार उन कारणों को बतलाने की कृपा करेगी कि जिसके अन्तर्गत वे सस्पेंड किये गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा—उपर्युक्त कर्मचारी निम्नलिखित कारणों के अन्तर्गत सस्पेंड किये गये हैं :—

(१) श्री राम सरन बाजपेयी—अपने काम को पूरा न करने तथा विभागीय अध्यक्ष से दुर्व्यवहार करने के कारण ।

(२) श्री एम० एल० अग्रवाल—अनुशासनहीनता के कारण ।

(३) श्री नियाजुल हसन—अपने काम को सुचारु रूप से न चलाने तथा उसमें बाधा उत्पन्न करने के कारण।

(४) श्री देवी प्रसाद—अपनी कार्य विमुखता के कारण जिससे नगरपालिका को आर्थिक हानि हुई।

(५) श्री गुर प्रसाद—आज्ञा का पालन न करने के कारण ।

(६) श्री लियाकत अली—कार्य संतोषजनक न होने के कारण।

(७) श्री मोहम्मद अहसन—कार्य संतोषजनक न होने के कारण।

(८) श्री एस० सी० अस्थाना—ट्रांसफर सर्टिफिकेट में परिवर्तन करने के कारण।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मुअत्तल होने के बाद अब तक इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गयी ?

श्री जयराम वर्मा—मुअत्तल करके उनकी शिकायतों के बारे में जांच की जा रही है।

लखनऊ नगरमहापालिका के सैलेज फार्म अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

*४०--श्री प्रताप सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष अगस्त सन् ५८ में इस सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा जब सरकार को लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के सैलेज फार्म से सम्बन्धित अधिकारी की लापरवाही से कई लाख रुपया मियाद बाहर हो जाने के कारण कानूनन वसूल नहीं किये जा सकने के बारे में लिखा गया तो बोर्ड के प्रबन्धक ने उस बारे में क्या जांच की और उसमें लखनऊ बोर्ड का कितने लाख रुपये का नुकसान निकला ?

श्री जयराम वर्मा--इस मामले में अभी प्रारम्भिक जांच की गयी है और गहरी जांच की कार्यवाही आगे जारी है। अभी तक की गयी जांच से पता चला है कि १३६३ फसली तक लगान का लगभग १,६१,००० रुपया मियाद बाहर हो गया था। इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। जांच पूर्ण हो जाने पर ही यह निश्चित रूप से पता चल पायेगा कि वास्तव में बोर्ड को कुल कितनी हानि पहुंची है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि वे विभागीय अधिकारी किस पद के हैं और प्रारम्भिक जांच के सम्बन्ध में उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री जयराम वर्मा--अभी जांच चूंकि पूरी नहीं हुई है, प्रारम्भिक जांच की गयी है, इसलिये कौन-कौन उसके लिये जिम्मेदार होंगे अभी निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है।

श्री प्रतापसिंह--अगस्त सन् ५८ में जब बोर्ड का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया तब से आज तक इस इन्क्वायरी में क्यों देर हो रही है और जिस अधिकारी को उत्तर में बतलाया गया है उसके खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री जयराम वर्मा--उत्तर में कहा गया है कि अभी उसकी पूरी जांच की जा रही है कि कितना कहां पर मियाद के बाहर हुआ है और कौन-कौन आदमी उसके लिये जिम्मेदार हो सकते हैं।

श्री प्रतापसिंह--इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। जो उत्तर में बतलाया गया है कि अधिकारी जिम्मेदार है उसके खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री जयराम वर्मा--उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

श्री अध्यक्ष--जवाब यही है कि जिम्मेदार अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिवप्रसाद नागर--वे अधिकारी हैं कौन और उनका डेजिगनेशन क्या है ?

श्री जयराम वर्मा--सूचना की आवश्यकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--उत्तर में कहा गया है कि उसके सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही की जा रही है, तो विभागीय कार्यवाही क्या की जा रही है और किसके सम्बन्ध में की जा रही है ?

श्री जयराम वर्मा--अब यह जांच की जा रही है कि सचमुच कितना नुकसान हुआ और उस नुकसान से सम्बन्धित कौन-कौन व्यक्ति हैं। अधिकारी तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन और भी कौन-कौन से लोग उससे सम्बन्धित हैं जिनका कसूर है इसके बारे में जांच की जा रही है।

अन्तरिम जिला परिषद्, मिर्जापुर के निलम्बित सचिव की बहाली से संबंधित कलेक्टर का अभिदेश

*४१—श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या सरकार को मालूम है कि अन्तरिम जिला परिषद्, मिर्जापुर द्वारा १७-१०-५९ की बैठक में आठ वर्षों से निलम्बित सचिव को रिइन्स्टेट किये जाने के सम्बन्ध में कलेक्टर मिर्जापुर ने सरकार के पास कोई रिफ़ेन्स भेजा है? यदि हां, तो कब और किस आधार व नियम के अन्तर्गत ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां। कलेक्टर का अभिदेश उनके पत्र दिनांक २९ नवम्बर, १९५९ द्वारा आयुक्त वाराणसी खंड के माध्यम से १२ दिसम्बर, १९५९ को शासन को प्राप्त हुआ। चूंकि अन्तरिम जिला परिषद् का २७ अक्तूबर, १९५९ का प्रस्ताव लोकहित के विरुद्ध है इसलिये कलेक्टर ने उससे सम्बन्धित अभिदेश भेजा है। उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की धारा १२ की उपधारा (१) के अन्तर्गत कलेक्टर को इस प्रकार का अभिदेश सरकार के पास भेजने का अधिकार है।

*४२—श्री रामकृष्ण जैसवार—अन्तरिम जिला परिषद् ऐक्ट की धारा १२ (५) के मंतव्य के अनुसार उक्त निलम्बित सचिव को सरकार के पास रिफ़ेन्स करने के पूर्व चार्ज क्यों नहीं दिया गया ?

श्री जयराम वर्मा—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की धारा १२ की उपधारा (५) के अन्तर्गत कलेक्टर को यह अधिकार है कि जब वह उक्त धारा की उपधारा (१) के अधीन कोई अभिदेश करे तो ऐसी अन्तरिम आज्ञायें, जिनके अन्तर्गत किसी संकल्प के निष्पादन को रोकने की आज्ञा भी सम्मिलित है, दे सकता है। इसी अधिकार का प्रयोग करके कलेक्टर मिर्जापुर ने अन्तरिम जिला परिषद् के १७ अक्तूबर, १९५९ के प्रस्ताव का निष्पादन रोक दिया।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद् के सभी वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव के बारे में सरकार किस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उक्त प्रस्ताव लोक हित के विरुद्ध है ? क्या वह लोक हित की परिभाषा बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—इस सम्बन्ध में अभी दो मुकदमें न्यायालय के सामने बिचाराधीन हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उनके बारे में विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में जांच का काम सौंपा गया था। उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि उनके खिलाफ सभी चार्जेज सिद्ध होते हैं। ऐसी हालत में जो वहां से प्रस्ताव आया था उसको जिलाधीश ने लिखा कि यह लोकहित के विरुद्ध है। उसको मान कर उसका निष्पादन रोक दिया गया है और फिर जिला परिषद् से यह स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनका स्पष्टीकरण आ जाने पर आगे कार्यवाही होगी।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विभागीय कार्यवाही अन्तरिम जिला परिषद् के सचिव के खिलाफ करने का अधिकार अन्तरिम जिला परिषद् को ही है और मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी को नहीं है ?

श्री जयराम वर्मा—जांच उनको सौंपी गयी थी और जिला परिषद् जो चाहे फैसला करे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह दिया है कि सभी चार्जेज सिद्ध होते हैं।

अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी के सेक्रेटरी के विरुद्ध शिकायत

*४३—श्री ऊदल—क्या सरकार के पास इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी के असेसिंग आफीसर करीब २ वर्ष से छुट्टी पर हैं और छुट्टी लेने पर उसी वक्त से अन्तरिम जिला परिषद्, वाराणसी में अस्थायी तरीके पर

सेक्रेटरी का कार्य कर रहे हैं और तनख्वाह सेक्रेटरी की ले रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। जिलाधीश से आख्या मंगवाने पर यह मालूम हुआ कि शिकायत सही थी। जिलाधीश ने यह बताया कि चूंकि असेंसिग आफिसर परिषद् के सेक्रेटरी के पद के लिये चुन लिये गये थे इसलिये उन्हें उक्त पद पर नियुक्त करने के लिये छुट्टी देनी आवश्यक थी परन्तु जिलाधीश के उत्तर का निरीक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि ऐसा करने की कोई आवश्यकता न थी अतः जिलाधीश को यह निदेश दिये गये कि मामले को नियमित करने के लिये वह परिषद् से यह कहें कि वह छुट्टी के आदेश को रद्द कर दे और सेक्रेटरी के पद पर असेंसिग आफिसर की नियुक्ति को अस्थायी नियुक्ति समझे।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि असेंसिग अफसर को जो अवैधानिक तरीके से छुट्टी दी गयी थी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जयराम वर्मा—इसमें अवैधानिकता सिर्फ इतनी थी कि उनको छुट्टी दी गई थी और वह दूसरे पद पर चुन लिये गये थे इसलिये छुट्टी देने की उनको जरूरत नहीं थी। अब उनकी छुट्टी खत्म करने के लिये कह दिया गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मन्त्री जी को ज्ञात है और यह सही है कि जो जगह रिक्त होती उस पर दूसरा आदमी रखना पड़ता, इसलिये उसको छुट्टी पर दिखाया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यही तो कहा गया कि यह चीज अनुचित हुई। उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—प्रश्न यह है कि एक जगह रिक्त हो गई, उस पर किसी आदमी को रखना पड़ता। जिस आदमी को वह रखना चाहते थे वह उस समय उपलब्ध नहीं था। इसलिये उसको छुट्टी पर दिखाया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, ऐसा हो सकता है। हमको इसकी जानकारी नहीं है।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जो उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दे दिया है कि उनकी छुट्टी रद्द कर दी जाय और उनको अस्थायी रखा जाय, तो क्या उनको सूचना प्राप्त हुई है कि उनको स्थायी कर दिया गया है और छुट्टी रद्द नहीं की गई ?

श्री जयराम वर्मा—उनकी छुट्टी रद्द नहीं की गई ऐसी सूचना तो नहीं है लेकिन यह जरूर है कि वह अस्थायी सेक्रेटरी हो गये थे उनको अब स्थायी कर दिया गया है।

श्री राजनारायण—जब सरकार को ज्ञान हो गया है कि वाराणसी जिला परिषद् के असेंसिग अफसर छुट्टी लेकर सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति स्थायी हो गई है तो इसका परिणाम यह होता है कि असेंसिग आफिसर स्थायी हो गया है, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जो असेंसिग आफिसर था उसने छुट्टी ली और सेक्रेटरी के पद पर काम करता रहा, अब जिला परिषद् ने उसको स्थायी नियुक्ति कर दी तो जो व्यक्ति असेंसिग अफसर के पद पर काम कर रहा है वह स्थायी है या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—उनको छुट्टी देने की अवैधानिकता हुई थी इसीलिये कहा गया था कि उन की छुट्टी रद्द कर दी जाय और जिस पद पर वह छुट्टी लेकर काम कर रहे थे उस पद पर उनको अस्थायी माना जाय। जिला परिषद् को अधिकार है कि प्रोबेशन पीरियड के बाद उनको स्थायी कर दे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतायेगी कि अनुचित छुट्टी किस ने दी और जिसने दी क्या उनका स्पष्टीकरण मांगा गया ?

श्री जयराम वर्मा—छुट्टी तो जिला परिषद् ने दी थी।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, भदोही का दफ्तर अलग है और एक सेक्रेटरी वहां है ? इनको किस नियम के अन्तर्गत स्थायी किया गया ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, वह अस्थायी तौर पर काम कर रहे थे, अब उनका काम जिला परिषद् ने संतोषजनक समझा और उनको स्थायी कर दिया।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, ऊदल जी का प्रश्न स्पष्ट है कि सेक्रेटरी महोदय जो स्थायी हो गये हैं वह पहले असेसिंग आफिसर थे उन्होंने छुट्टी ली जो दो साल तक चली और इस बीच में वह सेक्रेटरी के पद पर अस्थायी तौर पर काम करते रहे। सरकार की ओर से लिखा गया कि उनको जो छुट्टी दी गई है वह अनुचित है, उसको खत्म कर दिया जाय। अब इसके बावजूद वह स्थायी रूप से सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे हैं। जब से वह असेसिंग अफसर के पद से छुट्टी पर थे तो उस पद पर कोई व्यक्ति काम रहा था या नहीं ? यदि कर रहा था तो वह स्थायी है या अस्थायी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

औरैया नगरपालिका की पेय जल योजना

*४४—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या औरैया नगरपालिका, जिला इटावा के अन्तर्गत पेय-जल की नल योजना चल रही हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, इस प्रकार की योजना पर कार्यवाही की जा रही है।

*४५—**श्री भजनलाल**—क्या यह सही है कि इस नगरपालिका के अन्तर्गत सरकार की ओर से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, अभी योजना पूर्णतया कार्य स्तर तक नहीं हो पाई है। योजना बन गई है और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से इसके Technical approval प्राप्त हो जाने के पश्चात् और अनुमानित धन उपलब्ध हो जाने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ होगा।

*४६—**श्री भजनलाल**—यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यदि योजना स्वीकृत हो गई और धन उपलब्ध हो सका तो यह योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित होकर कार्यान्वित हो सकेगी।

*४७—**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)—[२४ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ३५ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*४८—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[२४ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ३३ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*४९—**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)—[२४ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*५०-५१—**श्री अब्दुलरऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—[२४ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

नोट—तारांकित प्रश्न ४३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

छिबरामऊ टाउन एरिया को नगरपालिका में न परिणत करना

*५२—श्री कोतवाल सिंह भदौरिया—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद की छिबरामऊ टाउन एरिया को म्युनिसिपैलिटी बनाने की सभी कार्यवाहियां हो चुकने पर भी अभी तक म्युनिसिपैलिटी घोषित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—छिबरामऊ टाउन एरिया को म्युनिसिपैलिटी घोषित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है।

कानपुर नगरमहापालिका के चुनाव में चुनाव-चिन्हों के प्रयोग में अनियमितता

*५३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी सन् ५९ में जो महानगरपालिका, कानपुर का चुनाव हुआ है उसमें वार्ड नं० ३ में जो चुनाव प्रत्याशी खड़े हुए थे उनमें से कुछ के चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर में उनके नाम के सामने नहीं छपे थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। केवल एक उम्मेदवार के नाम के सामने उसका चुनाव चिन्ह कुछ शलाका-पत्रों पर नहीं छपा था। ऐसे शलाका-पत्रों की संख्या २४१ थी।

*५४-५५—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—[२४ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

जेल कर्मचारियों का निलम्बन

*५६—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सन् ५९ में समाज कल्याण मंत्री द्वारा जेलों के कितने कर्मचारी निलम्बित किये गये और किस-किस अपराध में ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—समाज कल्याण मंत्री द्वारा निरीक्षण के समय जेलों में जो अनियमितताएं पायी गयी उनके लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय। इसके फलस्वरूप २ जेलर, १ उप-जेलर तथा ३ सहायक जेलरों को निलंबित किया गया। इसके विरुद्ध कर्त्तव्य परायणता का अभाव, असत्य रिपोर्ट देना, रजिस्टरों में झूठी प्रविष्टियां करना आदि आरोप हैं।

*५७—५८—श्री मुक्तिनाथ राय—[१७ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ५७-५८ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*५९—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—[हटा दिया गया।]

*६०-६२—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[२४ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न २८—३० के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*६३—श्री भगवतीसिंह विशारद—[१७ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ५९ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*६४—श्री भुवनेश भूषण शर्मा—[२४ फरवरी, १९६० के लिये प्रश्न ३४ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*६५—६७—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—[२४ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*६८—७०—श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—[२४ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*७१—श्री शिव प्रसाद नागर—[२४ फरवरी, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

टिहरी-गढ़वाल राजस्व पदधारियों के (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत प्रस्तावित संशोधनों की आज्ञा का आलेख्य†

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (पुलिस) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १०६६/८, दिनांक ४ मार्च, १९५८ के साथ प्रकाशित आज्ञा के परिशिष्ट "ख" में निर्दिष्ट राजस्व और नियमित पुलिस के क्षेत्राधिकार में टिहरी-गढ़वाल राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५६ की धारा २ के अन्तर्गत प्रस्तावित संशोधनों की आज्ञा के आलेख्य को उक्त अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

यू० पी० पंचायतराज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन†

स्वायत्त शासन उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० पंचायतराज रूल्स में पंचायतराज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५८११-प/३३—१२४-५९, दिनांक ४ दिसम्बर, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर नियमावली, १९५७ में प्रख्यापित संशोधन†

स्वास्थ्य उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर नियमावली, १९५७ में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७३/१-स—६३९-सी-५८, दिनांक २९ सितम्बर, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर अधिनियम, १९५७ की धारा २९ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय । इसमें आप देखें कि यह २९ सितम्बर को छपा है और दिसम्बर में यह नहीं लाया गया । दिसम्बर में न लाकर के अब लाया गया है बजट सेशन में, जबकि सदन इतना बिजी है, तो यह दिसम्बर में क्यों नहीं लाया गया ? इसका क्या कारण है ? जरा इसे मन्त्री जी बताने की कृपा करें ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हम जानकारी कर रहे हैं कि क्यों विलम्ब हुआ । जैसे ही जानकारी हो जायगी वह सदन में दे दी जायगी ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मुझे आपका ध्यान इस ओर दिलाना है कि माननीय सदन ने एक नियम बनाया है और माननीय मंत्री जी जिस वक्त उन नियमों का उल्लंघन करते हुए दूसरे अपने अधिकारियों को पाते हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन के साथ क्यों नहीं हाउस में आते ? अब जब एक माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया तब माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि अब उन अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं कि क्यों देर हुई ? मैं तो समझता हूं कि यह मंत्रि-मंडल की जिम्मेदारी है और दो बार माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में इस सदन में क्षमा-प्रार्थना कर चुके हैं तो उनके सहयोगियों का भी यह कर्त्तव्य है कि उनसे अधिक क्षमायाचना इस सदन में न करायें और हम लोगों का भी कुछ कर्त्तव्य है क्योंकि इन नियमों के मुताबिक

---

† छापे नहीं गये ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गेंदा सिंह]

श्रीमन्, कार्यवाही होने लगती है सारे प्रदेश में, तो मालूम नहीं उनमें क्या परिवर्तन हाउस कर दे और वह सारी कार्यवाही अवैध हो जाय, इसलिए मैं समझता हूं कि इस बात की कोई व्यवस्था आप करें ।

श्री अध्यक्ष—आपका कहना सही है । मतलब यह है कि अगर ऐसी देर हो जाया करे तो माननीय मन्त्री जी पहले से ही यहां पर सदन में नियम उपस्थित करने के साथ-साथ यह भी जिक्र कर दें कि इसमें देर हो गई और उसकी जांच हो रही है । मैं समझता हूं इतनी बात कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—अध्यक्ष महोदय, भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, एक प्रश्न वैधानिक भी उठता है । जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा इस प्रकार के नियम तथा संशोधन बड़े महत्वपूर्ण हैं और इसी सदन में आपने यह हिदायत कर दी थी कि आइन्दा इस प्रकार का विलम्ब न हो । माननीय अध्यक्ष की स्पष्ट आज्ञा के विरुद्ध यह विलम्ब हुआ और उस विलम्ब के कारण का स्पष्टीकरण भी नहीं हुआ । तो क्या यह सदन की मर्यादा से सम्बन्धित बात नहीं है कि अध्यक्ष जो स्पष्ट आज्ञा दें उसके विरुद्ध काम हो क्योंकि दिसम्बर में हमारा सदन २१ तारीख से चल रहा था . . .

श्री अध्यक्ष—लेकिन गलती कबूल कर लेने पर मर्यादा का सवाल नहीं उठता ।

श्री राजनारायण—नहीं करते हैं वह । कहां गलती कबूल की उन्होंने ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कबूल कर ली ।

एक चीज मैं गृह मन्त्री जी से कहूंगा कि पहली जो विज्ञप्ति उन्होंने पढ़ी उसमें "लखनऊ १९६०" दिया हुआ है । तारीख कोई नहीं पड़ी हुई है, न कोई महीना है । यह क्यों हुआ ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) वह विज्ञप्ति श्रीमन्, मेरे पास नहीं है । वह मेज पर रख दी गई है ।

श्री अध्यक्ष—वह मेज पर रख दी गई है लेकिन उसमें यह गलती रह गई है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अभी एक गलती को दिखाया गया कि "लखनऊ १९६०" लिखा है, उस पर कोई तारीख नहीं है । इस पर भी आप गौर कर लें कि यह विज्ञप्ति दो साल पहले की है । इसके लिये भी कुछ एक्सप्लेनेशन आना चाहिए ।

श्री शिवप्रसाद नागर—अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मन्त्री जी के पास वह विज्ञप्ति नहीं है तो वह पेश कैसे हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—वह मेज पर रख दी गई है इसलिये उनके पास नहीं है ।

इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के अधीन प्रख्यापित विनियम †

*गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मैं इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की धारा ८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा १६-ए, १६-बी, १६-सी, १६-ई, १६-एफ और १६-जी के अन्तर्गत विषयों के सम्बन्ध में बनाये गये एवं शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति संख्या ए-१-५३७५/१५--१६९२-५८, दिनांक २४ नवम्बर, १९५९ के अधीन प्रख्यापित विनियम को उक्त धारा ८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

† छापा नहीं गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, यह विज्ञप्ति २४ नवम्बर की है और २४ दिसम्बर तक पूरा एक महीना बीत गया । एक महीने तक यह चीज कहां गायब रही । इतने दिनों तक गायब रह कर इस बजट सेशन में यह चीज आ रही है । मंत्रियों को बराबर वार्निंग दी गई किन्तु ऐसा मालूम होता है कि नेग्लीजेन्स की एक प्रैक्टिस बनती जा रहीं है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जब यह विज्ञप्ति हुई तो उसके बाद सेशन जो दिसम्बर में २१ तारीख से हुआ वह केवल ८–१० दिन के लिये ही था । वह बहुत छोटा सेशन था । मैं चाहता था उसमें रखना किन्तु इसकी अवधि एक महीने की होती है, टेबिल पर रखने की, ताकि सदस्यगण इसको देख लें, तो उस समय मैंने यह सोचा कि अगले सेशन में इसको रख दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये १४ दिन का समय रहता है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह सेशन १४ दिन का भी नहीं हुआ था । मालूम हो गया था कि यह सेशन एक सप्ताह से अधिक नहीं चलेगा । इस कारण उसको नहीं रखा गया था । यदि आपकी आज्ञा होगी तो छोटा सेशन होने पर भी चाहे वह तीन दिन के लिये ही हो यह रख दी जाया करेगी ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा चाहे सदन ८ या १० रोज ही बैठे लेकिन नियम शीघ्र ही मेज पर रखे जाने चाहिये । फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें दोबारा भी रखने की आवश्यकता पड़े ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी बिनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४३११–आर–एस/१–क—१०७८–५८, दिनांक १४ दिसम्बर, १९५९ तथा संख्या ९४–आर–जेड/१–क—३५०९–५९, दिनांक १४ दिसम्बर, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष—यह भी १४ दिसम्बर की है ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—विलम्ब के कारणों की जांच कर के मैं उन्हें सदन को बतलाऊंगा ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन *

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० वी० आर ए–एम०२४–१५०७–वी/३०–८—एच–५९, दिनांक १४ नवम्बर, १९५९ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९५९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

* छापा नहीं गया ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इसमें १४ नवम्बर की तारीख है और बड़े अफसोस की बात है कि माननीय मंत्री महोदय कहीं विज्ञप्ति १ महीने के लिये मेज पर रखते हैं और कहीं १४ दिन के लिये । तो जब माननीय मंत्रियों को ही पता नहीं है कि इन विज्ञप्तियों को एक महीने के लिये मेज पर रहना चाहिये अथवा १४ दिन के लिये तो . . .

श्री अध्यक्ष--यह हर एक अधिनियम में दिया रहता है । तो यह समय उसी अधिनियम के अनुसार होगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर--१४ नवम्बर से १४ दिसम्बर तक एक महीना हो जाता है और इसलिये उसके बाद यह आ जाना चाहिये था । लेकिन इसके अनुसार तो ३० तारीख को ही हो जाना चाहिये थी . . . . .

श्री अध्यक्ष--आप समझे नहीं । इन विज्ञप्तियों को १४ दिन के लिये सदन की मेज पर रहना चाहिये जब से वे सदन की मेज पर रखी गयीं तब से । किसी-किसी अधिनियम में यह समय एक महीने का रहता है, लेकिन आमतौर पर १४ दिन की मियाद हर अधिनियम में मैंने देखी है । एक आध में शायद एक महीने की मियाद हो, लेकिन सदन की मेज पर वह शीघ्र ही आ जानी चाहिये । उसके लिये १४ दिन की मियाद नहीं है । अगर तीन, चार रोज के लिये ही सदन बैठता है तो भी नियमों को सदन की मेज पर आ जाना चाहिये । उसके लिये महीने भर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी देर हुई है । १४ नवम्बर को यह नियम बना, तो इन्हें दिसम्बर में सदन की मेज पर आ जाना चाहिये था । मैं समझता हूं कि परिवहन मंत्री जी इस विषय में जांच कर के सदन में देरी का कारण बतलायेंगे ।

***परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)**--अध्यक्ष महोदय, वस्तुतः बात यह है कि करीब-करीब ६,००० कापियां हर विज्ञप्ति की छपती हैं और गवर्नमेंट का प्रिंटिंग डिपार्टमेंट जो है वह प्रायरिटी के हिसाब से सब विज्ञप्तियों को छापता है । तो इसमें इसलिये देरी हुई है, मैं समझता हूं कि यह कहना सही नहीं है । क्योंकि १४ नवम्बर को यह बना और दिसम्बर में ७, ८ दिन के लिये ही असेम्बली चली और जितनी विज्ञप्तियां यहां पेश की गयीं हैं उन सबको देखते हुए किसी में देरी नहीं हुई है बल्कि ज्यों ही प्रेस से विज्ञप्तियां आयीं त्यों ही सदन के समक्ष वे प्रस्तुत की गयीं ।

श्री अध्यक्ष--माननीय परिवहन मंत्री यह कहते हैं कि विज्ञप्तियां जैसे ही प्रेस से आयीं वैसे ही हमने उन्हें पेश कर दिया, लेकिन यह विज्ञप्तियां जिस समय पब्लिक के लिये छपी होंगी उसी के साथ उनकी तादाद बढ़ायी जा सकती थी । आखिर यह विज्ञप्तियां बिना पब्लिक के जाने हुए तो निफाज में नहीं आतीं और उसी वक्त उसके साथ ही आपको यहां के लिये भी उन्हें छपवा लेना चाहिये ताकि उसी समय वे सदन के सामने रखी जा सकें और इस विषय में देरी न होने पाये । आइन्दा से इस बात का इंतजाम किया जा सकता है, क्योंकि आप शायद ५०, ६० हजार या एक लाख कापियां छपवाते होंगे, तो उनके साथ ही सदन के थोड़े से सदस्यों को उनकी कापियां न मिल सकें ऐसी बात नहीं है । मैं समझता हूं कि इसका इंतजाम हो सकता है ।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मैं मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने भीतर जो खामियां हैं उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाया । मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं, अगर प्रेस में इतनी कमी है आदमियों की, कागज की कमी हो या रोशनाई की कमी हो, अक्षरों की कमी हो तो उसके लिए जो बजट आ रहा है उसमें व्यवस्था होनी चाहिए या जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सप्लीमेंटरी बजट है उसमें आ जाना चाहिए था। तो उसका प्रबन्ध करें ताकि जो मुख्य काम है उसमें देर न हो और उनको भी कई बार तकलीफ उठानी पड़ती है वह न उठायी जाय।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---आपकी इजाजत से मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री जी ने फरमाया कि हम प्रायोरिटी के हिसाब से छापते हैं तो लेजिस्लेटिव असेम्बली जो सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है उसकी प्रायोरिटी इतनी कम समझी गयी . . . .

श्री अध्यक्ष---माननीय गेंदा सिंह का सुझाव रचनात्मक है। बजट के मौके पर इस सम्बन्ध में कुछ रुपया ज्यादा रख लीजिये तो ठीक हो जायगा। जिस वक्त विज्ञप्ति छपे या रूल्स बहुत से और निकलें तो और ज्यादा तादाद में उन्हें छापने का इंतजाम हो जाय तो अच्छा है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनको फिर समझा दें क्योंकि मुझे शक है कि वह समझे या नहीं। मैं एक शंका प्रकट कर रहा हूं। कोई १४ दिन कह रहा है और कोई १ महीना कह रहा है। तो आप स्पष्ट कर दें कि जो नियमावली २ प्रख्यापित करने की मंशा है वह अभी तक मंत्रीगण नहीं समझ पाये हैं। १४ दिन तक सदन की मेज पर रहे ही यह मकसद नहीं है। मकसद यह है कि उसके बाद जब सदन की बैठक बैठे उसमें तत्काल ही बटे। यह आप पूछ लीजिये कि वह समझे या नहीं।

श्री अध्यक्ष---मैं कोई इम्तहान थोड़े ही ले रहा हूं। वह तो मैंने स्वयं स्पष्ट कर दिया। आप कृपया बैठें।

श्री राजनारायण को कारावास के दंड एवम् जुर्माने की सजा के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---अब यह सूचना है। श्री राजनारायण ने तो कल दे ही दी थी। यह उनके सजा होने के बारे में है और चूंकि सजा होते ही यहां पर बेल देकर वे आ गये तो उन्होंने कल अपने भाषण में सूचना दे दी थी। यहां मेरे पास जो सूचना लिखित है वह संक्षेप में सुना देना चाहता हूं।

श्री राजनारायण जी को १८८ दफा में चार्ज किया गया था और उसमें वह अपराधी पाये गये। उन्हें तीन महीने की सख्त सजा और १,००० रुपया का जुर्माना हुआ और जुर्माना नहीं देने पर १ महीने की सजा और होगी।

श्री राजनारायण---वह भी सख्त है।

श्री अध्यक्ष---वह भी सख्त है, जिसमें कि काम करने पर छूट भी ज्यादा मिलती है। उन्होंने बेल एप्लीकेशन ४०६ दफा २ (ए) में दी और उनको इंटेरिम बेल दे दी गयी उस सेक्शन के अनुसार और वह अपील फाइल करेंगे। ऐपिलेट कोर्ट से वह आर्डर ले आयेंगे या फिर सरेंडर करेंगे।

लखनऊ विश्वविद्यालय में पी० ए० सी० की उपस्थिति से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अंतर्गत गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब यह नियम ५२ के अनुसार श्री नारायणदत्त तिवारी जी का एक प्रस्ताव यह है, वह मैं आपके सामने रखे देता हूं :—

"माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ५२ के अनुसार एक लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न, अर्थात् लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न परिस्थिति, जिसके कारण कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय में पी० ए० सी० को अनिवार्य रूप से भेजा गया, लखनऊ शहर में दफा १४४ लगायी गयी

[श्री अध्यक्ष]

और जिसके कारण छमाही परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अतः निवेदन है कि इसके लिए आज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे ।"

इसी विषय में मेरे पास और भी सूचानायें आई हैं और वे इस प्रस्ताव को उठाना चाहते हैं । यह कई सदस्यों की तरफ से आई हैं । उनमें कहीं-कहीं यह भी जिक्र कर दिया गया है कि एक विद्यार्थी अनशन भी कर रहा है । तो यह जो प्रस्ताव मैंने लिया है इसकी शब्दावली भी, मैं देखता हूं, निमयानुकूल है और मैं इसे ही ले लेता हूं । इस संबंध में मैं केवल प्रश्नों की इजाजत दे दूंगा और उसमें अनशन का भी जिक्र अगर कोई करना चाहें तो वह कर सकते हैं । तो इस संबंध में क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी अपना वक्तव्य आज देना चाहेंगे, या किसी दूसरे दिन ? सूचना अभी न होने पर वे किसी दूसरे दिन भी दे सकते हैं ।

*गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, आपकी आज्ञा हो तो जो सूचना मेरे पास है वह मैं अभी दे सकता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष--अगर आज आप सूचना देना चाहते हैं तो इस संबंध में सदस्य प्रश्न भी पूछेंगे । इसलिये अगर पूरी सूचना आपके पास हो तो आप दे दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैं सूचना अभी देना चाहता हूं . . . .

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम ५३ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी . . .

श्री अध्यक्ष--मैं उस पर विचार बाद में करूंगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्रीमन्, गत अधिवेशन में भी इस संबंध में भी काफी विचार-विमर्श हो चुका था । उसके बाद ९ दिसम्बर को वाइस-चान्सलर की ओर से ७ विद्यार्थियों को नोटिस दिया गया था । यूनिवर्सिटी के सारे मामलों में हस्तक्षेप करने का वाइस-चान्सलर को ही अधिकार रहता है । यह सरकार कहीं आती नहीं । तो जो सूचना मेरे पास है वह मैं दे रहा हूं । लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से ९ दिसम्बर को ७ विद्यार्थियों को नोटिस दिया गया कि तुम यह बताओ कि तुम्हारे खिलाफ अनुशासन-हीनता की कार्यवाही क्यों न की जाय, उन घटनाओं के लिये जो पहले हो चुकी हैं ? तो ९ दिसम्बर, १९५९ को यह नोटिस दिया गया और उनसे कहा गया कि ११ जनवरी तक वे अपना जवाब दे दें । उसके बाद ९ तारीख को लड़कों की एक मीटिंग होती है, ९ जनवरी को, और उन्होंने नोटिस मिलने के ऊपर बहुत क्रोध प्रकट किया और उनकी सभा वगैरह भी हुई, व्याख्यान भी हुये, और उसमें यह कहा गया कि १२ जनवरी तक अगर विश्वविद्यालय खोला नहीं जायेगा तो फिर वे डाइरेक्ट एक्शन लेंगे और ताले वगैरह तोड़ कर उसके भीतर घुसने का प्रयास करेंगे ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या इस तरह का कोई उनका प्रस्ताव था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह उन्होंने अपने व्याख्यानों में कहा था कि १२ तारीख तक अगर विश्वविद्यालय नहीं खोला जायेगा तो वे प्रत्यक्ष कार्यवाही करेंगे और ताले वगैरह तोड़कर भीतर घुसेंगे । ७०० विद्यार्थियों की सभा ११ तारीख को फिर हुई, यूनियन हाल के सामने जिसमें यह नोटिस दिये जाने की कार्यवाही की निन्दा की गयी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनके नेता लोग रजिस्ट्रार के आफिस में गये और उन्होंने यह कहा कि यदि विश्वविद्यालय नहीं खोला जायगा तो वे हर तरह की कार्यवाही करेंगे उसका परिणाम जो कुछ भी होगा, चाहे गोली तक चल जाये, वे उसको भुगतने के लिये तैयार रहेंगे ।

१४ जनवरी को बात है, फिर विद्यार्थियों की यूनियन हाल में सभा हुई और उसमें उन्होंने यह तय किया कि अब हम प्रत्यक्ष लड़ाई छेड़ेंगे और शहर भर के तमाम इंस्टीट्यूशन्स में हड़ताल करावेंगे, शिक्षा संस्थाओं को और बाजार को बन्द करावेंगे और सिनेमाघरों को भी बन्द करावेंगे । १५ जनवरी को ७ विद्यार्थियों के निष्कासन का आदेश भेज दिया गया वाइस-चांसलर की ओर से, और उसके साथ-साथ वाइस-चांसलर ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, लखनऊ को लिखा कि हमें भय है कि शांति भंग होगी और यूनिवर्सिटी से इन लड़कों के निष्कासन के होने के कारण उपद्रव मचेगा और यूनिवर्सिटी की सम्पत्ति और यूनिवर्सिटी के अन्दर रहने वालों के लिये भी खतरा पैदा होगा, इसलिये आप कृपा करके यहां के संरक्षण का इंतजाम कीजिये और यहां की जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिये । यह पत्र भी वाइस-चांसलर ने डी० एम०, लखनऊ को लिखा । फलतः डी० एम०, लखनऊ ने पी० ए० सी० को यूनिवर्सिटी की सम्पत्ति और भीतर की इमारतों इत्यादि की सुरक्षा के लिये वहां पोस्ट किया और चूंकि विद्यार्थियों की ओर से यह कह दिया गया था कि हम शहर भर में हड़ताल वगैरह करावेंगे, दुकानों को बन्द करावेंगे, उन्होंने सी० आर० पी० सी० १४४ भी लागू कर दी और यह आदेश दिया कि ५ से अधिक आदमियों की कोई असेम्बली न हो, प्रोसेशन, जुलूस वगैरह कोई न निकाले जांय, मीटिंग वगैरह न की जांय ।

१६ जनवरी को विद्यार्थियों ने हजरतगंज में एक मीटिंग की और जुलूस भी निकाला दफा १४४ को तोड़ते हुये । १५ विद्यार्थी उसमें गिरफ्तार किये गये । १७ तारीख को फिर उन्होंने अमीनाबाद में १४४ भंग की और १८ तारीख को दफा १४४ भंग करने की कोशिश की गई और दो लोकल कालेजेज में हड़ताल भी कराई गई और यहां जो मंकी ब्रिज कहलाता है वहां पर यह प्रोसेशन लेकर चले और यूनिवर्सिटी कैम्पस के पास जाने की कोशिश की । इसमें करीब १,००० विद्यार्थी शरीक थे । इस कार्यवाही पर गिरफ्तारी हुई, ११ विद्यार्थी यूनिवर्सिटी गेट के पास पकड़े गये, दो हजरतगंज में पकड़े गये और ५ कैसरबाग में पकड़े गये । इस प्रकार विद्यार्थियों की गिरफ्तारी हुई । मंकी ब्रिज पर जिस तरफ पुलिस पोस्टेड थी, उस तरफ जुलूस पहुंचा, ढेले भी फेंके गये लेकिन कोई और दुर्घटना नहीं हुई और गिरफ्तारियों का मामला शांत हुआ ।

१९ तारीख को फिर लोकल कालेजेज में हड़ताल कराई गई और दफा १४४ के भंग करने के अन्तर्गत ३७ गिरफ्तारियां हुईं । २० तारीख को पुनः ३४ विद्यार्थी इसी अपराध में गिरफ्तार किये गये । इस प्रकार २० तारीख तक यह किस्सा चलता रहा । २१ तारीख को श्रीमन्, गवर्नमेंन्ट बसेज और पुलिस वेहिकिल्स के ऊपर ढेले फेंके गये । चारबाग स्टेशन की एक बस जोकि छात्रों को लेकर आई० टी० कालेज जाती है उस पर ढेले फेंके गये और उसको रोकना पड़ा । ६ विद्यार्थी इस प्रकार ढेले फेंकने और उपद्रव करने में २१ तारीख को गिरफ्तार किये गये । १३ विद्यार्थी दफा १४४ तोड़ने में भी गिरफ्तार किये गये, यह २१ तारीख की घटना है ।

इसके बाद तारीख २२ को पुलिस गाड़ियों के ऊपर और जहां-जहां पुलिस पोस्टेड थी, ढेले चलाये गये जिसमें पुलिस वालों को चोट भी लगीं । इस सिलसिले में फिर १४ गिरफ्तारी हुईं इसके बाद २२ तारीख को ही ६ विद्यार्थी दफा १४७, १५२, ३२३ आई० पी० सी० में गिरफ्तार किये गये । २३ तारीख को विद्यार्थियों के आन्दोलन की उग्रता और वेग कम हुआ । ७ विद्यार्थी दफा १४४ तोड़ने के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये हजरतगंज में । इसी दिन दफा १४४ तोड़ने में माननीय राजनारायण जी भी अमीनाबाद में गिरफ्तार किये गये और २४ तारीख को श्री सोहनलाल जी दफा १४४ तोड़ने में गिरफ्तार हुए । २५ को कोई घटना नहीं हुई । उसी रोज गार्जियन एसोसियेशन नाम की बनी समिति के कुछ सदस्य और श्री मोहनलाल

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सक्सेना, जो विद्यार्थी गिरफ्तार हुए थे और जिनमें ७ निष्कासित विद्यार्थी थे, उनसे कदाचित जेल में मिले। उसके बाद यह स्टेटमेंट इश्यू किया गया कि जो लोग गिरफ्तार है उन्होंने यह तय किया है कि बाहर का आन्दोलन बंद कर दिया जाय और गार्जियन एसोसियेशन के ऊपर अपनी मांगों को देखने की जिम्मेदारी छोड़ दी जाय ताकि वे विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मिल कर विश्वविद्यालय को खुलवाने की कोशिश करें।

२६ तारीख को दफा १४४ हटा ली गयी। उस रोज स्वतंत्रता दिवस था। उस रोज विद्यार्थियों ने यह मांग की कि यूनियन हाल पर वे झंडा लगाना चाहते हैं। वाइस-चांसलर ने इस मांग को स्वीकार कर लिया कि वे जलूस लाकर झंडा लगायें। यूनियन हाल से पी० ए० सी० भी हटा ली गयी। २६ तारीख को यूनियन हाल के सामने सभा भी हुई। वाइस-चांसलर ने झंडा भी लगाया। वाइस-चांसलर ने बाद में कहा कि वहां जो व्याख्यान हुए उनसे उन पर यह असर हुआ कि अब यह मामला शांत हो रहा है और झगड़ा विशेषरूप से होने वाला नहीं है। उन्होंने इसके बाद यह भी घोषणा की कि ३ फरवरी से विश्वविद्यालय खोल दिया जायगा और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह भी लिखा कि अब चूंकि शांति की आशा है इसलिये पी० ए० सी० को हटा लिया जाय। पी० ए० सी० हटा ली गयी और ३ तारीख से विश्वविद्यालय की कई फैकल्टीज भी खुल गयीं।

विश्वविद्यालय के खुलते ही, मेरे पास जो सूचना आई है उसके अनुसार स्थिति यह है कि ३ फरवरी को ही ज्यों हीं विश्वविद्यालय खुला, उन निष्कासित विद्यार्थियों के नेतृत्व में, जो एक प्रकार से विश्वविद्यालय के छात्र भी नहीं हैं एक सभा करके यह मांग की कि ला और एम० एस० डब्लू० की परीक्षाएं स्थगित की जायं। और यह भी उन्होंने मांग की कि हमारी जो पुरानी मांगें हैं उन तमाम मांगों को मंजूर किया जाय। ३ तारीख को विश्वविद्यालय खुला और उसी रोज यह बात हुई। ४ फरवरी को फिर उन्होंने एक मीटिंग की और वाइस-चांसलर से यह कहा कि ला का एक्जामिनेशन रोक दिया जाय। वाइस-चांसलर का ४ तारीख का स्टेटमेंट मौजूद है, अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं उसे पढ़ दूंगा। उन्होंने एक्जामिनेशन पोस्टपोन भी कर दिया है। विद्यार्थियों ने हजरतगंज में एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर को काफी कड़ी-कड़ी बातें भी कहीं तथा और लोगों को भी कहीं। ६ फरवरी को यनियन की एक्जीक्यूटिव कौंसिल के आफिस बेयरर्स ने एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव में उन्होंने यह लिखा कि अगर ८ फरवरी के १२ बजे तक हमारी मांगें स्वीकार नहीं की जायेंगी तो इसका जो परिणाम होगा उसके लिये अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उस रेज्योलूशन में उन्होंने यह एक धमकी दी कि जिन विद्यार्थियों को निकाला गया है उन विद्यार्थियों को तुरन्त ले लिया जाय, नहीं तो मांगों के अस्वीकार करने का जो नतीजा होगा उसके लिये फिर यूनियन जिम्मेदार नहीं होगी। और अब यह सूचना मिली है श्रीमन् कि अभी कल से वहां एक विद्यार्थी यूनियन हाल के सामने भूख-हड़ताल पर भी बैठ गया है।

जहां तक पी० ए० सी० के भेजने की बात है उस सम्बन्ध में भी प्रस्ताव में ऐसा कहा गया है कि उसे अनावश्यक रूप से भेजा गया। यह आवश्यक था या अनावश्यक था, यह जिम्मेदारी वाइस-चांसलर की थी। उन्होंने यह लिख कर भेजा कि हमें इस बात का खतरा है कि यूनिवर्सिटी में उपद्रव मचेगा और इसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचेगी, इसलिये आप शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये तुरन्त प्रबन्ध करें। उनके कहने पर ही पी० ए० सी० को वहां भेजा गया और जिस दिन उन्होंने कहा कि अब पी० ए० सी० की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा लिया जाय उसी दिन पी० ए० सी० को घंटा डेढ़ घंटे के अन्दर ही हटा लिया गया। उनके हटने के बाद और विश्वविद्यालय के खुलने पर ३ तारीख को ही एक घटना हुई। इससे मान्यवर, प्रत्यक्ष है कि वहां की क्या स्थिति है। विद्यार्थियों ने कल वाइस-चांसलर को लिखा है और उनके सामने मांग पेश की कि निकाले हुए लड़कों को वापस लिया जाय और तुरन्त जांच-समिति बैठायी जाय नहीं तो भूख-हड़ताल होगी। कल दो बजे दिन में विद्यार्थियों ने वाइस-चांसलर

को यह नोटिस दी, यह सूचना मेरे पास है, कि तमाम हमारी मांगें मंजूर की जांय और ३ बजे से वहां भूख-हड़ताल शुरू कर दी गयी। एक विद्यार्थी भूख-हड़ताल कर रहा है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या इस बात को देखते हुए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थिति पूर्ण रूप से सन्तोषप्रद तरीके से सुलझ गयी है और इस बात को देखते हुए कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर वहां जल्दी ही छमाही परीक्षा उनकी नहीं हो पायी और इस बात को भी देखते हुए कि जो सात छात्र निकाले गये हैं उनको वापस ले लेने से स्थिति में सुधार होने की पूर्ण सम्भावना दिखलायी पड़ती है जैसा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ है, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी यह विषय आन्तरिक मसला होते हुए भी यूनिवर्सिटी का, स्वयं यह प्रयत्न करेंगे छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके, गार्जियन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों श्री मोहनलाल सक्सेना, श्री हैदर हुसैन श्री पुलिन बिहारी बनर्जी वगैरह-वगरह से बातचीत करके कि जल्दी ही इस विश्वविद्यालय में उन विद्यार्थियों को स्थान दिया जाय जिससे यहां शान्ति का वातावरण स्थापित हो सके और उनकी छमाही परीक्षा भी समय पर हो सके ?

*श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है वह इस बीच में आती नहीं है। सरकार यह चाहती है कि शिक्षा संस्थाओं में शान्ति बनी रहे। इस प्रकार की अनुशासनहीनता के कारण और उपद्रव के कारण पढ़ाई में बाधा होती है और प्रदेश के नागरिकों को भी जहां ऐसी घटना होती है, वहां शान्ति और व्यवस्था में दिक्कत पैदा होती है तथा इससे इस प्रदेश को बदनामी भी होती है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है वह इस बीच में आती नहीं है। प्रयाग विश्वविद्यालय का जहां तक सम्बन्ध है वहां के वाइस-चांसलर और छात्रों ने मिल कर कुछ मामले तय किये हैं। इतना स्पष्ट है कि सरकार ऐसा अवश्य समझती है कि यदि किसी प्रकार की अनुशासनहीनता हो तो वह सहन न की जाय और यदि विश्वविद्यालयों के अधिकारी, अपने घर का उन का मामला है, किसी प्रकार से अपने मामले हल करना चाहते हैं तो वह करें, उसमें सरकार न इधर हस्तक्षेप करती है न उधर करती है सिवा इसके कि कभी उनकी तरफ से अगर मांग होती है कि विश्वविद्यालय की या उसकी सम्पत्ति की रक्षा सरकार करे तो वह शान्ति व्यवस्था के लिये हम कर देते हैं और इस तरह से सरकार सहायता कर देती है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार को यह मालूम है कि स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर्स और वाइस-चांसलर किसी फार्मूले पर सहमत हैं और उन्होंने समझौते का एक रास्ता मंजूर भी कर लिया है लेकिन वहां के कुछ दूसरे अधिकारी उसको पूरा नहीं होने दे रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है, माननीय सदस्य को कोई ऐसी सूचना होगी।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार जानती है कि गार्जियन्स कमेटी ने समझौता कराने की कोशिश की लेकिन वह नहीं हो सका, तो क्या सरकार आनरेबिल मेम्बरान की एक सब-कमेटी बना देगी जो इस मसले पर विचार करे और ऐसा रास्ता निकाले जिससे वहां के कर्मचारी-वृन्द और लड़के शांत हों ?

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न की मैं इजाजत नहीं देता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखना सरकार का कर्तव्य है, सरकार इस बात पर विचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

करेगी कि जो कारण शान्ति भंग होने के हो सकते हैं उन कारणों को दूर करने के लिये, वह ऐसा प्रयत्न करे सहयोग और सद्भावना से, इस समस्या को सुलझाने में अपना सहयोग दे सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि सरकार कहीं बीच में आती नहीं और शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने में सरकार सदा सहायता देती रही है और उचित प्रबन्ध भी करती रही है लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि कोई भी कारण हों, यदि वस्तुतः किसी भी शिकायत पर या किसी शिकायत को दूर करने के लिये कानून को हाथ में लेने को कोशिश की जायगी तो समझौते का प्रश्न नहीं रहेगा बल्कि कानून को तोड़ने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायगी ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब ९ दिसम्बर को इन घटनाओं के लिये विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से खेद प्रकट कर दिया था तब उस के बाद विद्यार्थियों को निकालने की क्या आवश्यता पड़ी और उनको क्यों निकाला गया ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह विश्वविद्यालय की आन्तरिक व्यवस्था का प्रश्न है । यह वाइस-चांसलर से पूछा जा सकता है, गृहमंत्री से नहीं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं पहले तो थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं. . . .

श्री अध्यक्ष—लेकिन नियम के अनुसार ही आप को बोलना है. . .

श्री राजनारायण—जी हां, उसके अनुसार ही बोलूंगा. . .

श्री अध्यक्ष—वैधानिक प्रश्न है क्या. . . .

श्री राजनारायण—हां, वैधानिक प्रश्न के जरिये से ही कहना है कि जो दफा ५२ के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मंत्री जी ने दिया है वह एक घटना का नहीं है. . .

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछें जिसका आप स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

श्री राजनारायण—आप यह देखें कि ९ जनवरी से लेकर आज तक की सारी घटनाओं का विश्लेषण किया है जिसमें अनेक प्रश्न आ रहे हैं । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब सरकार को यह अवसर प्राप्त हो गया कि येन केन प्रकारेण एक पक्ष को जितनी खूबी से रखना चाहिये उसे रख दें तो दूसरे पक्ष को प्रश्न के जरिए इतना अवसर अवश्य दें, ताकि वस्तुस्थिति का ज्ञान सदन को हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये तो आप नियम ५३ के अनुसार यह बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं और उसके ऊपर विचार हो सकता है । लेकिन इस समय तो आप सिर्फ प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिलाधीश ने १६ तारीख को १४४ सी० आर० पी० सी० का आदेश भी निकाला जिसका सीधा सम्बन्ध सरकार से है, १४४ का आदेश विश्वविद्यालय के अधिकारी नहीं निकालते हैं. . . .

श्री अध्यक्ष—आप स्पष्ट प्रश्न पूछिए ।

श्री राजनारायण—उस आदेश में कहीं भी नहीं लिखा है कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अशान्ति है या विश्वविद्यालय के अधिकारी चाहते हैं । उसकी कापी हमने मंगा ली है । इसमें लिखा है :—

"Whereas owing to the existence of a great emergency it is immediately necessary to impose certain restrictions in order to prevent disturbances in the peace, to ensure the maintenance of law and order and to safeguard the

public property in Lucknow Municipality and Cantonment and Notified Areas of Alambagh.....".

तो क्या सरकार को इसकी जानकारी है और सरकार ने किसी भी स्थल पर इसको समझने की कोशिश की है कि १४४ का कानून क्या है....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहस कर रहे हैं। आप प्रश्न पूछिए।

श्री राजनारायण—क्या सरकार ने इस बात को जानने की कोशिश की कि १४४ का आदेश किन परिस्थितियों में निकाला जा सकता है ? क्या जिलाधीश ने यह जानने की कोशिश की और उस आर्डर में लिखने की कोशिश की ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि सरकार ने १४४ का आदेश नहीं निकाला। स्थानीय शासन चलाने वाले जिलाधीश को इस विषय में अधिकार है कि वह निकाले। इस सूचना के बाद सरकार से यह प्रश्न नहीं हो सकता कि सरकार ने जांच की या नहीं। जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट की है पूरी और उसने निकाला। आप उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो पूछें।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि विश्वविद्यालय में पी० ए० सी० क्यों गई ? इस सम्बन्ध में २६ जनवरी को उपकुलपति जी ने जो अपना वक्तव्य दिया और जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि भविष्य में यह भी साफ हो जाएगा कि पी० ए० सी० क्यों गई ? इसका रहस्य अपने आप खुल जायेगा। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि उप-कुलपति जी को मजबूर किया गया कि वे पी० ए० सी० की मांग करें।

श्री अध्यक्ष—यह तो कोई समझ में बात नहीं आई।

श्री राजनारायण—उप-कुलपति महोदय ने कहा कि लोग कहते हैं कि पी० ए० सी० को हमने मांगा। तो आगे की घटनाओं से यह स्पष्ट हो जायगा कि पी० ए० सी० विश्वविद्यालय में क्यों आई। क्या सरकार को उनके इस वक्तव्य का ज्ञान है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनकी मांग पर—जो पत्र मौजूद हैं—यह हुआ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उन्होंने मांग की कि शान्ति और सुरक्षा की जाय.....

श्री अध्यक्ष—आप पत्र पढ़कर सुना दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनकी इस मांग पर वहां यह व्यवस्था की गई।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपने कहा कि पत्र पढ़कर सुना दें तो वह पत्र पढ़ दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—पत्र की नकल तो इस वक्त यहां नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—जैसा कि माननीय मंत्री जी न कहा कि वह स्वयं चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के अन्दर शान्ति हो, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए और गार्जियन्स एसोसियेशन के बयान को ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थियों ने अपने अशोभनीय कार्यों के लिये खेद प्रकट किया है और सहयोग की भावना से उनके साथ कोआपरेट कर रहे हैं, उन केसेज को उठाने की कृपा करेगी जो छात्रों पर या अन्य लोगों पर इस सम्बन्ध में चलाये गये थे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप आगे की कार्यवाही के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे, क्या नीति है। वाकयात के बारे में जानकारी आप हासिल नहीं कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार उन केसेज को उठाने पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका तो कोई प्रश्न हमारे सामने नहीं है । कानूनी मामला है, कानून अपने ढंग से चलेगा ।

एक बात और कहना चाहता था कि पत्र तो मेरे पास नहीं है लेकिन रजिस्ट्रार की रिपोर्ट मेरे पास है उससे इतना पता लगेगा कि पुलिस क्यों बुलायी गई ।

"As there was imminent danger of damage and loss to life and property in the University, it was decided to seek the protection of the district authorities."

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—जैसा कि मंत्री जी ने कहा यूनिवर्सिटी के मामले में सरकार बीच में नहीं आती परन्तु इस बात को देखते हुए कि दो बयान आये, एक श्री दरबारीलाल जी का और दूसरा श्री त्रिवेदी जी का, जिसमें बताया गया कि विद्यार्थी कहने को मानने को तैयार थे परन्तु यूनीवर्सिटीज अथारिटीज का रवैया ठीक नहीं था । क्या गार्जियन्स की ऐसोसियेशन यूनीवर्सिटी के रवैये से संतुष्ट है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझसे तो गार्जियन्स ऐसोसियेशन के किसी सदस्य से भेंट नहीं हुई ।

श्री राजनारायण—प्रश्न स्पष्ट है कि समाचार-पत्रों में बयान आया है श्री मोहनलाल सक्सेना जी का आज से दो दिन पूर्व दिल्ली से जिसमें उन्होंने बहुत ही आश्चर्य प्रकट किया कुलपति के उस बयान पर जिसमें उन्होंने लांछन लगाया था कि विद्यार्थी पुनः उद्दंडता दिखाने के लिये तैयार हैं । और उन्होंने कहा था कि विद्यार्थी पूर्णतः अनुशासित हैं । तो क्या सरकार को उनके वक्तव्य की जानकारी है जो श्री मोहनलाल सक्सेना जी ने दिल्ली से दिया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास वाइस-चांसलर का स्टेटमेंन्ट है और कोई स्टेटमेंट मेरे पास न आया और किसी ने भेजा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार के सदस्य सम्भवतः मनुष्य भी है और मनुष्य की हैसियत से गार्जियन्स भी है, मंत्री जी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि यह समस्या शान्तिपूर्वक सुलझ जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हार्दिक कामना है कि शान्तिपूर्वक सुलझ जाय ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मंत्री जी यह देखते हुए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में सारे प्रान्त के छात्र हैं और इनकी शिक्षा से सारे प्रान्त के अनुशासन और शिक्षा पर असर पड़ा है तो क्या सरकार विशेष कदम उठाने की सोच रही है या केवल हार्दिक कामना से ही समस्या को सुलझाना चाहती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—समझ नहीं पा रहा हूं कि अब इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं । यूनिवर्सिटी का मामला है, वहां एग्जीक्यूटिव काउन्सिल है, वाइस-चांसलर हैं उनको पूरा अधिकार है, सरकार उनको किसी मामले को हल करने में रोकती नहीं है और न सरकार हस्तक्षेप ही करती है । सरकार सिवाय हार्दिक शुभकामनाओं के अलावा और कर ही क्या सकती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि एक विद्यार्थी अनशन कर रहा है उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार चाहेगी कि उसकी रक्षा की जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे नहीं उठता ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—शिक्षा मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालय में जो हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं उसका असर प्रदेश के गार्जियन्स पर पड़ा

है और सरकार का कर्तव्य जन-समाज को सुखी बनाना है तो सरकार की ओर से इस दृष्टि स कितने प्रयत्न हुए कि इस मामले को सुलझाया जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह भी प्रश्न नहीं उठता ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि विश्वविद्यालय के अधिकांश विद्यार्थी शांति चाहते हैं और विश्वविद्यालय चाहता है कि कार्य का संचालन हो लेकिन कुछ विद्यार्थी जो कि बाहर के कारणों से प्रभावित हैं वे वहां उपद्रव पैदा कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से विश्वविद्यालय में शांति नहीं होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ऐसा भी कहा जाता है । यह सूचना भी मिली है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री को इस बात की भी गंभीर शिकायत मिलीह है कि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो जानबूझकर इस मामले को बढ़ा रहे हैं और चाहते शांति न हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी तो कोई सूचना मेरे पास नहीं है प्रत्युत इसके विपरीत ऐसी सूचना है कि सभी अध्यापक यह समझते हैं कि इस प्रकार की अनुशासनहीनता जो फैली हुई है इसको किसी न किसी प्रकार से दबाने की आवश्यकता है ?

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार को मालूम है कि अनशन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और बढ़ने वाली है और पब्लिक में असंतोष बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब इसको समाप्त करना चाहिये ।

श्री राजनारायण—मुझे भी मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं ।

श्री राजनारायण—हम तो भुक्तभोगी हैं ।

श्री अध्यक्ष—तो क्या हुआ ।

श्री राजनारायण—मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं ।

कतिपय विधेयकों पर विचारार्थ कार्यमंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना दे रहा हूं । कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी ९ फरवरी, १९६० की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों पर सामान्य विवाद, खंडशः विवाद तथा उनके पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय :—

१—नार्दन इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९	१ घंटा
२—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९ ..	१ घंटा

३—उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९ .. .. ११-२-६०तथा १३-२-६०

अपराह्न साढ़े ३ बजे तक (विधायी कार्य के लिये उपलब्ध सब समय) ।

श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह कि कार्यमंत्रणा समिति ने जो समयदिया जिसकी कि आपने घोषणा की, १३-२-६० को अपराह्न साढ़े ३ बजे तक, यह शनिवार का दिन है और सदन ने कोई ऐसा प्रस्ताव पास नहीं किया है कि शनिवार के दिन बैठक होगी । मैं स्वयं नहीं समझता कि कार्य मंत्रणा समिति को कितना अधिकार है कि शनिवार के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले ले ।

श्री अध्यक्ष—इसीलिये "उपलब्ध सब समय" ही रखा है । आप उपलब्ध नहीं करायेंगे तो कोई दूसरा दिन लिया जायगा ।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)— जब कार्य मंत्रणा समिति बैठी थी तो क्या यह सही है कि उसमें से कुछ सदस्य वाक आउट कर गये ?

श्री अध्यक्ष—यह तो राजनीति के अन्दर की बातचीत है, सदन में उसे नहीं लाना चाहिये ।

कतिपय विधेयकों पर विचारार्थ कार्यमंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण के सम्बन्ध में संकल्प

संसदीय विषयक उप मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन नार्दन इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९ तथा उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९ पर, विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं इसका विरोध करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—उसका विरोध नहीं होता है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने कार्यमंत्रणा समिति का एक प्रस्ताव है...

श्री अध्यक्ष—क्या इसमें आप कोई संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री गौरीशंकर राय—जी नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—विरोध तो इस तरह नहीं हो सकता । पुनर्विचार के लिये आप इसको भेज सकते हैं। आप कृपया बैठिये ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, जो प्रस्ताव रखा गया है वह पुनर्विचार के लिये उस कमेटी को भेज दिया जाय और इसके कुछ कारण मैं आपके सामने रख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देना चाहता हूं। बिजनेस कमेटी की तरफ से अभी जैसा रखा गया है उसमें आप देखें कि एक बहुत ही आवश्यक नार्दन इंडिया फेरीज विधेयक है। इसके लिये केवल १ घंटा ही दिया गया है।

यह समय इतना कम है कि एक घंटे में कभी भी कोई नया विधेयक जिससे कुछ संबंध ग्रामीण क्षेत्रों का भी हो उस पर विवाद नहीं किया जा सकता। दूसरा एक विधेयक अनर्हता निवारण के सम्बन्ध में है। इस पर भी काफी विवाद हो सकता है।

आप जरा देखें कि सदन की बैठक के सम्बन्ध में जो नीति सरकार की है वह एक विचित्र प्रकार की है। कभी कभी बैठकों की जो सूचना पहले दे दी जाती है उसमें हमेशा सरकार हेर फेर कर लिया करती है। मुझे पूरी तरह से याद है कि मुख्य मंत्री जी ने जब पिछली बैठक को स्थगित किया था तो ये शब्द कहे थे कि बसन्त पंचमी के करीब ही हाउस को बुलायेंगे। इसके माने यह हुये कि २ या ३ तारीख को बुलाने का इरादा था। लेकिन उसको बढ़ा कर ९ तारीख को बुलाया गया। ६ दिन यों ही बढ़ा दिये गये और वही ६ दिन इस तरह से आवश्यक विधेयकों पर विचार विनिमय में से काट कर पूरा करना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब दिसम्बर में अधिवेशन बुलाया गया तो उस समय भी जो तारीख मुकर्रर थी उसके १५–२० दिन बाद तारीख स्थगित कर दी गयी। तो आखिर हम लोगों को उतना समय तो मिलना चाहिये कि हम ठीक तरह से विचार विनिमय कर सकें, लेकिन उसमें भी कमी कर दी जाती है। जो हमारी बिजिनेस कमेटी है उसमें भी बहुमत की बात . . .

श्री अध्यक्ष—आप समिति के विषय में कुछ नहीं कह सकते।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सारा मसला उस समिति के पास फिर भेज दिया जाय और समय का बंटन इस प्रकार हो कि जिससे काफी समय विचार विनिमय के लिये मिल सके।

*श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि कार्यमंत्रणा समिति का जो सुझाव है वह पुनः उसके पास भेजा जाय। इसके सम्बन्ध में मैं कुछ दूसरे कारण देना चाहता हूं। साधारणतया कार्यमंत्रणा समिति को सरकार ऐसी मजबूरी में रख देती है कि उसको अपना फैसला जिस प्रकार करना चाहिये उस तरह से न करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। कार्य-मंत्रणा समिति को यह सूचना उस दिन या एक दिन पहले संध्याकाल को दी जाती है कि इतने दिन हैं और ये बिल हैं, इनके लिये समय बंटन कर दो। अगर एक महीना पहले हाउस का बिजिनेस उसे मालूम हो जाया करे तो सदस्यों की सुविधा के अनुसार वह समय को निश्चित कर सकती है। लेकिन उसे सरकार की सुविधा के मुताबिक और किन्हीं मजबूरियों में काम करना पड़ता है। कल की कार्यमंत्रणा समिति में पहला अवसर रहा कि हम जैसे लोगों को समिति से उठ कर चला आना पड़ा। कार्यमंत्रणा समिति को ऐसी स्थिति में सरकार रख देना चाहती है कि वह उनके डिक्टेट्स को माने, नहीं तो सदन से पास करा लेंगे। अल्पमत और बहुमत का प्रश्न उस कोरम से भी साबित हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उसके अन्तर्गत जो बातें हों . . . . . .

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, बिजिनेस कमेटी का मैं एक सदस्य हूं। वहां मैं नहीं रहा, एक बात इस सम्बन्ध में कहना है।

श्री अध्यक्ष—उसकी सीक्रेसी तो आपको रखना ही चाहिये।

श्री गौरीशंकर राय—कार्यमंत्रणा समिति की बात मैं नहीं करता हूं लेकिन . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—आपको पूरा अधिकार है विरोध करने का।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, हमारा अधिकार निश्चित रूप से है लेकिन जो काम होता है उसके लिये परम्परा है कि बिजिनेस कमेटी में विवाद न हुआ करे। लेकिन जब बहुमत का दबाव होता है तो सर्वसम्मति से काम नहीं हो पाता है। मैं समझता हूं कि हम लोग जब इसका विरोध करते हैं तो इसको दबा नहीं दिया जायगा। इस तरह का प्रस्ताव हर साल ला दिया जाता है। सरकार इसके लिये हाउस को पांच दिन पहले बुला सकती थी। इन तथ्यों को सामने रखते हुये मैं चाहता हूं कि इसको पुनः कार्यमंत्रणा समिति को लौटाया जाय और १३ तारीख को जो बिल है उसको इसमें से हटा दिया जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस प्रस्ताव के केवल एक अंश की ओर दिलाना चाहता हूं जो १३ तारीख के कार्य-क्रम से संबंध रखता है। जो प्रस्ताव श्री नरेन्द्रसिंह जी विष्ट ने प्रस्तुत किया है उसमें उल्लेख किया गया है कार्य मंत्रणा समिति की सूचना का। उसमें जिक्र है कि १३-२-६० को साढ़े तीन बजे तक। तो यह एक इन्फरेन्स निकालना है। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ९३ (३) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें न कोई तर्क होगा, न कोई अर्थ निकाला जायगा और न कोई इन्फरेन्स निकाला जायगा। इस प्रस्ताव में एक अर्थ निकाला जा रहा है मानों यह हाउस से स्वीकृत हो गया है। इसलिये यह प्रस्ताव का अंग नहीं बन सकता है। मैं जरूर चाहूंगा कि इसको पुनर्विचार के लिये भेजा जाय। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ तो कैसे यह सदन इसकी स्वीकृति दे सकता है जब उसने इसे स्वीकार ही नहीं किया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कार्यमंत्रणा समिति का सदस्य होने के नाते मेरा भी कर्तव्य है कि मैं कुछ निवेदन करूं। माननीय अवस्थी जी ने जो सुझाव दिया है वह सही है। श्रीमन्, आपको ज्ञात है और बिजिनेस कमेटी के सदस्यों को मालूम है कि जब कई महत्वपूर्ण कार्य आये तो इसकी बैठक नहीं हुई और जब इसकी बैठक हुई तो यह कार्यक्रम हमारे सामने चला आया। एक घंटे का समय बिलकुल नाकाफी है और मैं मांग करता हूं कि इसके लिये काफी समय दिया जाय। वहां भी मैंने कहा था और मैं बैठक से बाहर निकल आया और आज भी कहता हूं कि हमारे शनिवार कतई न लिये जायं क्योंकि यह परम्परा बनती चली जा रही है और हर साल इस तरह का प्रस्ताव सरकार की ओर से लाया जाता है। इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि शनिवार न काटे जायं और जो बिल १३ तारीख को रखे गये हैं वह हटा दिये जायं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जिस वैधानिक आपत्ति की ओर संकेत किया है उसको दूर करने के लिये क्या यह उचित नहीं होगा कि उस प्रस्ताव को पहले ले लिया जाय और श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है उसको बाद में लिया जाय। यदि ऐसा किया जाय तो औचित्य का भी पालन हो जायगा और हानि भी कुछ नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मैं राय लेने के लिये ऐसा ही करने वाला हूं।

श्री पालीवाल जी ने जो सुझाव दिया है उसी को स्वीकार कर रहा हूं। मंत्री जी का भाषण हो जाय उसके बाद मैं राय तब लूंगा जब यह शनिवार को बैठक होने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जायगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, पारसाल भी मेरा सुझाव था कि यह जो शनिवार का दिन है इस दिन सदन बैठना चाहिये, क्योंकि श्रीमान् जी लाखों रुपया जनता की जेब से जाता है और हम लोग बैठे रहते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि सदन आठ महीने चलना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिये और जनता की हर एक बात सदन के सामने आनी चाहिये। यह मेरा सुझाव है कि शनिवार के दिन सदन अवश्य बैठे। इससे जनता का जो पैसा खर्च होता है और हम लोग बैठे रहते हैं, तफरीह करते रहते हैं। वह बचेगा। हम जनता से चुनकर यहां आये हैं। मेरा यह पारसाल का सुझाव है, आज का नहीं है। यह सरकार का समर्थन नहीं है, किसानों का समर्थन है जिनकी जेब से पैसा आता है। इसलिये शनिवार को सदन अवश्य बैठना चाहिये।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—मैंने अभी विरोधी दल के कई वक्ताओं के भाषण सुने। समय के बारे में मुझे यह कहना है कि इन बिलों को अगर माननीय सदस्यगण पढ़ेंगे तो नार्दर्न इंडिया फेरीज बिल जो है यह यू० पी० और बिहार सिर्फ इन दो स्टेट्स से संबंधित है और इसमें कुल दो शब्दों को जोड़ना है...

श्री मोतीलाल अवस्थी—सिद्धांत की बात है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके उनको बोलने दें।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—इस बिल में सिर्फ दो शब्दों को यहां जोड़ना है—"Two States" और शब्द "the powers" के बीच "to which this Act applies" इतना ही उसमें संशोधन करना है। तो इसके लिये मैं समझता हूं एक घंटा आवश्यकता से ज्यादा ही है और उसमें माननीय सदस्य कोई एतराज नहीं करेंगे।

दूसरा बिल जो है—पहले यहां पर एम०एल०एज०, वाइस-चांसलर के पद पर आफिस आफ प्राफिट उसे न मानकर जा सकते थे, तो केन्द्रीय सरकार ने उसके बारे में इस बिल को बना लिया है और हम चाहते हैं कि वह हम यहां पर बना लें। सिर्फ इतना ही काम इसमें भी है और इसके लिये भी एक घंटा आवश्यकता से अधिक है। एक व्यवस्था केन्द्रीय सरकार ने कायम की है। उसी को रेगुलेट करने के लिये यह बिल लाया गया है।

तीसरा उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९ है। यह रामपुर में कुछ मध्यवर्ती लोग हैं जो काफी अर्से जमीन पर काबिज हैं जिसके वह मालिक नहीं हैं। तो यह रामपुर के स्टेट से संबंधित है और काफी महत्वपूर्ण विधेयक है और इसीलिये इसके लिये ५,६ घंटे का समय रखा गया है। मैं समझता हूं कि डेढ़ दिन के अन्दर इस पर काफी वादविवाद का मौका हरएक माननीय सदस्य को मिल जायगा। इसलिये इसमें कोई एतराज करने की बात नहीं है और सोच समझ करके ही बिजिनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने यह समय निर्धारित किया था। मैं आशा करता हूं यह समय सबको मान्य होगा।

श्री अध्यक्ष—अब इसके ऊपर राय मैं स्थगित करता हूं। अब पहले शनिवार के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव है वह ले लिया जायगा। माननीय मुख्य मंत्री जी उसको उपस्थित करेंगे और यदि वह अस्वीकृत हो जाता है तब तो इसके ऊपर राय लेने की आवश्यकता होगी और नहीं तो चूंकि उसके ऊपर फैसला आप नहीं कर सकेंगे निश्चित तौर से, इसलिये अवस्थी जी का जो सुझाव है उसको अपने आप स्वीकृत समझा जायगा और वापस पुनर्विचार के लिये उसे भेजा जायगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, हमारा यह निवेदन है कि एक इर्रेगुलेरिटी को रेगुलेट करने की बात आप कर रहे हैं। जो कंडीशनल रिजोल्यूशन है वह आये ही क्यों? उस पर बहस हो क्यों हो?

श्री अध्यक्ष—अब वह हो चुका।

श्री गौरीशंकर राय—मेरे व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैंने सबसे पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि १३ तारीख वाला प्रस्ताव इर्रेगुलर है। उस सम्बन्ध में व्यवस्था नहीं दी आपने।

श्री अध्यक्ष—मैंने उसी के लिये कहा कि वैसे तो उसमें शब्द स्पष्टरूप से "विधायी कार्य के लिये उपलब्ध सब समय" दिया हुआ है। यदि उपलब्ध होगा तो वह शर्तिया हो जाता है। इसीलिये पालीवाल जी ने उसको निश्चित करने के लिये एक सुझाव दिया जो स्वीकार किया गया।

श्री गौरीशंकर राय---क्या बिजिनेस कमेटी ने इस प्रिजम्प्शन को माना है ?

श्री अध्यक्ष--१३ तारीख को साढ़े तीन बजे बजट शुरू होने वाला है। उसके पहिले समय तारीख १३ को बचना था उसी प्रिजम्पशन को मानकर समिति चली है। वह प्रस्ताव भी उनके सामने था।

शनिवारों को विधान सभा की बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार जब तक कि यह सदन अन्यथा निश्चय न करे कि इस सदन का उपवेशन शनिवार को नहीं होता। परन्तु १९६०-६१ के आय-व्ययक सम्बन्धी समस्त वित्तीय कार्यों एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक को ३१ मार्च, १९६० से पहले पारित होने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन का उपवेशन अपने नियमित समय पर शनिवार, दिनांक १३,२० व २७ फरवरी, १९६० तथा ५ और १९ मार्च, १९६० को भी हो।"

अध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसा समझता रहा हूं कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ विशेष निवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ३१ मार्च तक बजट को मंजूर करना है। इस सदन से मंजूर होने के बाद दूसरे सदन में बजट जायगा। वहां पर विचार होगा। फिर वहां से लौटकर यहां आना है। एप्रोप्रियेशन बिल भी मंजूर होना है। इन बातों को ध्यान में रखकर इस प्रस्ताव को मैं पेश कर रहा हूं।

इसके सम्बन्ध में दो एक बातें कही जा सकती हैं और कही भी गई हैं। एक तो यह कि सरकार ने यह कुछ परम्परा बना ली है कि हर साल इसी किस्म का प्रस्ताव आता है कि बजट के जमाने में शनिवार के दिन बैठक हुआ करे। यह सदन अपनी कार्यशैली का मालिक है। हम कार्य-संचालन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये आपके सामने एक अनुरोध रखते हैं और कार्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुये सदन हमारे अनुरोध को स्वीकार करता रहा है। यदि परम्परा रही है तो वह सदन की उदारता से बनी है और सदन ने स्वयं उस परम्परा को बनाया है। बहुत से काम इस किस्म के संस्थाओं में कन्वेंशन (परम्परा) के आधार पर हुआ करते हैं। यह कोई जरूरी बात नहीं है कि हम किसी और जगह की परम्परा की यहां पर नकल करें बल्कि शोभा की बात यह है कि हम स्वयं अपने कार्य-संचालन की दृष्टि से स्वयं अपनी परम्परा बनायें और उन परम्पराओं का पालन करें। मैं सदन से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिस स्वस्थ परम्परा की बुनियाद उसने डाली है, जिस परम्परा पर वह इधर पिछले कई वर्षों से चलता रहा है, आज भी उसी परम्परा का अनुसरण करे। यह उसके लिये शोभा की बात होगी। ऐसी संस्थाओं के लिये यह शोभा की बात नहीं है कि वह अपनी परम्परा को तोड़ती रहे महज इसलिये कि उस परम्परा को अपील सरकार की तरफ से आई है। कार्य के खूबसूरती से संचालन में इस सदन को उतनी ही दिलचस्पी है जितनी कि सरकार को हो सकती है।

दूसरी बात एक और है। यह हो सकता है कि यदि सदन की बैठक कुछ और पहले बुला ली जाती तो शायद इन पांच दिनों को मांगने की आवश्यकता न होती, लेकिन कई दिक्कतें थीं बजट के लिये देर होने में, बजट के छपने में, जिनकी वजह से इससे पहले बैठक बुलाना संभव नहीं था। माननीय सदस्यों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि आज कल बजट बनाने में हम इतने स्वतंत्र नहीं हैं जितने स्वतंत्र कि आज से कई साल पहले थे। जब से यह प्लानिंग और नियोजन की बात चली है, तब से जो हमारा बजट बनता है उसमें हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कई बातों का आधार लेते हैं। वह केवल हमारी आमदनी के आधार पर ही नहीं बनता। कई कामों के लिये हमको केंद्र से रुपया मिलना होता है, कई कामों के लिये हम को प्लानिंग कमीशन से बहस करनी होती है, सलाह मशिवरा करना होता है और उनक और हमार बीच में बात करने के बाद जो कुछ तय होता है उसके आधार पर ही हम अपने बजट में रुपया रख सकते हैं। यह भी आप सब जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन और केंद्रीय सरकार के पास बहुत से काम हैं, केवल उत्तर प्रदेश सरकार का ही काम उन के पास नहीं है। इसी समय दूसरी प्रादेशिक सरकारों के मसले भी उनके सामने होते हैं, दूसरी प्रादेशिक सरकारों के बजट भी इसी समय प्रस्तुत होते हैं और उनकी बातें भी उनको देखनी होती हैं, इसलिये इन बातों को तय करने में देर होती ही है। हम हजार इच्छा होते हुये भी बजट इससे पहले तैयार नहीं कर सकते और इस कठिनाई को सदन को स्वीकार करना होगा।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण हमारी इस कठिनाई को महसूस करेंगे। जब तक ऐसा होगा कि हमारा बजट हमारे और केंद्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन के शास्त्रार्थ पर निर्भर रहेगा, उसमें उनकी सलाह की आवश्यकता रहेगी तब तक हमारे लाख चाहने पर भी देर हो सकेगी और बजट को सदन के सामने रखने में देर हो जायगी। इसका एक दूसरा पर्याय यह हो सकता है कि बजट ३१ मार्च तक पास न कराया जाय और वोट आन एकाउन्ट कराने की बात की जाय। एक बार शायद वोट आन एकाउन्ट यहां हो भी चुका है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस से सहमत होंगे कि वह कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। थोड़ा सा बजट तनख्वाहों वगैरह का हम वोट आन एकाउन्ट में पास कर सकते हैं, लेकिन उसी में तमाम बजट तय नहीं हो सकता और जब तक सारी चीजें तय न हो जायं, जब तक सदन से उस सारे खर्चे की मंजूरी न हो जाय तब तक फाइनेंस से रुपये की स्वीकृति नहीं होती और उस समय तक वहां काम नहीं हो सकता। तो इसलिये यह वोट आन एकाउन्ट की परम्परा, कोई मजबूरी की बात होती तो बात दूसरी थी, वर्ना सुविधा की चीज नहीं है। एक दिक्कत रहती है, एक अनिश्चितता बनी रहती है और जो काम बजट में रखे जाते हैं उनके पूरे होने में बड़ी दिक्कत होती है इसलिये कि उनके लिये रुपये की स्वीकृति बड़ी देर में मिलती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह आशा करता हूं और सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि सदन ने जो इन उदार परम्पराओं को बनाया है, उनको बनाय रखे, इसको स्वीकार करें और इस मेरे प्रस्ताव को मंजूर करें और बाकी जो पांच दिन हम मांग रहे हैं, उनकी पूर्ति तो हम आगे चल कर करेंगे ही।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में जो भाषण दिया है उस से मेरा समाधान नहीं हुआ। मैं आश्वस्त नहीं हुआ। उन्होंने स्वयं इस बात को मान लिया कि यह हो सकता था कि अगर ५ दिन पहले सदन की बैठक बुला ली जाती तो पांच शनिवार लेने की आवश्यकता न पड़ती, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि प्लानिंग कमीशन से सलाह लेनी पड़ती है, चूंकि केंद्रीय सरकार से रुपया मिलता है, इसलिये उन से बात करने में देर लगती है और इसलिये सरकार मजबूर है। वह बजट इसके पहले नहीं बना सकती और हमें सरकार की इस कठिनाई को ध्यान में रखना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सरकार की सब कठिनाइयों को ध्यान में रखना अपना कर्तव्य समझते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के लिये कठिनाइयां पैदा करने के लिये नहीं है बल्कि एक दूसरे को सुविधा देने के लिये हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या कारण है कि प्लानिंग कमीशन और केंद्रीय सरकार कुछ दिन पहले अपना निर्णय नहीं कर सकती। कोई ऐसा संभव कारण जिसकी वजह से केंद्रीय सरकार अपना काम सूक्ष्म रूप से और योजनाबद्ध तरीके से पहले न कर सके, मेरी समझ में नहीं आता। आज कल तो योजना की बहुत पुकार की जाती है और इसलिये केंद्रीय सरकार और योजना आयोग तो अवश्य इतनी योजना कर सकते हैं कि कुछ दिन पहले उन बातों पर वे निर्णय ले सकें जिनका अन्य प्रदेशों से संबंध है ताकि प्रदेशों को अपना बजट बनाने में और बजट पर बहस करने में, उस पर निर्णय लेने में कठिनाई न हो। इस विषय में यद्यपि मैं उस बहस को उठाना

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

नहीं चाहता, लेकिन एक बात में यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि प्रादेशिक सरकारों को केंद्रीय सरकार और योजना आयोग के इतने अधीन होना, मातहत होना स्वयं अपने में भी कोई अच्छी बात नहीं है। और यह जनतंत्र के विरुद्ध है, प्राविंशियल आटोनामी के विरुद्ध है तथा तानाशाही की ओर हमें ले जाते हैं। लेकिन यह विषय इस समय विवाद का नहीं है, इसलिये मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता। एक बात मुख्य मंत्री महोदय ने कही कि हमारे इस सदन में एक पुण्य परम्परा पड़ गयी है कि हम शनिवार को बैठकें किया करें, उसके संबंध में एक निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह स्वयं स्वीकार करेंगे कि परम्परा सदन की नहीं है। उस माने में कि यह जो निर्णय सदन करता है वह बहुमत के आधार पर होता है। मैं मानता हूं कि एक विशेष अवस्था, एमरजेंसी हो सकती है और एमरजेंसी होने पर हम इतवार को भी बैठक करें, लेकिन एमरजेंसी को नार्मल नहीं हो जाना चाहिये, असाधारण को साधारण नहीं कर देना चाहिये और सदन उसे साधारण करता जाता है और करता तभी है जबकि विरोधी दल के अल्पमत की उपेक्षा करके बहुमत से पास करा लिया जाता है। मैं मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है कि विरोधी दल की कठिनाइयों की, सुविधाओं की इतनी उपेक्षा की जाय। मैंने बार बार प्रार्थना की है कि सरकार को अपना कार्यक्रम बनाते समय सदन के समस्त सदस्यों की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिये। वह अपने दल की सुविधाओं का ध्यान न रखें, तो भी विरोधी दल के सदस्यों की सुविधा तो रखनी ही चाहिये। जनतंत्र की सफलता के लिये आवश्यक है कि विरोधी दल और सत्ताधारी दल में सहयोग और सद्भावना हो और उसके लिये आवश्यक है कि सत्ताधारी दल विरोधी दल की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखे। लेकिन बार-बार प्रार्थना करने पर भी मुख्य मंत्री महोदय ने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया है। इसीलिये आज मैं उसे फिर दोहराता हूं।

अन्त में एक बात और कह देना चाहता हूं विशेषकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय से, कि हमारे देश की प्राचीन परम्परा यह है कि शनिश्चर देवता जब किसी पर आते हैं तो साढ़े सात या १४ वर्ष के लिये आते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री महोदय इस सदन में परम्परा बनाकर शनिश्चर देवता को हमेशा के लिए लादना चाहते हैं। एक चेतावनी मैं उनको और दे दूं कि हमारे ऊपर अगर शनिश्चर आ जायगा तो हम तो महाबीर विक्रम बजरंगी की सहायता से उसको दूर कर लेंगे, लेकिन चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी हनुमान जी को देवता नहीं मानते इसलिये उनको कठिनाई पड़ेगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, सर्वप्रथम तो मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने यह प्रस्ताव मुख्य मंत्री की हैसियत से प्रस्तुत किया है, नेता सदन की हैसियत से नहीं किया। इस प्रकार वह स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि यह सदन की परम्परा नहीं है। अगर सदन की परम्परा रही होती तो नेता सदन के नाते पेश करते और सभी पार्टियों से पहले ही परामर्श कर लेते। तो यह इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया कि यह परम्परा ऐसी नहीं है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका उल्लेख किया।

साधारणतया इस प्रकार के प्रस्तावों को निर्विवाद पास हो जाना चाहिये और कोई साधारण रूप से विधान सभा की कार्यवाहियों को देखने वाले यह कहेंगे कि शनिवार के दिन न बैठना यह बड़ा अनुचित सा है और धन का दुरुपयोग सा भी है, लेकिन श्रीमन्, शायद माननीय मुख्य मंत्री जी और आपको भी वह दिन याद होगा कि जबकि यहीं विधान सभा ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया कि शनिश्चर के दिन हमें नहीं बैठना चाहिये और उसके कुछ कारण थे और वह बजट अधिवेशन के सत्र में और भी स्पष्ट हो जाते हैं। आजकल माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्यों के जिलों में, निर्वाचन क्षेत्रों में दलगत कार्य भी होते हैं, इतनी जिला स्तरीय कमेटियां हैं जिला परिषद से लेकर उपसमिति आदि, राजनीतिक समितियों के अलावा। अगर इन सब के लिये कोई समय न निकाला जाय और माननीय सदस्य यहां लखनऊ में ही बैठ कर वे सब कार्यवाही करें तो भी आलोचना होती है। विधान सभा के सदस्य होने के नाते प्रत्येक सदस्य इस बात को अच्छी तरह जानता है कि उसका कार्य कितना ही अच्छा क्यों न हो किन्तु अगर वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति सक्रिय न रह कर वहां पर न जायं तो वहां पर उनकी उतनी पूछ नहीं होती जितनी कि होनी चाहिये। इसीलिये यह निश्चित किया गया था कि शनिवार के दिन बैठक न हो ताकि लोग अपनी-अपनी कांस्टीट्युएन्सी में जा सकें।

आप देखें कि जब कभी इतवार के दिन भी कोई मीटिंग आदि होती है तो सरकारी कर्मचारियों में बड़ा असंतोष रहता है क्योंकि उनकी छुट्टी मारी जाती है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता सदन की राय और माननीय मुख्य मंत्री जी की राय से माननीय सदस्यों को वंचित रखना चाहते हैं? बहुत से माननीय सदस्य अपने अपने जिलों में इन्हीं दिनों में मीटिंग आदि को रख कर कार्य को पूरा करते हैं। यहां आप एक शनिवार नहीं बल्कि लगातार १३, २० व २७ फरवरी तथा ५ और १९ मार्च, यह पांचों शनिवारों को ले रहे हैं। अगर एक दिन का सवाल होता तो हम मान जाते, हमें कोई उसमें आपत्ति न होती। लेकिन एक श्रृंखलाबद्ध होकर लगातार इसको किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करने की कृपा करें।

इसके अलावा हमारे यहां की यह पद्धति नहीं है, बल्कि यह चीज हाउस आफ कामन्स में भी है जहां की पद्धति के अनुसार हम अपना सारा कामकाज चलाना चाहते हैं। मेरे पास "टेलर" की एक किताब है "The House of Commons at work" उसमें लिखा है—

".....Members who have a train journey of six hours or more each way may reasonably expect a clear two days at their destination when they get there."

तो वहां पर आप देखें कि जिन सदस्यों को रेलवे यात्रा ६ घंटे से ज्यादा करनी पड़ती है उनको पूरे दो दिन का समय दिया जाता है। वहां पर इसके लिये शुक्रवार के दिन भी वे जल्दी बैठक कर साढ़े चार बजे तक अपना कार्य समाप्त कर देते हैं ताकि ५ बजे तक सदस्य अपने घर जा सकें। यह हाउस आफ कामन्स की परिपाटी है। हां, शनिवार के दिन भी वहां पर बठकें हुई हैं किन्तु वे बहुत ही कम हैं। मैंने इसका हिसाब लगाया है और उसके अनुसार १८८९ से १९२१ तक केवल ८ बार शनिवार के दिन बैठकें हुई हैं। १९२१ से आज तक एक दिन भी बैठक नहीं हुई जिसका जिक्र मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में है। इन दिनों में भी हाउस आफ कामन्स की बैठकें क्यों हुई हैं उनका भी इतिहास दिया हुआ है। यह बैठकें जब हुई हैं उन दिनों हाउस आफ कामन्स में और हाउस आफ लार्ड्स में संघर्ष था। विधेयक पास होने के बाद बार बार उसमें दूसरे हाउस द्वारा संशोधन कर दिये जाते थे और वे उससे डिसऐग्री करते थे। तो ऐसी इमर्जेंसी में हाउस आफ कामन्स की बैठकें शनिवार के दिन हुई हैं। किन्तु इस तरह की परिपाटी हमारे यहां लागू नहीं होती। इसलिये मुख्य मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिये।

तीसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट के संबंध में बतायी। यह सही है कि बजट बनवाने में और उसको जल्दी पेश करने में कुछ कठिनाइयां होती हैं और उन पर माननीय मुख्य मंत्री जी को कंट्रोल नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वोट आन एकाउन्ट कोई चीज नहीं है। मैं उनसे क्षमा मागूंगा यह कहने के लिये कि वोट आन एकाउन्ट प्रजातंत्र के लिये बड़ी अच्छी चीज है और इसीलिये हाउस आफ कामन्स ने इस वोट आन एकाउन्ट की परिपाटी को अपने यहां बड़ी मूल्यवान वस्तु माना है हमने अपने संविधान में और अपनी नियमावली में भी इसके लिये व्यवस्था की है और इसके लिये पूरा स्थान दिया है। वोट आन एकाउन्ट का भी जो सिद्धांत है उसे श्री टेलर नें इस प्रकार व्यक्त किया है—

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

"Redress of grievances or at least a full and public representation of grievances, must precede any grant of public money".

यानी जनता की जो शिकायतें हैं, कठिनाइयां हैं उनको दूर किये जाने के संबंध में और उन शिकायतों का पूर्ण विवरण दिये जाने के संबंध में, संबंधित ग्रांट के पहले, पूरा मौका होना चाहिये। तो वोट आन एकाउन्ट से सरकार जो रुपया ले लेती है उसके बाद पूरे बजट पर ३–४ महीने बहस होती है, हर एक को ग्रांट के संबंध में कहने का मौका मिलता है। इस तरह से यह वोट आन एकाउन्ट का भी एक सिद्धांत है जिसे संविधान में स्थान दिया गया है और हमारी नियमावली में स्थान दिया गया है। अगर मैं भूल न करूं, यह सिद्धांत एक बार माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा स्वीकार किया गया है कि वोट आन एकाउन्ट यू० पी० असेम्बली में भी होना चाहिये तो उस पर हमें सहानुभूतिपूर्ण विचार करना है। मैं माननीय मंत्री को इस अवसर पर नेता सदन सम्बोधित करता लेकिन चूंकि उन्होंने मुख्य मंत्री की हैसियत से प्रस्ताव को पेश किया है इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री की हैसियत से विचार न करके नेता सदन के रूप में विचार करें और उधर और इधर, दोनों तरफ के सदस्यों की सुविधा का विचार करके और सरकारी कर्मचारियों की सुविधा का विचार करके इसे वापस लेने की कृपा करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने परम्परा की दुहाई दी। मैं स्वतः उनके कथनानुसार परम्पराओं का पालन कर रहा हूं। इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से जब-जब भी अन्यायमूलक प्रस्ताव आये हैं तब-तब हमारी परम्परा रही है कि हम उसका विरोध करें। इस तरह का प्रस्ताव जब वह गतवर्ष लाये उस समय भी हम विरोधी रहे हैं और यदि मेरी स्मरण शक्ति क्षीण न हो, संभवतः कुछ समय के लिये सदन का परित्याग भी हुआ था।

श्रीमन्, उनकी हम एक दिक्कत जरूर महसूस करते हैं और वह यह कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जो सीमा है उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बतला दिया कि इस समय योजनाओं का युग है, योजनायें प्लानिंग कमीशन बनाता है और उसके मातहत सरकार को चलना पड़ता है, यह सत्य है। मगर एक बात वह भूल गये कि उनका जो प्लानिंग कमीशन है केंद्र में वह भी किसी के मातहत है। वह कभी-कभी मातहत हो जाता है वर्ल्ड बैंक के और कभी-कभी अमरीकी डालर के मातहत हो जाता है। वह भी जब योजनाओं को कार्यान्वित करने की बात सोचता है तो उसको खयाल करना पड़ता है कि किन-किन योजनाओं के लिये कितना कर्जा कहां से मिल सकेगा। इस बात को दृष्टि में रखते हुये उत्तर प्रदेश के बजट पर कार्य किया जायगा तो निश्चित रूप से बजट में बराबर गड़बड़ी रहा करेगी। मैंने केवल प्रसंगवश यह कह दिया ताकि उनको समझ लेना चाहिये कि अगर वह प्लानिंग कमीशन के अनुसार अपने को बांध देंगे तो प्लानिंग कमीशन को भी बांधने वाली कोई शक्ति है। इसलिये यह स्वतः न बंधें और उनसे भी कहें कि वह भी न बंधें। तो यह चीज तो ऊपर के स्तर पर जिस किसी भी ढंग से हो ठीक की जा सकती है मगर यह नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पर एक घंटे का विवाद रखा जाय इसको कौन बांध रहा है? यह उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक पर एक घंटे का विवाद रखा जाय, इसको कौन बांध रहा है? इसी प्रकार से एक तीसरा भी विधेयक है। इसलिये अपनी बात को साबित करने के लिये एक अनावश्यक तर्क को लाकर रख देना कि प्लानिंग कमीशन की वजह से अधिवेशन देर से बुलाया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सरकार दो विधेयकों पर एक-एक घंटे का विवाद रखना चाहती है यद्यपि उस पर आपने अभी मत नहीं लिया है। मगर इस पर काफी विवाद हो चुका है। अगर सरकार सदन की बैठक ६ दिन पहले बुला लेती तो उस पर अच्छी तरह से बहस हो सकती थी। एम० एल० एज० के अनर्हता निवारण संबंधी जो बिल हैं उसमें किसी को विश्वविद्यालय का उप-कुलपति बनाने की बात हो सकती है। यह सिद्धांत की बात होगी। एक एम० एल० ए० किसी

न किसी पार्टी का होगा और किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति या कुलपति होगा। यह सब काम इस सेशन में आया है। ये काम तो पहले हो सकते थे, इनके लिये प्लानिंग कमीशन से कोई बाधा नहीं थी। शायद उधर से कहा जाय कि पुजारी जी ने शनिवार को बैठने की बात कही है, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि साल में ८ महीने सदन बैठे और जनता की हर बात यहां आवे। हमारे लिये बजट को पढ़ना और नयी योजनाओं का ध्यान से अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते होंगे कि जिला परिषदों की बैठकें, अधिकतर शनिवार के दिन रखी जाती हैं और यहां के विधायक उनके सदस्य होने के कारण यदि यहां शनिवार की बैठक होती है तो वे जिला परिषद् की बैठकों में भाग नहीं ले सकेंगे। यह भी बात किसी से छिपी नहीं है कि वहां हमारी गैर-हाजिरी में क्या-क्या गलत बातें होती हैं। मैं, इसलिये, समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव दुराग्रह नहीं है कोई आग्रह नहीं है और हमारी प्रार्थना सत्याग्रह है। जब किसी विशेष परिस्थिति में शनिवार को बैठने की बात आवेगी तो हम उस पर विचार कर सकते हैं।

एक बात मैं प्रसंगवश और कहना चाहता हूं। पहले जब सदन उठ रहा था तो हमारे पूछने पर मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि पहली या दूसरी फरवरी को बसंत पंचमी है और उसके बाद ही सदन की बैठक बुलाने की कोशिश की जायगी। ठीक है, उनके दिमाग में यह बात रही होगी कि हम २ या ३ फरवरी से ही बैठ जावें मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका दोषारोपण हमारे ऊपर न किया जाय। सरकार हमारे समय को इस ढंग से सरकारी कामों में लेकर जनतंत्र की हत्या न करे।

*श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, आपने यद्यपि कहा है कि विषय समिति की बातें यहां नहीं कहनी चाहिये, लेकिन मैं आपकी एक व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूं। आपने कल यह कहा था कि शनिवार का प्रस्ताव उस समय आवेगा जबकि आप मुख्य मंत्री से बात कर लेंगे और कल यह निश्चित रूप से नहीं आवेगा। पालीवाल जी की वैधानिक आपत्ति पर जो आपने कहा, उसके अलावा जब तक आप मुख्य मंत्री जी से बात न कर लें उससे पहले यह प्रस्ताव यहां नहीं आना चाहिये। आपने कल कहा था कि कुछ न कुछ शनिवार आप सरकार से अवश्य छुड़ा देंगे।

मुख्य मंत्री ने कहा कि प्लानिंग कमीशन के कारण शनिवार लेना आवश्यक है और यह भी कहा कि परम्परा के अनुसार शनिवार को लेना जरूरी है। मेरी समझ में नहीं आता कि प्लानिंग कमीशन से हमारी परम्पराओं के बंधने का सवाल कहां तक ठीक है या इसी प्रकार की देर करने वालों से ही हमारी परम्पराएं बंधती चली जावेंगी। आप कल की बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को आज पारित करावें।

श्री अध्यक्ष—चूंकि मेरे बारे में जिक्र हुआ, मैं कुछ कहना उचित समझता हूं। विरोधी दलों की इच्छा मुझे दिखाई दी कि शनिवार बैठकों के लिये न लिये जावें, इसलिये इस विषय में मुख्य मंत्री जी से मुझे चर्चा करना अवश्य थी। प्रश्न इस बात का था कि क्या कोई रास्ता निकल सकता है कि इस वर्ष सरकार की भी दिक्कत हल हो जाय और विरोधी दल की इच्छा की भी पूर्ति कुछ अंश में हो जाय। विरोधी दल यह तय कर ले कि किसी अनुदान के ऊपर वह बहस न करे जैसा कि कभी कभी होता है, तो कुछ दिन बच सकते हैं। नेता विरोधी दल यहां नहीं हैं, उनके आने की आशा थी, मगर पालीवाल जी हैं, नारायणदत्त जी हैं और सौभाग्य से राजनारायण जी भी आ गये हैं। अगर दोनों पक्षों की कठिनाई हल करने के लिये कुछ थोड़ा-सा विचार-विनिमय वे कर लें, तो मैं ये दोनों प्रश्न आज छोड़ देता हूं।

तीसरा प्रश्न यह था कि कुछ थोड़ी-सी गलतफहमी मेरी भी कल इस विषय में हो गई थी। इसमें शब्द लिखा है ११ फरवरी, तथा १३ फरवरी, यानी १२ को गायब कर दिया। मैं यह समझा था कि १२ को भी बहस विधेयक पर होगी। लेकिन १२ को शायद सप्लीमेन्टरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

बजट पर बहस होगी। इसमें यह हुआ कि वह केवल ११ और १३ को ही होगी। अब तो २ घंटे लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर बहस होगी तो आज एक ही बिल हो सकेगा। समय के हिसाब से, अगर हम इस प्रस्ताव को पास भी कर लें तो वह कार्यान्वित नहीं हो सकेगा। २ बजने वाले ही हैं। इसलिये आज मैं उस पर राय देने के लिये भी सदस्यों को बाध्य नहीं करता हूं। आज मैं इसके बारे में मुख्य मंत्री से चर्चा अवश्य कर लूंगा और अगर कोई रास्ता न निकला तो इस पर बहस कल जारी रहेगी। कल को इसे ले लें और इसके ऊपर बहस हो जाय आगे जो आज कार्य-क्रम चलेगा वह बगैर समय निर्धारण के चलेगा।

अब नम्बर १६ और १७ को हम लेंगे।

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की यूनिवर्सिटी के सिनेट में कार्य करने के लिये विधान सभा के उन ४ सदस्यों के स्थान पर जिनका कार्यकाल २५ नवम्बर, १९५९ को समाप्त हो गया है, रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४८ की धारा १६ के वर्ग (३) की मद (११) के अनुसार विधान सभा के ४ सदस्यों का चुनाव करे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसका कार्यकाल २५ नवम्बर को समाप्त हो गया है तो किस नियम के अनुसार यह कार्यकाल उक्त तिथि को समाप्त हो गया?

श्री अध्यक्ष—मंत्री कृपया बतायें कि २५ नवम्बर को यह कैसे समाप्त हो गया?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—यह तीन साल के लिये होती है। उस तारीख को तीन साल की अवधि समाप्त हो गयी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की यूनिवर्सिटी के सिनेट में कार्य करने के लिये विधान सभा के उन ४ सदस्यों के स्थान पर जिनका कार्यकाल २५ नवम्बर, १९५९ को समाप्त हो गया है, रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४८ की धारा १६ के वर्ग (३) की मद (११) के अनुसार विधान सभा के ४ सदस्यों का चुनाव करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के दो सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये हिन्दू सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधान सभा के हिन्दू सदस्य, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें श्री बद्रीनाथ टेम्पुल कमेटी में विधान सभा द्वारा निर्वाचित वर्तमान दो सदस्यों के स्थान पर जिसका कार्यकाल, दिनांक १० मार्च, १९६० को समाप्त हो जायेगा, यू० पी० श्री बद्रीनाथ टेम्पुल ऐक्ट, १९३९ की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (सी) एवं उक्त ऐक्ट के अधीन निर्मित नियमावली के अनुसार दो हिन्दू सदस्यों का चुनाव करें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस विधान सभा के हिन्दू सदस्य जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, श्री बद्रीनाथ टेम्पुल कमेटी में विधान सभा द्वारा निर्वाचित वर्तमान दो सदस्यों के स्थान पर जिसका कार्यकाल, दिनांक १० मार्च, १९६० को समाप्त हो जायेगा, यू० पी० श्री बद्रीनाथ टेम्पुल ऐक्ट, १९३९ की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (सी) एवं उक्त ऐक्ट के अधीन निर्मित नियमावली के अनुसार दो हिन्दू सदस्यों का चुनाव करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष १९५९-६० के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगें

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष १९५९-६० के द्वितीय पूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना चाहता हूं। अनुपूरक अनुदानों पर बहस कितने दिन होगी। वह १३ करोड़ रुपये के हैं जो सारे बजट का करीब १० प्रतिशत है। उसके लिये अधिक समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—१२ तारीख का एक दिन उसके लिये निश्चित हो गया है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५६-५७ के प्रतिवेदन पर विवाद (क्रमागत)†

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, १९५६-५७ वर्ष के सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट और उस पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाहियों से सम्बन्धित वादविवाद में भाग लेने का मुझे जो अवसर मिला है उसके उपयोग में इस प्रतिवेदन के कुछ मुख्य अंश और सेवाओं की भर्ती के सम्बन्ध में जो दिक्कतें हैं उनकी ओर आकर्षित करने में व्यतीत करूंगा।

(इस समय १ बज कर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

मैं माननीय मुख्य मंत्री तथा सरकार का ध्यान इस ओर ले जाऊंगा सबसे पहले तो जो आज पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने कठिनाइयां मुझे प्रतीत होती हैं और जिसके उदाहरण हमें इस तरह के मिलते हैं कि सन् १९५४-५५ में जब कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने १२,६११ अर्जियां विचाराधीन थीं, तो सन् १९५६-५७ में वे बढ़ कर ३०,०३७ हो गयीं और इसी प्रकार जो वहां कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए उनकी संख्या १,०१८ से बढ़ कर २,४९१ हो गयी और पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य जब कि सन् ५४-५५ में ३ थे आज केवल ५ हैं। तो इस प्रकार आने वाली अर्जियों की संख्या दुगुनी से ढाई गुनी हो गयी और सेलेक्ट किये जाने वालों की संख्या भी करीब-करीब ढाई गुनी हो गई। कमीशन के सदस्यों की संख्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले तीन वर्षों में केवल २ बढ़ा कर ५ कर दी है लेकिन मैं समझता हूं कि ये ५ सदस्य भी जो सेवाओं के रिक्रूटमेन्ट का बढ़ा हुआ काम है उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। आप देखें कि अगर ३० हजार अर्जियों के छांटने के लिये ५ सदस्यों के अलग-अलग बोर्ड भी बना दिये जायं तो भी वे एक कैंडिडेट के लिये ४, ५ मिनट से अधिक समय नहीं दे सकते। कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के लिये भी ४, ५ मिनट से अधिक समय नहीं दे सकते हैं। शुरू में भले ही कुछ कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के लिये वे १०, ५ मिनट अधिक समय दे सकें, यह दूसरी बात है। तो किस प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने अधिक संख्या में प्रार्थना-पत्र आ रहे हैं और उनका काम बढ़ रहा है, यह एक बुनियादी प्रश्न है। इस बात को सोचना है कि दिन ब दिन प्रार्थनाओं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†२१ दिसम्बर, १९५९ की कार्यवाही से।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

की संख्या बढ़ रही है, सेवाओं के नियम बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से कमीशन के सदस्य अपने कार्य को सुचारु रूप से चला सकते हैं ? हमको इससे भी कुछ अन्दाजा लग सकता है कि संविधान की धारा ३१८ के अनुसार राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि वह कमीशन के सदस्यों की संख्या को रेगुलेशन के द्वारा नियत करे। इस समय जो रेगुलेशन बना हुआ है उसके अनुसार कुल ५ सदस्य ४ और सदस्य और एक चेयरमैन रखा जा सकता है। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि कम से कम पब्लिक सर्विस कमीशन में २ और सदस्य रखे जाने की और गुंजायश होनी चाहिये ताकि पब्लिक सर्विस कमीशन तमाम उम्मीदवारों की छांट सुचारु रूप से कर सके।

दूसरी बात जो इस कमीशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि आज बहुत-सी सेवायें ऐसी हैं---विकास और नियोजन की जिनके लिये हमको योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान कमीशन की इस सिफारिश की ओर दिलाऊंगा जहां उन्होंने लिखा है कि हिन्दी इंगलिश के स्टेनोग्राफर्स भी भर्ती नहीं किये जा सके हैं। उन्होंने लिखा है कि १४ उम्मीदवार, हिन्दी स्टेनोग्राफरी के लिये आये लेकिन सब को जीरो से अधिक नम्बर नहीं मिल सका और कुछ स्टेनोग्राफर्स के लिये भी वे कहते हैं कि दो-दो बार इंटरव्यू करने पड़े तब जाकर कुछ मिल पाये। तो यह जो कमी पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने विशेष प्रकार के पदों के लिये दिखलायी पड़ती है उसको दूर करने के लिये हमें कुछ करना चाहिये। इसी प्रकार आगे चल कर कमीशन ने लिखा है कि टेक्निकल क्वालिफाइड परसोनेल की बड़ी स्केयरसिटी है। कमीशन ५१३ टेक्निकल पदों में से किसी के लिये भी सिफारिश नहीं कर सका। बाद में आगे चल कर ५१३ पदों में से केवल १७० उम्मीदवारों के सम्बन्ध में ही उसके द्वारा सिफारिश की जा सकी।

श्रीमन्, आप देखें कि किस प्रकार के विषय हैं जिनके सम्बन्ध में उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं। फिजियोलाजी, ट्रेनिंग, मशीन ड्राइंग, ग्लास टेक्नोलाजी, सर्विस मैनेजर आफ रोडवेज भी नहीं मिल पाते। रिसर्च सुपरवाइजर, सिंचाई विभाग और मैनेजर इंडस्ट्रियल स्टेट आदि ऐसे पद हैं जिनके लिये आदमी नहीं मिले, इस तरह से आप देखें कि इन-इन श्रेणी के पदाधिकारी नहीं मिल सके। लेकिन मुझे खेद है कि कमीशन के माननीय सदस्यों ने भी इस न मिल सकने के कारणों की ओर संकेत नहीं किया, कुछ संक्षिप्त रिपोर्ट इस विषय में उनकी तरफ से होनी चाहिये थी। यदि वह कारण होते तो हम समझ सकते कि क्यों इन पदों के लिये हमें आदमी नहीं मिलते और सरकार को भी अपने उत्तर में स्पष्ट करना चाहिये कि किस प्रकार से इस प्रकार के पदों पर अच्छे व्यक्तियों को लाया जा सकता है। कमीशन ने यह भी सुझाव दिया है कि प्राइवेट नेगोशियेशन से यह स्थान भरे जायं और उनसे यह भी कहा है कि कुछ और सीनियर स्केल देकर लोगों को लिया जाय। इस सम्बन्ध में भी सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। हमारी जो रुड़की यूनिवर्सिटी है या दूसरी इस तरह की टेक्निकल संस्थायें हैं उनमें एक विशेष प्रकार की टेक्निकल ट्रेनिंग की आवश्यकता है जिस से जो हमारी सैकड़ों योजनायें हैं और जिन में हर प्रकार के टेक्निकल परसोनेल की आवश्यकता है उस की पूर्ति हो सके, योजनायें पड़ी हैं और आदमी नहीं मिलते इस तरह की जो विडम्बना है वह दूर होनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हरिजन उम्मीदवारों के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि ९० स्थानों में से कुल ९ स्थान भरे जा सके और बाकी रिक्त रह गये, कुल ऐसे ९ पद ही निकल सके कि जिनके लिये केवल ९ योग्य हरिजन उम्मीदवार मिल सके और बाकी नहीं मिल सके। हम चाहे यहां बैठकर १८ प्रतिशत या २० प्रतिशत कितना ही रिजर्वेशन हरिजनों के लिये करें, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि क्या कारण हैं कि जिनकी वजह से योग्य हरिजन उम्मीदवार नहीं मिलते। हमें कोई रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह चलाकर या इसी तरह की कोई चीज कर के या विश्वविद्यालयों या टेक्निकल संस्थाओं में विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देकर हरिजनों को हम

आगे बढ़ा सकते हैं वर्ना कितना ही रिजरवेशन हम करें उसके लाभ से वे वंचित ही रह जायंगे चाहे और प्रकार के कार्यकर्ता न मिलें, लेकिन यह कमी हमें अवश्य दूर करना चाहिये।

इसके बाद तीसरी चीज की ओर जो कमीशन ने ध्यान दिलाया है वह यह है कि सरकार के कुछ विभाग पहले निश्चित करते हैं कि फलां योजना के अनुसार विज्ञापन छापे जायं और फिर विज्ञापन निकाले जाते हैं और कुछ दिन बाद उनको कैंसिल कराया जाता है। कमीशन ने लिखा है कि ४१ केस ऐसे हैं कि जिनका विज्ञापन हो चुका और बाद में विभाग की तरफ से कहा गया कि उनको कैंसिल किया जाय या विदड्रा किया गया। पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि भविष्य में विभागों को ऐसी हिदायतें दी जायंगी कि वे केवल उन्हीं पदों के लिये विज्ञापन करायें जिन के बारे में निश्चित हो चुका हो कि वे अवश्य ही भरे जायेंगे। परन्तु पता नहीं कहां तक उन विभागों ने उस आज्ञा का पालन किया है। रिपोर्ट के पेज ६ में पुनः बहुत गम्भीरतापूर्वक कमीशन ने ध्यान दिलाया है इस तरह से धन का दुरुपयोग होता है और इस विषय में कड़े आदेश होने चाहिये।

कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें कमीशन की सिफारिशों का कोई उत्तर इस छपे हुए सरकार के जवाब में नहीं मिलता। मिसाल के लिये पेज १२ में आइटम ३, ४ और ५ का कोई उत्तर सरकार ने नहीं दिया। इसी तरह से एब्जार्प्शन आफ मर्ज्ड स्टेट्स जो रामपुर टेहरी-गढ़वाल वगैरह की थीं उनके एब्जार्प्शन के आइटम २, ६ व ७ का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इनका कोई भी उत्तर सरकार के स्पष्टीकरण में नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या कारण है। शायद तैयार न हुआ हो, लेकिन भविष्य में जब कभी स्पष्टीकरण तैयार हो जाय और ऐसे स्पष्टीकरण पिछले वर्षों के भी जिन पर सरकार ने बाद में निर्णय किये हों और जिनको संविधान के अनुसार सरकार को सदन की मेज पर रखना चाहिये, वे सभी स्पष्टीकरण बाद को भी सरकार रख सकती है सदन की मेज पर और उस पर हम विचार कर सकते हैं यदि आवश्यक हो तो।

मुख्तार सिंह चौधरी पोलीटेक्निक के सम्बन्ध में जो केस चल रहा है उसकी ओर मैं विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् ५४-५५ में पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिफारिश की थी इस पोलीटेकनिक के हेड की जगह पर किसी आदमी के लिये। जिस आदमी को कमीशन चाहता था उसे सरकार नहीं चाहती थी और जिसे सरकार चाहती थी उसे कमीशन नहीं चाहता था। सरकार ने जब कन्फर्मेशन के लिये लिखा, जो आफीशियेटिंग कर्मचारी थे उनके लिये, तो कमीशन ने कह दिया कि हम मानने के लिये तैयार नहीं हैं। सरकार की तरफ से जो अंत में जवाब दिया गया है वह सिद्धांत के परे की बात मालूम होती है इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर जरा ध्यान दें। लिखा गया कि "There is no much scope for study in Chemical Engineering at Daurlala" जब कि इसी पद के लिये ३ साल तक पत्र व्यवहार हुआ और विज्ञापन निकाले गये और इसके बाद जब कमीशन ने यह बात नहीं मानी तो कहा गया कि स्टडी के लिये स्कोप नहीं है। यह तो एक प्रकार का बहलाना है। कमीशन को इस प्रकार का जवाब देना कि स्टडी का स्कोप नहीं है और कमीशन को अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख करना पड़े यह मैं समझता हूं कि क्षम्य नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे...

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और कोरम होने पर पुनः कार्यवाही प्रारम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—एक दूसरे प्रश्न की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह है चरित्र संहिता के बारे में। आप देखेंगे...

श्री उपाध्यक्ष—१५ मिनट हो गये हैं। आपको मैं २० मिनट का समय दे दूंगा। अब आपके ५ मिनट और बाकी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पहले से इस बात का कोई निर्देश होता तो ठीक था। १५ मिनट ही और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—फिर दो घंटे में खत्म कैसे हो सकता है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—चरित्र संहिता के सम्बन्ध में सरकार और कमीशन दोनों ही विचार करें। आज जो करेक्टर रोल्स के आधार पर सारे प्रमोशन हो रहे हैं इनको तो आमूल बदलना चाहिये। यह साम्राज्यवादी पद्धति में तो ठीक था। कमीशन के सामने जो केस आये उससे स्पष्ट होता है कि कितनी दिक्कत सरकार और कमीशन को होती है। एक केस में यह लिखा था "good work but not brilliant" तो कमीशन ने कह दिया कि यह अच्छी एन्ट्री नहीं है और सरकार ने कहा कि यह एडवर्स एन्ट्री नहीं है। "work good but not brilliant"—यह ऐन्ट्री ऐसी है जिससे शंका हो सकती है और स पर विवाद हो सकता है। इसलिये कैरेक्टर रोल के बजाय सर्विस रोल या वर्क रोल होना चाहिये। उसमें कुछ निश्चित बातें लिखी जायं। अगर कैरेक्टर रोल ही हो तो वर्क रोल के रूप में उसको लिखा जाय ताकि कमीशन के लोगों को अन्दाज हो सके अन्यथा उनको अन्दाज नहीं हो सकता कि किस प्रकार का प्रमोशन हो रहा है। इससे सब को दिक्कत हो सकती है। इसलिये इस सम्बन्ध में अवश्य कोई कदम उठाना चाहिये।

दूसरी दिक्कत यह है कि फंक्शन्स आफ रेगुलेशन्स जो हैं जो संविधान के अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह से नियम बनाये गये हैं उनके भी बदले जाने की आवश्यकता है जैसा उदाहरण स्वरूप रिपोर्ट के पेज २१ पर लिखा गया है कि शासन ने अधिकतम आयु-सीमा को ४५ वर्ष के स्थान पर ४८ वर्ष कर दिया था और बी० ए० की क्वालीफिकेशन जो एसेन्शियल थी बाद को प्रीफरेंशियल हो गई। कमीशन कहता है कि ऐसा करने से सिद्धान्त की अवहेलना है, लेकिन विभाग कहता है कि अवहेलना नहीं है। हमारे यहां के फंक्शन्स और रेगुलेशन्स को दोहराने की जरूरत है, खासतौर से जब सरकार ने रिटायरमेंट की एज ५५ से ५८ कर दी और फंक्शन्स और रेगुलेशंस में अब भी लिखा हुआ है कि रिटायर होने के बाद अगर कोई आदमी आफिशियेटिंग कैपेसिटी में काम करता है तो १ साल तक बिना कमीशन की स्वीकृति के काम कर सकता है। तो यह नियम भी संशोधित होना चाहिये।

एक दिक्कत और है टेक्निकल ऐडवाइजर्स के सम्बन्ध में आप देखें। अपेंडिक्स में तमाम जगह लिखा है कि टेक्निकल ऐडवाइजर्स अटेंड नहीं करते हैं। सरकार किसी को टेक्निकल ऐडवाइजर नामीनेट करती है और वह समय पर नहीं जाता तो कमीशन कैसे चुनाव करे? यह खुशी की बात है कि सरकार ने इस साल कमीशन को यह अधिकार दे दिया है कि वह अपनी ओर से एक टेक्निकल ऐडवाइजर नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन कमीशन ने भी ऐसा नहीं किया। तो बिना टेक्निकल ऐडवाइजर के टेक्नीकल पोस्ट पर चुनाव हो जाय यह ठीक नहीं है। इसलिये यह लाजमी होना चाहिये कमीशन के लिये कि किसी भी टेक्निकल पोस्ट को तब तक नहीं भरा जायगा जब तक सरकार का एडवाइजर, कमीशन का एडवाइजर दोनों ही बैठें और अगर दोनों न बैठें तो एक तो अवश्य ही बैठे। टेक्निकल ऐडवाइजर्स का एक पैनल बन जाना चाहिये और उनको आदेश होना चाहिये कि अगर वह न जा सकें तो समय से कमीशन को सूचित कर दें ताकि दूसरा प्रबन्ध किया जा सके।

एक बात के लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जो सेलेक्शन कमेटी का नया तरीका निकाला गया है कि कमीशन का अधिकारी चेयरमैन होगा और सरकार के नामजद अधिकारी उसके सदस्य होंगे यह बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ जो एक दूसरा रूल निकाला गया है जिसके अनुसार एक सेलेक्ट लिस्ट बनायी जा रही है, मिनिस्टीरियल स्टाफ जो ऊपर का है उसमें दो लिस्ट बनायी गई हैं। एक तो उन लोगों की जो मेरिट और सीनियारिटी के आधार पर बनती है और दूसरी वह जो आफिशियेटिंग ऐप्वाइंटमेंट्स होते हैं उनके लिये केवल मेरिट के आधार पर लिस्ट बनायी गई है। यह ठीक है कि परमानेंट नियुक्ति के

लिये मेरिट और सीनियरिटी को फालो किया जाय, लेकिन आफिशियेटिंग अप्वाइंटमेंट के लिये मेरिट के आधार पर प्रमोशन हो यह ठीक नहीं है। दोनों के लिये एक ही नियम होना चाहिये। इसके साथ ही साथ मुझे खेद है कि इस रिपोर्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन ने पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है। बम्बई पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक पर्सनालिटी टेस्ट किया जिससे मालूम होता था कि किस विश्वविद्यालय से ज्यादा अच्छे विद्यार्थी निकल रहे हैं। उससे मालूम होता है विश्वविद्यालयों को कि वे शिक्षा के क्रम में किस प्रकार का परिवर्तन करें। बम्बई पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के अनुसार यहां तक हुआ था कि १५० जो लोग छांटे गये उसमें ८० थर्ड डिवीजन थे, ६८ सैकिंड डिवीजन तथा २ फर्स्ट डिवीजनर। फर्स्ट डिवीजनर पीछे रह गये और थर्ड डिवीजनर मेहनत करके आगे निकल गये। तो विज्ञापनों में तो यह पहले कर दिया जाता है कि थर्ड डिवीजन वाले एप्लाई न करें यह बहुत बड़ा दोष है। परीक्षाओं में तो थर्ड डिवीजन हो, लेकिन सेवाओं में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा यह छापा जाय कि थर्ड डिवीजन वाले एप्लाई न करें, यह बदलना चाहिये और पर्सनालिटी टेस्ट अवश्य रिपोर्ट के कालम में होना चाहिये जिससे सरकार को, सदन को और देश को मालूम हो सके कि कहां पर हमारा स्टैंडर्ड आफ एजूकेशन किस मानो में कम है, जैसे टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स के बारे में।

म्युनिसिपल कारपोरेशंस हमारे यहां स्थापित हो गये हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद ३२१ के अनुसार कारपोरेशन और म्युनिसिपल बोर्ड्स के एक्जिक्यूटिव आफिसर्स की नियुक्ति जब तक लोकल सर्विसेज पब्लिक सर्विस कमीशन न बने तब तक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अधीन हमें लाना चाहिये। साथ ही साथ विभागीय परीक्षायें भी जो प्रिन्सिपल आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद, के मातहत होती हैं, उनके लिये जो परीक्षा पत्र बनते हैं उनके बनाने में पब्लिक सर्विस कमीशन का हाथ होना चाहिये।

इसी प्रकार सन् ४७–४८ में एक सुझाव पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया था, वह आज भी सरकार के विचाराधीन है कि एग्जामिनेशन फीस कम की जाय। उन्होंने सुझाव दिया था कि इंटरव्यू फीस समाप्त कर दी जाय। एप्लिकेशन फीस ५ रुपये रखी जाय। प्राविन्शियल सर्विसेज के इम्तिहान के लिये ३० रुपये फीस रखी जाय और मिनिस्ट्रियल इम्तिहान के लिये १० रुपये फीस रखी जाय। ४७–४८ से कमीशन का यह सुझाव चला आ रहा है जो कि सरकार के विचाराधीन है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अवश्य इस सम्बन्ध में विचार करने का कष्ट करें।

मैं और अधिक न कह कर अन्त में माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इन सुझावों पर जो कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर मैंने दिये हैं विचार करने का कष्ट करें और पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक महान दायित्व का पालन कर रहा है उसको हम सब लोग उसके दायित्व को समझते हुए सहायता दें इस कार्य को चलाने में तभी हमारी योजनायें सार्थक होंगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कमीशन की रिपोर्ट को देखा।

श्री उपाध्यक्ष––मैं समझता हूं कि अब १०, १० मिनट समय रखा जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा––अभी २५–३० मिनट नारायण दत्त जी बोले, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आज्ञा के मुताबिक कम से कम समय लूं। मैं अधिक न कह कर कुछ विशेष बातें कहूंगा और कम समय लूंगा ताकि ज्यादा सदस्य बोल सकें।

पहला निवेदन माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह करना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गठन है उसमें जो एक प्रवृत्ति सी हो गयी है कि जो अवकाश प्राप्त कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट होते हैं आम तौर से उनको रखा जाता है। श्रीमन्, यह देखा जाय कि सर्विसेज से लोगों को आखिर रिटायर क्यों किया जाता है, इसीलिये न कि वे ठीक से काम नहीं कर सकते ?

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

तजुरबा हो, कुछ भी हो, लेकिन काम करने की शक्ति उनकी क्षीण हो जाती है और आयोग के पास काफी काम रहता है जिसके कारण वृद्ध आदमी काम नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं सरकार उनको काम देना चाहती है या सर्विस से अलग नहीं करना चाहती, वे फिर रख लिये जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि गठन की दृष्टि से यह अच्छा नहीं है कि जहां तक सर्विसेज के चुनाव का सम्बन्ध है, मेरा तो निश्चित मत है कि इसके लिये आयोग में ऐसे व्यक्ति रखे जायं जिनको जिन्दगी के विभिन्न विषयों का तजुरबा हो और उनकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी हो, लेकिन खासतौर से ऐसे लोग रखे जायं जिनको सब प्रकार का तजुरबा हो। अगर ध्यान से देखा जाय तो आमतौर से ऐसे लोग आयोग में होते आये हैं जो शहरों के रहने वाले होते हैं, देहात का उनको कोई तजुरबा नहीं होता और जब देहात के विद्यार्थी उनके सामने आते हैं और थर्ड क्लास ही अधिकतर उनको मिलता है तो वे पहले से ही ऐसा विचार बना लेते हैं कि वे इस योग्य नहीं हैं। इसकी वजह से उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। तो पहला एतराज तो यह है कि कमीशन का गठन ऐसा है कि जिसमें तमाम पुराने आदमी रखे गये जो काम कर नहीं सकते और दूसरी बात यह कि जो लोग हैं उनको इस प्रकार का तजुरबा नहीं है कि वे अच्छे लोगों को छांट सकें और यही एक कारण है कि अच्छे व्यक्ति आ नहीं पाते हैं और साधारण लोग किसी प्रकार आ जाते हैं।

दूसरी बात यह, जो माननीय नारायणदत्त जी ने भी कही कि अगर हम देखें कि ९० स्थानों के लिये हरिजनों को भरना था लेकिन केवल ९ को ही स्थान मिल सका और बाकी को नहीं मिल सका तो १० प्रतिशत लोगों को ही भरा जा सका। इससे तो जो हमारा १८ प्रतिशत का नियम है उससे बहुत कम लोग मिलते हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिये कि क्या कारण है कि उचित मात्रा में लोग नहीं मिल पाते हैं। मैं समझता हूं इस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि ऐसे लोगों के लिये क्या योग्यता हो क्योंकि यह तो निश्चित है कि इन लोगों को ऐसे साधन उपलब्ध नहीं होते हैं कि लिखा-पढ़ी में बहुत योग्य हों। वैसे शेक्सपियर और तुलसीदास की रचनाओं का अध्ययन तो सेवाओं में काम में आता नहीं है, लगन और ईमानदारी ही आमतौर से काम देती है। कानूनगो ऐसी सेवाओं के लिये भी ९ आदमियों में से एक आदमी मिला; यह बड़ा गम्भीर विषय है। इस पर विचार करना चाहिये।

एक बात और मैं समझता हूं कमीशन के गठन के सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिये कि उसमें कुछ पिछड़े और हरिजन लोगों को भी रखना चाहिये क्योंकि उनको एक सीधा तजुरबा भी होगा और वे देहात के और इन वर्गों के लोगों की कठिनाइयों को अच्छी तरह समझ भी सकेंगे। दुर्भाग्य से आयोग की कहीं यह टिप्पणी नहीं है कि पिछड़े और हरिजन लोगों का सर्विसेज में इतनी कम संख्या में आने का कारण क्या है। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर ध्यान दें और पिछड़े और हरिजन लोगों को भी आयोग में रखें।

इसके अलावा, श्रीमन्, देखा जाय तो थोड़ी सी आपत्ति की बात यह है कि कमीशन ने पेज २७ पर यह लिखा है कि पी० एम० एस० के लिये पिछला चुनाव सन् १९५३ में किया गया था और वह यह समझने में असमर्थ है कि अन्य सेवाओं की भांति हर साल इसके लिये चुनाव क्यों नहीं किया गया। नियमित रूप से वार्षिक चुनाव करने से कई लाभ होते हैं। श्रीमन्, जहां तक यह सवाल है कि सर्विसेज में लोक सेवा आयोग की सलाह से नियुक्ति की जाय तो वह नहीं की जाती है। इसके अलावा जब चुनाव किया जाता है तो अच्छे लोग उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। फलतः ऐसे ही लोगों को लेना पड़ता है। इसके सम्बन्ध में सरकार ने कमीशन की बात को क्यों नहीं माना? इसका स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगे ऐसी मुझे आशा है। श्री नारायणदत्त जी ने एक बात कही कि टेक्निकल लोगों की कमी है। इसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार का यही काम नहीं है कि वह आयोग को

लिख दे कि इस विषय में टेक्निकल योग्यता का आदमी बुलाइये बल्कि अच्छे आदमियों के निकालने की भी उसकी जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी बतायें कि इसके लिये उन्होंने क्या प्रयत्न किये हैं ?

श्रीमन्, पृष्ठ ६ पर देखें। इसमें एक बात बड़े दुख की है और तिवारी जी ने भी इस ओर ध्यान दिलाया है कि सरकार की ओर से यह तय नहीं हो पाता है कि कितनी जगहों के लिये आदमी की जरूरत है और कैसे आदमियों को चुना जाय और जब विज्ञप्ति निकल जाती है तो सरकार कैंसिल कर देती है। इससे व्यर्थ पैसा बरबाद होता है। इसलिये हम चाहेंगे कि इसके लिये भविष्य में सख्त आदेश होने चाहिये कि बहुत सोच-समझकर आयोग की जगहों के लिये लिखा जाय कि जो वह पूरी करे।

इसके अलावा इस रिपोर्ट में कई जगहों पर, कई विषयों में यह मतभेद रहा कि कमीशन ने अपनी सलाह दे दी कि इनको ले लिया जाय, लेकिन सरकार ने नहीं लिया और इस सम्बन्ध में तिवारी जी ने भी ध्यान दिलाया है और यह आवश्यक है कि यह चीज कम से कम हो और बिलकुल ही न हो तो और भी अच्छा है। जब कि आपने एक संस्था बना रखी है इसके लिये तो उसकी सिफारिशों को जरूर माना जाना चाहिये और उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। यह अच्छा भी होगा और हित में भी होगा।

श्रीमन्, एक बात की ओर और ध्यान दिला दें जैसा कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि साधारण से पद जैसे आशुलिपिक के स्थानों के लिये लोग नहीं मिले। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब सरकार को ऐसे लोगों की जरूरत है तो क्यों नहीं वह इसके लिये स्कूल खोल देती है जिसमें ऐसे लोग शिक्षा ग्रहण करें ? इसमें लिखा है कि १५ लड़कों को हिन्दी आशुलिपि में शून्य मिला। ऐसी दशा में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन दें।

श्रीमन्, लोक सेवा आयोग बड़े-बड़े पदों के लिये तो प्रबन्ध करती ही है, लेकिन छोटे पदों के लिये जैसे स्वायत्त शासन विभाग में बहुत से कर्मचारियों के रखने की जरूरत पड़ती है, अगर इन सबका भार आयोग पर पड़ जाय तो उसके लिये मुश्किल हो जायगी और वह समय पर नहीं कर पायेगी। इसलिये छोटे पैमाने पर एक कमीशन का गठन किया जाय जिससे छोटी नौकरियों के लिये भी अच्छे लोग मिल सकें। इससे समय भी बचेगा और आयोग का बोझ भी कम होगा। श्रीमन्, मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि आयोग में ऐसा मालूम पड़ता है कि जो लोग इसमें हैं वह रोज के अनुभव से और कैसे लोग सेवा में लिये जायं, उनके रोज के काम से अनभिज्ञ हैं। इसका बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि इसमें पेज ५ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश उद्योग संचालकालय के अन्तर्गत कुट्टी काटने की चाकुओं की योजना के लिए वर्क्स सुपरिंटेंडेंट आदि। इसे देखकर मुझे बड़ी हंसी आई क्योंकि अंग्रेजी में उसमें लिखा हुआ है चेफ कटर नाइव्ज, जिसके लिए हिन्दी में उन्हें कोई शब्द नहीं मिल सका जबकि उसे गंड़ासा कहते हैं। लेकिन उसमें कुट्टी काटने का चाकू लिखा हुआ है। पहले तो वह समझ में ही नहीं आया कि कुट्टी काटने का चाकू क्या हो सकता है। तो इससे सिर्फ यह प्रकट होता है कि ऐसे लोग वहां कमीशन में बैठे हुए हैं जिनको प्रदेश की इन सब बातों का ज्ञान नहीं है और वह अंग्रेजी में ही सोचते हैं।

इसलिये अन्त में मेरी यह सिफारिश है कि कम से कम कमीशन में ऐसे आदमी हों जो प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता के जानकार हों और वह ऐसे लोगों को छांटें जो प्रदेश में कुछ काम कर सकें। जब वह ऐसे लोगों को छांटते हैं जो शहरी हैं पहनावे और तड़क-भड़क से रहते हैं और वह जब नौकरियों में जाते हैं तो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। एक दफा कुछ लोग ऐग्रीकल्चर इंसपेक्टर की जगह के लिए छांटे गए। वह जब देहातों में पहुंचे तो काम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बाबू लोग थे। जिन्दगी भर में कभी उसको खेती का तजुर्बा नहीं हुआ था। केवल ४५ घंटे की कुल एक आदमी को बी० एस-सी० करने में खेती की ट्रेनिंग होती है। तो ४५ घंटे की ट्रेनिंग से क्या हो सकता है। एक साधारण आदमी का तजुर्बा उससे कहीं ज्यादा होता है। इसलिये कमीशन में अगर इस तरह के आदमी

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

लिये जायं जिनको व्यापक तजुर्बा हो तो इस तरह की गलतियां नहीं होंगी । परसनाल्टी पर भी वहां कुछ नम्बर दिये जाते हैं । अगर परसनाल्टी का नम्बर केवल बाहरी दिखावे और वेशभूषा पर ही मिलता हो तो उसके तो हम विरोध में हैं । हम यह नहीं मानते कि एक खूबसूरत आदमी अच्छा काम करेगा । अगर उसके काम-धन्धे आदि को ध्यान में रखकर परसनाल्टी पर नम्बर दिया जाय कि वह अपने काम को कितनी अच्छी तरह कर सकता है, तब ही वह कुछ लाभप्रद हो सकता है ।

इन तमाम बातों के साथ में आपने जो आदेश दिया था उसके मुताबिक अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन सब बातों पर ध्यान देंगे ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, चार पांच साल से आयोग के प्रतिवेदन को पढ़ने से यह तो मालूम होता है कि अब सरकार में और आयोग में परस्पर सहयोग बढ़ा है । ऐसी चीजें कम आने लगी हैं जिनमें सरकार और आयोग में विरोध हो और इस वर्ष तो स्पष्ट तौर से इन बातों को रिपोर्ट में लिखा है जिन पर कि आयोग ने कुछ थोड़ा-सा असन्तोष भी प्रकट किया है या असहमत हुआ है । मैं तो देखता हूं कि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें कि कुछ नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया और इस अवसर पर उनकी तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना उचित ही होगा ।

पहली चीज है नियुक्तियों में देरी । आयोग ने लिखा है कि मालूम ऐसा होता है कि वहां से संस्तुति आ जाती है परन्तु जितने समय के अन्दर उन नियुक्तियों के लिए आज्ञायें चली जानी चाहिएं वह नहीं जातीं । उन्होंने १०८ पदों के विषय में लिखा है कि उनकी नियुक्ति आज्ञायें नहीं पहुंचीं और ऐसी आज्ञायें दो मास के अन्दर चली जानी चाहिए थीं, लेकिन उनमें बहुत समय हो जाता है ।

दूसरा मामला है जिसका इसमें जिक्र है और जिसका अभी जिक्र हुआ था, लेकिन मैं समझता हूं उसको फिर दोहरा देना कुछ अनुचित नहीं होगा । वह है मुख्तार सिंह पालीटेकनिक इंस्टीट्यूट में एक व्याख्याता के बारे में । वह भी तीन वर्ष से लगातार आ रहा है और पहले वर्ष तो आने का केवल यही कारण था कि आज्ञा जारी नहीं हुई थी । यदि आज्ञा जारी हो जाय तो आयोग को मालूम हो जाय कि हमारी संस्तुति पर क्या हुआ ताकि वह भी उस पर लिख सके ।

दूसरी बात विज्ञापनों के सम्बन्ध में है । इसका भी जिक्र हुआ है । एक बार एक विज्ञापन निकला । आयोग से कुछ सिफारिशें करने के लिए कहा गया और फिर थोड़े दिनों के बाद कह दिया कि विज्ञापन रद्द किया जाता है । मैं मानता हूं कि इससे गवर्नमेंट की साख तो कम नहीं होती, लेकिन लोगों पर इसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ता । लोग प्रायः यह कहते हैं कि इस सरकार का क्या कहना है, आज यह कह दिया, कल यह कह दिया ।

आयोग ने इस विषय में जो वाक्य लिखे हैं यहां पढ़ना ठीक ही होगा कि किसी विज्ञापन का रद्द करना न तो शासन के लिये श्रेयस्कर है और न आयोग के लिये क्योंकि इसमें श्रम और धन दोनों का अपव्यय होता है । अतः आयोग के सभी सम्बन्धित अधिकारियों पर इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि जब किसी पद को सृजित करने अथवा किसी रिक्त पद को भरने का पक्का निश्चय कर लिया जाये तभी चुनाव करने के लिये प्रार्थनायें ली जायें । इस बात को मैं ठीक मानता हूं और आयोग की यह बात सही है । मैं समझता हूं इस ओर माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान देंगे ।

तीसरी बात उसने लिखी है कि आशुलिपिकों की कमी है । इसका यहां पर जिक्र किया गया । हम इस बात को महसूस करते हैं कि आशुलिपिक नहीं मिलते हैं और हिन्दी के विशेषकर नहीं मिलते हैं । मैं समझता हूं इसका कुछ प्रबंध होना चाहिये । यदि इस ओर ध्यान दिया जाय तो यह कोई बड़ी बात नहीं है कि २,३ वर्षों के अन्दर हम इस कमी को पूरी न कर सकें । यह कमी नहीं रहनी चाहिये ।

एक बात बार बार कही जाती है और हर साल हमारे सामने आती है ज्येष्ठता और कनिष्ठता की। इसके बारे में यहां पर जिक्र हुआ। इसके बारे में जो नियम बनते जाते हैं उनसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। फिर भी कुछ कमी है उसके लिये स्पष्ट नियम हमारे होने चाहिये। कुछ विशेष प्रतिभा का प्रश्न भी सामने आया कि उन लोगों को पहले अवसर दिया जा सकता है। जब किसी को आगे पढ़ाना हो इसका जिक्र विशेषता पर नियमों में दिया हुआ है कि अयोग्यता के आधार पर छोड़कर बाकी को सीनियोरिटी के आधार पर उसी विभाग में पदोन्नति दी जाय। यह ठीक है, लेकिन फिर भी विशेष प्रतिभा वाले लोगों के लिये नियम में लिख देना चाहिये कि इस प्रकार से उनका टैस्ट लिया जायगा या कोई परीक्षा ली जायगी जिससे यह मालूम हो जाय कि उनकी विशेष प्रतिभा क्या है। उसके लिये भी नियम बन जायं तो उसी आधार पर फिर निर्णय होगा। जब तक यह नहीं होगा (और आयोग को नाराजगी होगी)। (किसी किसी अधिकारी को अपनी इच्छा के अनुसार करने का मौका मिलेगा)। इसलिये इसके लिये नियम बन जायं तो अच्छा है।

एक दिक्कत उन्होंने और लिखी है कि पूरी जानकारी नहीं भेजते यानी कभी कभी वह संस्तुति के लिये कोई केस भेजते हैं तो उसमें पूरी जानकारी उनके लिये नहीं होती है। उसका परिणाम यह होता है कि उनको फिर पूछना पड़ता है। उसके शब्द ये हैं कि "अस्थायी पदोन्नति के नियमितकरण का अनुरोध करते समय यह नहीं लिखा गया था कि संबंधित कर्मचारी ज्येष्ठतम थे या नहीं या उनकी पदोन्नति से किसी ज्येष्ठ कर्मचारी का अवक्रमण हुआ या नहीं अथवा चुनाव ज्येष्ठता या श्रेष्ठता के आधार पर किया गया। इस प्रकार के सभी मामलों को निपटाने के पूर्व ऐसी सूचना मांगनी पड़ी थी क्योंकि एक वर्ष से अधिक अवधि की अस्थायी पदोन्नति के मामलों में भी आयोग को यह देखना पड़ता है कि बिना पर्याप्त औचित्य के किसी ज्येष्ठ कर्मचारी का अवक्रमण तो नहीं हुआ एकदम उनको बताया नहीं गया तो दोबारा लिखना पड़ा। इसलिये जैसा मैंने शुरू में कहा कि कड़ाई से नियमों का पालन करना जरूरी है।

उन्होंने अपनी एक दिक्कत और लिखी है अपने कार्यालय के लिये कि उनको भवन की दिक्कत है। अभी वर्क लोड के बारे में तिवारी जी ने भी बतलाया। मैं समझता हूं मुख्य मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे। एक केस और उन्होंने असहमति के बारे में लिखा है जिसमें एक महिला डाक्टर का जिक्र है। उस महिला डाक्टर को आन प्रोबेशन नियुक्त करने के लिये आयोग ने लिखा था, लेकिन जिस तारीख से उन्होंने लिखा उस से बहुत बाद की तारीख से नियुक्त किया। मालूम यह हुआ कि एक साल के लिये वह ट्रेनिंग पर रही और बाद को जो नियुक्ति उनकी हुई तो इस पहले पीरियड में उनकी सर्विसेज डिसकंटीन्यू हो गई। उनको फिर दोबारा नियुक्त किया गया। आयोग ने लिखा है कि उनकी सर्विस डिसकंटीन्यू नहीं होना चाहिये क्योंकि इससे उनके अधिकारों में कुछ कमी आ जाती है जो कि उनको मिलते हैं। नियम के अनुसार उनको अधिक छुट्टी नहीं दी जा सकती थी तो उस बीच के लिये उनको हानि उठानी पड़ी। इसलिये ज्यादा स्पष्ट नियम इस तरह के केसों के लिये बन जाने चाहिये।

इसके अतिरिक्त जो असहमति के केसेज और उन्होंने लिखे हैं वह बहुत थोड़े हैं। एक बिक्री कर अधिकारी का मामला है। एक समिति ने इन बिक्री कर अधिकारियों का चुनाव किया। फिर इस पर आयोग से संस्तुति मांगी गई। केवल एक को छोड़कर जितने लोगों को समिति ने चुना था आयोग ने संस्तुत कर दिया। कुछ भी कारण हो शासन ने उस संस्तुति को नहीं माना। बाद में पूछने पर लिख दिया गया कि कुछ अधिकारियों की दिल्ली प्रशासन से आने की संभावना थी और कुछ और कारण दिये गये। मैं इस बात में नहीं जाता कि आयोग की राय सही थी या नहीं, परन्तु एक बात अवश्य है कि यह लिखत-पढ़त बेकार हुई। अगर उनकी संस्तुति को नहीं मानना था, वह नियुक्तियां नहीं करनी थीं तो यह सब कार्यवाही कि एक समिति ने उनका चुनाव किया, लोक सेवा आयोग ने उनकी संस्तुति की, बेकार हुई। आपको पहले तो यह देखना था कि आया उन को आपको यह नियुक्तियां देनी थीं अथवा नहीं। दिल्ली प्रशासन से वापस बुलाने की बात भी पहले सोची जा सकती थी अगर इसका फैसला पहले हो जाता तो शायद इतनी लम्बी

[श्री जगदीश प्रसाद]

चोड़ी लिखा-पढ़ी और कार्यवाही न हुई होती। तो सब से पहले हमें देख लेना चाहिये कि हमें नियुक्ति करनी है अथवा नहीं और लोक सेवा आयोग को लिखने के बाद इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये।

दूसरे पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा पशु पालन विद्यालय, मथुरा के शरीर व्याख्याता के विषय में लिखा गया है कि उसका विज्ञापन निकालना चाहिये था। लकिन विशेष बात इसमें यह है कि सरकार का जो ज्ञापन है उसमें लिखा है कि यह विज्ञापन इसलिये नहीं निकला कि उनके खिलाफ जो इंट्री थी वह कोई गंभीर इंट्री नहीं थी और उनको इसकी सूचना नहीं दी गयी थी। इंट्री गंभीर नहीं थी यह तो हो सकता है और सरकार स्वयं इस निश्चय पर पहुंच सकती है, लेकिन उनको उसकी सूचना क्यों नहीं दी गयी? मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों को सरकार देखेगी और जांच करेगी कि कौन आदमी इसके लिये जिम्मेदार है कि जिसके कारण यह सूचना नहीं दी जा सकी और जिसकी वजह से यह परिस्थिति आयी और आयोग में और सरकार में यह थोड़ा मतभेद हुआ।

एक तीसरा मामला कंसीलियेशन अफसर का है। उनके खिलाफ इंट्री थी। पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनके पुष्टिकरणसे इन्कार कर दिया और यह कहा कि उनको एक साल का परीक्षण काल और दे दिया जाय। उस परीक्षण काल में भी इंट्री उनके खिलाफ रही और तब एक साल का परीक्षण काल उनको स्वयं ही और बढ़ा दिया गया। मैं इससे बिलकुल असहमत हूं। क्या परिस्थिति थी क्या नहीं, इसका ज्ञापन इसमें दिया है। लेकिन जब उन से पूछा गया और एक साल का परीक्षण काल उन्होंने बढ़ाने को कहा तो फिर उस परीक्षण काल को दोबारा क्यों बढ़ाया गया और फिर जब उस पहले परीक्षण काल में भी इंट्री उनके खिलाफ आयी ऐसी हालत में अगर दोबारा परीक्षण काल बढ़ा दिया जाता है तो हम को सब कुछ अधिकारियों के हाथ में ही दे देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इसको सरकार देखेगी।

एक हरिनन्दन प्रसाद कांस्टेबुल का इसमें जिक्र है। उनको गोली लग गयी थी और वह मर गये थे। यह ठीक है कि वह ऐसी खतरनाक ड्यूटी पर नहीं थे कि सरकार को विशेष ध्यान देने का प्रश्न हो, लेकिन मैं आप के समक्ष यह अवश्य कहना चाहता हूं कि इस पर सरकार सोचे। वह ड्यूटी पर थे और अगर वह सर्विस में न होते तो वहां न जाते। यह माना कि वे खतरे की ड्यूटी पर नहीं थे, लेकिन ज्ञापन में है कि साधारण परिस्थिति में भी उस व्यक्ति को गोली लग सकती थी। लेकिन यदि वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसे वहां जाने की कोई जरूरत ही न होती। तो यह बात दूसरी है कि उनको कोई सहायता मिले या न मिले, लेकिन इसके लिये कुछ स्पष्ट नियम होने चाहिये।

एक मामला सहायक निर्वाचन अधिकारी की सेवा नियमावली का है। उसका आलेख्य पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजा गया और उन्होंने उसे वापस भेज दिया। फिर जब उसको फाइनल किया गया तो उसमें कमीशन की राय नहीं ली गयी और नियमावली में ऐसे परिवर्तन कर दिये गये कि जो बुनियादी हैं। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से इसमें सहमत हूं। वह दोनों परिवर्तन बुनियादी हैं और उनको कमीशन की राय लिये बगैर नहीं करना चाहिये था।

एक मामला दो पत्नी वाले कर्मचारी का है जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिखा है कि सरकार ने यह आज्ञा जारी कर दी है कि दो पत्नी वाले व्यक्ति सरकारी सेवा के लिये नहीं लिये जा सकेंगे और इसमें यह गुंजायश दी है कि गवर्नर चाहें तो विशेष परिस्थिति में ऐसा कर सकते हैं। आयोग ने इस पर आपत्ति की और कहा कि गवर्नर हम से पूछ कर ऐसा करें। सरकार का जो तरीका है और केन्द्र में भी ऐसा किया जाता है, उससे मैं सहमत हूं। यह बहुत थोड़े से मसले होते हैं और उनमें गवर्नर को अधिकार दिया गया है और उसमें भी उनको बांध देना कोई बहुत ठीक बात नहीं है। इसमें गवर्नर को अधिकार होना पर्याप्त है।

इन सब के होते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन और सरकार के बीच सहयोग बढ़ रहा है। उसने अंत में ही नहीं, बल्कि बीच बीच में भी कुछ खास मामलों में इस बात का जिक्र किया है कि हमारी यह बात भी पूर्णतः मान ली गयी, यह बात भी मान ली गयी। इसलिये यह संतोषजनक है।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, यह जो आपके सामने वार्षिक प्रतिवेदन है यह १९५६–५७ का है, यानी दो साल हम पीछे चल रहे हैं और इस दो साल पीछे चलने की गतिविधि में सरकार की ओर से यह सफाई दी गयी कि विलम्ब इसलिए हो गया कि आयोग से प्रतिवेदन बहुत देर से मिला। पार साल भी यही शब्द लिखे हुए थे कि हमको प्रतिवेदन देर से मिला इसलिए ज्ञापन देर से दे सके। लेकिन ज्ञापन में इतनी ही बात कह कर के अपनी क्रियाशीलता खत्म कर देना कहां तक बुद्धिमत्ता होगी? यह अधिकार हमको संविधान से मिला है कि हम बहस कर सकें और यह भी कि सरकार का ज्ञापन इसके साथ हो और दोनों को देख कर हम विचार करें। लेकिन जब हम इस दृष्टि से इसको देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि बहुत से तथ्य हमसे छिपाये जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तरोत्तर अपने कार्य में अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। जहां कि पिछले साल इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब ३ लाख रुपया आय थी, इस वक्त आय ५ लाख के करीब बढ़ कर हो गयी है। जहां इसका व्यय पिछले साल ५ लाख था वहां अब सवा छै लाख हो गया है। तो हमें विशेष तौर से यह ध्यान आकर्षित करना है कि ज्यों ज्यों आय बढ़ती है व्यय भी बढ़ता है। और आय किस रूप में बढ़ती है वह भी ध्यान देने योग्य है। आज भी हमारे स्वतंत्र देश में गरीबी और अमीरी की होड़ मची है। जितनी सेवायें हैं वह केवल मात्र कुछ भाग्यशालियों के हाथ में हैं। जिनके पास धन हो, जो अच्छे खानदान में पैदा हुये हैं और जिनकी सिफारिश हो उन्हीं के लिये वह रिजर्व है। बहुत से निर्धन नवयुवक पब्लिक सर्विस कमीशन की लम्बी लम्बी फीसों के कारण सर्विसेज में जा ही नहीं पाते हैं, प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं। साधारण से साधारण परीक्षाओं में भी शुल्क लिये बिना कोई बैठ ही नहीं पाता है। होता यह है कि बहुत से निर्धन विद्यार्थी कर्ज ले कर ही प्रविष्ट हो पाते हैं। तो यह जो रिपोर्ट व्यय और आय बताती है, इससे स्पष्ट है कि पब्लिक सर्विस कमीशन हो या और कोई हो निर्धनता पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, अन्य किसी कार्य पर भले ही दिया जाता हो।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार की नीति भी दिखाई देती है। एक तरफ तो जहां सरकार बड़े-बड़े हाकिमों की बहुत सी गबन इत्यादि की बातों को नजर अन्दाज करती है वहां किसी साधारण पुलिस सिपाही की पेंशन का सवाल होता है तो वहां अड़ जाती है। मैं दो एक उदाहरण रखूंगा। एक है पालिटेक्निक कालिज, मेरठ के मुख्तार सिंह के बारे में। यह एक डेब्रैकिल है, एक ऐसी कठिनाई है जिसकी लीपा-पोती सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से की है, लेकिन अन्दर बड़ी पोल है। सरकार ने हर हालत से पक्षपात करके उसकी नियुक्ति को रोकने की कोशिशें की। पब्लिक सर्विस कमीशन ने बार-बार एतराज किया, लेकिन येनकेन-प्रकारेण उस पोस्ट को ही अबालिश करके सरकार ने अपनी बात रखी। मालूम नहीं, कैसे यह उनके लिये क्रेडिट की बात हो गयी कि हम अपनी बात को रखेंगे।

एक करनाल का मामला है। कई हजार रुपये का गबन इस रूप में हो रहा है। पृष्ठ १७ पर इस सम्बन्ध में आयोग ने लिखा है उसको पढ़ लिया जाय। उसमें लिखा है कि करनाल के अधीक्षक के पद पर प्रतिनियोजन पर रहते हुये दुग्ध चूर्ण के क्रय व्यवहार के सम्बन्ध में घोर कुप्रबंध का दोषी ठहराया गया था, आयोग ने देखा कि यद्यपि जांच अधिकारी ने संबंधित कर्मचारी को बेईमान नहीं पाया था, फिर भी यह स्पष्ट था कि उसने घोरतम असावधानी की थी जिसके फलस्वरूप राज्य-निधि को हानि उठानी पड़ी। इससे कई हजार का नुकसान उठाना पड़ा। सरकार उसको कोई दंड देने के पक्ष में नहीं रही और कुछ थोड़ा-सा विरोध करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

पर उसकी कुछ काल के लिये वेतन वृद्धि रोक दी और उस केस को नजरअन्दाज कर दिया गया। लेकिन उसके दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमें मालूम होगा कि एक बेचारा कान्सटेबिल गोली से मारा जाता है, उसकी विधवा स्त्री पेंशन पाने के लिये तड़पती रहती है और उससे कहा जाता है कि वह आन ड्यूटी नहीं मरा है, इसलिये पेंशन स्वीकार नहीं की जा सकती। तो इस सम्बन्ध में जैसा कि हम लोगों का खयाल है सरकार की नीति पक्षपात की रही है और रहती है। उसकी भइया भतीजेपन की नीति होती जा रही है, निपोटिज्म की नीति होती जा रही है और यह सब उसके उदाहरण हैं जो मैंने बताये हैं। कम से कम सरकार को आयोग की सिफारिशों पर तो चलना चाहिये। एक आध बात में मतभेद हो सकता है। उसको मनमानी घर जानी नहीं करना चाहिये। एक जगह उन्होंने कुछ उम्र में वृद्धि करने की बात कही है और उसको ५५ साल से बढ़ा कर ५८ साल कर दिया है।

सर्विसेज में जिस तरह का पक्षपात किया जाता है उसके एक नहीं कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं और मैं दो एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि आयोग ने यह परामर्श दिया था कि राज्यपाल को आयोग के विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत सेवाओं और पदों पर चुनाव करने के लिये उस नियम के उपबन्ध से मुक्त आयोग के परामर्श से देनी चाहिये और यह सुझाव दिया था कि इस बात को स्पष्ट करने के लिये उपबन्ध में समुचित संशोधन कर देना चाहिये। ऐसे मामलों में भारत सरकार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं करती। उनकी इस प्रथा का अनुसरण करते हुय शासन न आयोग क सुझाव को स्वीकार नहीं किया। आयोग न बतलाया कि भारत सरकार एसे मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं करती, इस तथ्य में अधिकार का बल होगा, न कि विधि का। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो नीति है उसको बरती जानी चाहिये। यह सरकार जो मनमानी करती है उसे उसको बन्द करना चाहिये। लेकिन सरकार कहती है हम यह नीति नहीं बरतेंगे, हमारा ज्ञान तो उनसे कहीं अधिक है कहीं अच्छा है।

फिर नियमों को बनाते समय भी ढील कर दी जाती है। नियम भी ठीक तरह से नहीं बनाये जाते हैं। यह जो रिपोर्ट है उसमें जगह-जगह पर इस किस्म की शिकायतें हैं और उनको पढ़ने से पता चलता है कि सरकार की नीति क्या रही है और किस तरह से वह नियमों का उल्लंघन करती रही है।

एक जगह इसमें लिखा हुआ है कि संबंधित अधिकारियों को किसी पद पर नियुक्ति करने के लिये अपना प्रोपोजल भेजने से पूर्व सोच-विचार लेना चाहिये और तब भेजना चाहिये। यह नहीं कि आज आपने प्रोपोजल भेज दिया, उसके लिये उन्होंने विज्ञापन भी कर दिया और बाद को आपने अपना प्रोपोजल वापस ले लिया। इस रिपोर्ट में लिखा है कि किसी विज्ञापन को रद्द करना न तो शासन के लिये श्रेयस्कर है और न आयोग के लिये। इसमें समय, श्रम और धन का अपव्यय भी होता है। अतः आयोग सभी संबंधित अधिकारियों पर इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि जब किसी पद को सृजित करने अथवा किसी रिक्त पद को भरने का पक्का निश्चय कर लिया जाय, तभी चुनाव के लिये अर्थनायें भेजी जायं। लेकिन ऐसा नहीं होता।

दूसरी बात यह है कि अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने में आज्ञा जारी करने के सम्बन्ध में भी इतनी देर की जाती है कि आयोग को बार बार उसके लिये ध्यान आकर्षित करना पड़ता है और बार बार रिमाइन्डर्स भेजने पड़ते हैं। इतना होने पर कभी भी सरकार का ध्यान नहीं जाता है। वे ऐसे कामों में ढील डालना ही अपना कर्त्तव्य मानते हैं। वह ढील डालने के लिये किसी न किसी तरह से अड़ंगा लगाये रहती है। टैम्पोरेरी नियुक्तियां करने में सरकार को मनमानी नहीं बरतनी चाहिये। जितने डिफेक्ट हमने पिछली रिपोर्ट के समय सरकार के सामने रखे थे उनमें कहीं भी उन्नति नहीं दिखाई पड़ती है। इस प्रतिवेदन के साथ जो तमाम तालिकायें मौजूद हैं उनमें विशेष तौर से उल्लेख है कि किस प्रकार से सरकार टैम्पोरेरी सर्विसेज

का काम करने के लिये नियम बनाती है और फिर उसका उल्लंघन करती है। इससे यह साबित होता है कि सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिये जिससे यह मालूम हो सके कि सरकार अपन बनाये हुये नियमों का पालन करने की ओर अग्रसर हो रही है। यह रिपोर्ट २८ पेज में है संक्षिप्त रूप में और सरकार ने ज्ञापन भी लिखा है, लेकिन यह मालूम होता है कि चीजों को छिपाने की कोशिश की गई है और आयोग के साथ सरकार का मेल है या यों कहिये कि उसमें सरकार की नैपोटिज्म छिपी है जो कहीं कहीं पर जाहिर हो जाती है....

श्री उपाध्यक्ष---उस मेल में भी खेल है। (हंसी)

श्री मोतीलाल अवस्थी---जी हां, मेल में भी खेल है....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---और इसी से सारा मामला फेल है। (हंसी)

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है "कई मामलों में यह देखा गया कि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये अस्थायी पदोन्नतियों के नियमितकरण का अनुरोध करते समय यह नहीं लिखा गया था कि संबंधित कर्मचारी ज्येष्ठतम थे या नहीं या उनकी पदोन्नति से किसी ज्येष्ठ कर्मचारी का अवक्रमण हुआ या नहीं"....

इसी प्रकार से और भी बहुत सी बातें हैं। कई मामलों के सम्बन्ध में सरकार ने कहा कि हम अपने कन्टैक्ट से नियुक्तियां कर लेंगे या अपने ही हुक्म से कर लेंगे। मैं नहीं समझता कि जब लोक सेवा आयोग मौजूद है, सारी नियमावली मौजूद है तो सरकार का पर्सनल कन्टैक्ट क्यों चल रहा है। ऐसे मामले नियुक्ति कर लेने के बाद आयोग के पास कन्फर्मेशन के लिये भी देर से भेजे जाते हैं ताकि किसी प्रकार से बात छिपी रहे या टल जाय।

तीसरी बात यह है कि आयोग ने जिन नियुक्तियों की बात आपके सामने रखी है उसमें नीति के बारे में थोड़ा-सा सन्देह हुआ करता है। आयोग में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होने चाहिये। मैंने देखा कि कमीशन में ४ मेम्बरों के अतिरिक्त पांचवां मेम्बर बढ़ाया गया जिसके फलस्वरूप ५२ हजार रुपये की वृद्धि हुई और तमाम भत्ते और दूसरे खर्चे बढ़ गये। तो यह भी हमारे देखने की बात है कि इस निर्धन देश के लिये ऐसे खर्चीले आयोग की कहां तक आवश्यकता है। मुझे यह भी मालूम है कि इलाहाबाद में हजारों कैन्डीडेट्स को बुलाया जाता है, उनसे लम्बी फीस ली जाती है और इसके अलावा उन्हें आने जाने और रहने सहने का खर्चा उठाना पड़ता है, लेकिन वही थोड़े से लोग जिनके बारे में पहले से काना-फूसी हो जाती है वही नियुक्त कर लिये जाते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है। क्या यह कहना उचित होगा कि वही लोग नियुक्त होते हैं जिनके सम्बन्ध में काना-फूसी हो गई हो?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है, इसे वापस लेना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप आज्ञा दें तो मैं मंतव्य को स्पष्ट कर दूं। काना-फूसी का शब्द चाहे किसी अर्थ में गम्भीर दिखाई पड़े, लेकिन बातें ऐसी हुई हैं और जानकारी भी ऐसी है कि इंटरव्यू केवल व्यावहारिक रूप में होता है।

श्री उपाध्यक्ष---जिन बातों की असलियत आपको पता न हो उनको केवल शंका में आपको नहीं कहना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, यह कहां पर लिखा हुआ है कि कमीशन की आलोचना करना अवैधानिक है।

श्री उपाध्यक्ष---यह सवाल नहीं है कि वह गलत काम करते हैं या नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि जिन लोगों के बारे में काना-फूसी या सिफारिश हो जाती है वे ही लोग वहां चुन लिये जाते हैं। इतनी बड़ी संस्था के लिये माननीय सदस्य ऐसा लांछन लगायें जिसको वे सबस्टैंशियेट न कर सकें या उसको करने का कोई आधार उनके पास न हो, इस तरह से कह देना उचित नहीं है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, तो इस विषय में आपकी व्यवस्था क्या हुई ? यदि माननीय अवस्थी जी सप्रमाण यह कहें कि किस प्रकार काना-फूसी के बाद लोगों को रखा गया तो ?

श्री उपाध्यक्ष--लेकिन उन्होंने ऐसा तो किया नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--ऐसे बहुत से उदाहरण आगे बोलने वाले वक्ता महोदय देंगे। एक डिप्टी डायरेक्टर जेल इंडस्ट्रीज को नियुक्त किया गया था। उनको सिफारिश से किये जाने के बारे में यहां पर भी प्रश्न आया था। वे नाइंथ फेल थे, यह बात इस हाउस के सामने भी कही जा चुकी है। मैं अपनी बात को फिर दुहराना चाहता हूं और आगे के लिये आशा करता हूं कि हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन क्लीयर हार्ट का बने और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी सरकार भी क्लीयर हार्ट की बने। लेकिन यह जो मैंने बातचीत की वह हमारे नवयुवकों में जो फ्रस्ट्रेशन की भावना पायी जाती है उसको देखते हुए ही कही। आशा है कि हमारी बात पर सरकार ध्यान देगी।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---उपाध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट इस समय प्रस्तुत है और जिस पर वादविवाद चल रहा है वह २५ नवम्बर, १९५८ से संबंधित है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस रिपोर्ट को २५ नवम्बर, १९५८ को प्रकाशित करके सरकार के पास भेज दिया था। लेकिन हमें दुख है कि आज डेढ़ साल के बाद हमें रिपोर्ट पर विचार करना पड़ रहा है। इस देरी का परिणाम यह होता है कि सरकार की ओर से जब कभी कोई लापरवाही बरती जाती है और उस संबंध में आयोग कोई टीका टिप्पणी करता है तो सही ढंग से उस टीका टिप्पणी का लाभ नहीं उठाया जा सकता। इस प्रकार से सरकारी सेवाओं में उनकी भरती के संबंध में जो गड़बड़ियां होती हैं वे दुरुस्त नहीं हो पातीं। मुझे विश्वस है कि भविष्य के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जब कभी इस तरह की रिपोर्ट उपलब्ध होगी, वे यथासमय उसको प्रकाशित करके सदन में भी विचारार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में यह प्रथा चली आयी है कि किसी पद के लिये किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो किस योग्यता का वह व्यक्ति चाहिये सको भी निश्चित करके आयोग के सम्मुख अपनी मांग सरकार प्रस्तुत करती है। मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार के पास कोई स्थान रिक्त हो और किसी स्थान पर वह नियुक्ति करना चाहती है तो वे आयोग को उसके लिये लिख दें, लेकिन यह न लिखें कि किस योग्यता का व्यक्ति उनको चाहिये। यह चीज आयोग के ऊपर छोड़ दी जाय कि वहां के लिये वे किस योग्यता का व्यक्ति उपयुक्त समझते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो योग्यता सरकार की तरफ से भेजी जाती है, उस योग्यता के व्यक्ति नहीं मिलते। तब पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी सिफारिश सरकार के पास भेजता है कि निर्धारित योग्यता के व्यक्ति नहीं मिलते, उसको कम किया जाय। ससे सेवाओं की भरती करने में विलम्ब लगता है। इसलिये यह प्रथा अपनायी जाय कि किन पदों पर अथवा कौन से व्यक्तियों की नियुक्ति करनी है, यह कमीशन को लिखा जाय। योग्यता निर्धारित करने का अधिकार आयोग को रहे।

जब श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव, जो कि इस आदरणीय सदन के भी सदस्य रह चके थे, आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने रिसर्च ब्यूरो आफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंसटीट्यूशन नाम की एक संस्था या कमेटी का निर्माण किया था। आचार्य नरेंद्रदेव, प्रोफेसर सिद्धांत, श्री रामप्रसाद त्रिपाठी, श्री चेलापति राव, श्री बी०एन० भल्ला जैसे व्यक्ति उस कमेटी में थे। लेकिन उस कमेटी की स्थापना के बाद आज तक यह पता नहीं चल सका कि उस इंस्टीट्यूशन की स्थापना तो की गयी, लेकिन उसका क्या हुआ। इस बात की आवश्यकता ही क्यों पड़ी थी कि इस तरह की कमेटी बनायी जाय और मैं समझता हूं कि उसमें योग्यतम व्यक्ति थे। उन्होंने ही यह निश्चय किया था कि इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिये जो सेवाओं के संबंध में

समय समय पर जानकारी प्राप्त करके, जांच करके अपने सुझाव सरकार को दे सके। वह कमेटी बनी, वह इंस्टीट्यूशन बना लेकिन उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ, यह आज तक पता नहीं चला।

मान्यवर, सेवा नियमों के संबंध में हमारे प्रदेश में बड़ी गड़बड़ी है। संविधान की धारा ३०९ के अन्तर्गत विधान मंडल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा नियम बनावे। लेकिन इतने दिनों से विधान मंडल के गठन और उसके कार्य करते रहने के बाद भी अभी यहां कोई ऐसा कानून या कोई ऐक्ट नहीं बना जिसके अनुसार सेवा नियम निर्धारित किये जा सकें। यद्यपि संविधान में स बात का विधान है कि केंद्र के लिये राष्ट्रपति और प्रदेशों के लिये राज्यपाल नियम बनाते रहें। ठीक है, लेकिन जब इस बात की व्यवस्था संविधान में है तो इसे विधान मंडल को बनाना चाहिये। आज कोई कारण समझ में नहीं आता कि राज्यपाल महोदय के हाथ में ही यह काम रहे कि वे नियम बनावें। नियम विधान मंडल को बनाना चाहिये और उनको लागू करना चाहिये। आप देखें कि यू० पी० इकोनामिक इंलिजेंस रूल्स सन् १९४९ में बने और वे पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेजे गये। ८ साल के बाद वे कंफर्म होकर आये, तो इस तरह से सर्विसेज की आज एक बड़ी दिक्कत है जिससे बड़ी कठिनाई है। उसको दूर करना चाहिये।

उसके साथ साथ हमारी बहुत सी ऐसी सेवायें हैं जिनके संबंध में आज तक कोई नियम नहीं बना है तो आवश्यकता इस बात की है कि सेवा नियम शीघ्रातिशीघ्र बनने चाहिये और उनके लिये कोई व्यवहृत कानून बनना चाहिये जिससे विधान मंडल या सदन के सदस्य भी अपनी रायजनी कर सकें जिससे सेवा नियम सही ढंग से बनाये जा सकें।

मान्यवर, कमीशन की ओर से सरकार के पास जो संस्तुतियां भेजी जाती हैं, सरकार उनको भी कभी नहीं मानती है। मानती ही नहीं बल्कि फिर उनको कमीशन के पास भेजती है ताकि उनको जरा और हल्का या माइल्ड किया जा सके। खासकर उस समय जब कि किसी खास अधिकारी की लापरवाही से सरकारी धन को किसी प्रकार से क्षति पहुंचती है, उसके लिये जब कमीशन अपनी किसी प्रकार की रायजनी करता है और उसके संबंध में अपनी टीका-टिप्पणी करते हुये बतलाता है कि इस अधिकारी की लापरवाही से इतने धन की हानि हुई है इसलिये इसकी प्राप्ति के लिये इस प्रकार के उपाय प्रयोग में लाने चाहिये, तो सरकार इस उपाय को प्रयोग में नहीं लाती बल्कि फिर उनको आयोग के सम्मुख प्रस्तुत करती है जिससे फिर विचार किया जाय। मैं इस संदर्भ में निवेदन करूंगा कि कृपा करके आप पृष्ठ १९ को देखें, जहां खंड ५ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने काफी सरकारी धन का दुरुपयोग किया, सरकार के पास आयोग ने इस बात की सिफारिश की कि इस व्यक्ति से यह धन या तो रियलाइज किया जाय अथवा इसको उस जगह से पृथक किया जाय और यदि ऐसे भी न हो तो कम से कम एक वर्ष के लिये उसकी पदोन्नति या उसकी वेतन वृद्धि को रोक दिया जाय। लेकिन सरकार ने इसे उचित नहीं समझा। उसने इसे कमीशन के पास भेजा और यह कह कर भेजा कि क्योंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया से डेपुटेशन पर यह सज्जन आये हैं इसलिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो इनको पनिशमेंट दे दिया वही काफी है। मैं समझता हूं कि ऐसे कामों के लिये कमीशन की जो राय हो, कमीशन की तरफ से जो टीका-टिप्पणी हो, उस पर विचार करके सरकार को सही ंग से उसे मानना चाहिये। इन शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे भविष्य में, जो मैंने प्रश्न उनके सम्मुख उपस्थित किये हैं, उनके प्रति ध्यान रखते हुए उनको कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आज उधर के कुछ माननीय कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से कहा गया और इस रिपोर्ट में भी कहा गया है, जो हमारे सामने आज पेश है कि अब सरकार और आयोग के बीच में मतभेद कम हो

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

गया है और इस लक्षण से कुछ खुशी का इजहार भी यहां हुआ। मैं भी उस खुशी का इजहार करना चाहता था, लेकिन कुछ मुझे संकोच हुआ क्योंकि आजकल जो वातावरण चारों तरफ व्याप्त है उससे वह खुशी पैदा नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ऐसी बात कहना पड़ रही है जिसके कहने में बहुत तकलीफ सी होती है और मैं कहना भी नहीं चाहता था, लेकिन इस सब के बावजूद भी और मेरे चुप रहने से भी बाहर की जनता तो चुप रहेगी नहीं इसलिये बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है और खासकर उस वक्त जब कि एक ऐसा विषय हो जिस का संबंध ऐसे आदमी से हो जो विद्वान ही नहीं बल्कि जिस की इन्टेग्रिटी पर किसी को शक न हो, वह चाहे हमारे दल का न हो, लेकिन उसके बारे में जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री हैं उनके बारे में कुछ कहने में दर्द से दिल कांप उठता है। रामराज्य की बातें उधर के लोगों की तरफ से कही जाती हैं, लेकिन रामराज्य का मूल आधार यह भी था कि राजा पता चलाता था कि जनता में किस को कितना दुख और सुख है और जनता की बातों की उसमें इतनी कद्र की जाती थी कि यह जानते हुये भी कि जगतमाता सीता निर्दोष है परन्तु फिर भी रामराज्य के राजा राम ने एक धोबी के कहने पर ही उनको बनवास दिया था। मैं नहीं चाहता कि आज भी किसी को बनवास दिया जाय। मेरा मतलब यही है कि जनता की बात की कद्र की जाय यह जनता की जो कानाफूसी होती है वह हमारे प्रशासकों के लिये एक इशारा होता है। उसकी आवाज को सुनकर हमें अपने को ठीक करना चाहिये यह रोग इसलिये भी भयावह हो चुका है कि ला-कमीशन की रिपोर्ट में जो बातें जजेज की नियुक्ति के बारे में कही गई हैं जिनकी कि नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं और गवर्नर महोदय से राय लेते हैं, वह गवर्नर ही अकेले नहीं करता बल्कि वह भी मुख्य मंत्री की राय से करता है, इस तरह से यही कानाफूसी होती है कि उससे राज्य का सम्बन्ध आ जाता है और लोगों को कहने का मौका मिल जाता है चाहे उनके इरादे कितने ही अच्छे क्यों न होते हों।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाऊंगा कि जब उनके अपने दल के बीच में आपस में फूट हो गई ९८ एक तरफ उनके खिलाफ हो गये थे तो उस वक्त खुले आम कहा जाता था कि अमुक के अमुक लड़के को नौकरी दिलाई जायगी ताकि उसको वोट स्वयं मुख्यमंत्री जी के उपदल के खिलाफ मिल सके और बाद में मालूम हुआ है कि नौकरी उस मतदाता विधेयक के लड़के को मिल गई और इस तरह से विद्रोही गुट मिला लिया। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि आजकल इस प्रकार आफिसर्स नौकरियों में आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं अगर उनका स्तर देखा जाय तो वह तेजी से गिर रहा है। इस का क्या कारण है? हम कह सकते हैं कि उनकी शैक्षिक योग्यता कम हो रही है, लेकिन लोगों को ऐसा कहने की भी गुंजाइश होती है कि छांटने वालों में भी कुछ खराबी है। मैं यह भी कहूंगा कि यह जो ला-कमीशन की जांच हुई थी उस के अनुसार अप्वाइंटिंग अथारिटीज की नियुक्ति के तरीके को रिव्यू करने के लिये ही एक हाई कमीशन बिठाया जाना चाहिये। ताकि यह भी जांच हो सके कि आजतक ऊंचे पदों पर किस प्रकार नियुक्तियां हुईं। इस बात की जांच होनी चाहिये कि आखिर क्यों दिन ब दिन गिरते हुए स्तर के लोग आते जा रहे हैं। मुझे अदालतों में जाने का मौका मिलता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मोटी-सी कानून की बात हमारे अधिकांश नये मैजिस्ट्रेट लोग समझ नहीं पाते हैं। पता नहीं उन्हें कैसे पब्लिक सर्विस कमीशन छांट लेता है? वह जज की कुरसी पर होते हैं इसलिये उनके खिलाफ कुछ कहना कंटेम्प्ट आफ कोर्ट हो जाता है। इन सब बातों की ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में एक जगह आया है कि डिस्ट्रिक्ट इंफारमेशन आफिसर्स की ५२ जगहें जो बहुत पुरानी थीं साल ब साल रिन्यू होती गईं। सन् ५७ में वे गजटेड भी कर दी गईं। अब १९५९ में कहीं आयोग के सामने उनका मामला आया है।

हो सकता है कि यह भी दैवयोग हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है कि एक खास मजहब के मानने वाले सब के सब सेलेक्ट हो गये और दूसरे मजहब की एक जाति विशेष के चुन लिये गये। उनमें से केवल एक ऐसा व्यक्ति नहीं सेलेक्ट हो पाया जिसने अपने नाम के साथ शास्त्री आदि कुछ लिख दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो छांटे गये उनमें से दो मंत्रियों के रिश्तेदार और दो तीन एम० एल० एज० के रिश्तेदार या पुत्र बताये जाते हैं। हमें यह भावना जनता में नहीं आने देनी चाहिये और ऐसी कोई गुंजायश नहीं रखनी चाहिये कि प्रभावशाली लोगों के अयोग्य रिश्तेदार छांटे जाते हैं। जनता को यह लगना चाहिये कि न्याय हो रहा है।

दो एक बातें इस रिपोर्ट के बारे में मैं और कहना चाहता हूं। प्रतिवेदन के पृष्ठ १२-१३ की अनियमितताओं का जो निराकरण सरकार द्वारा किया गया है उसके अनुसार १३ दीर्घकालिक सहायक बिक्री कर अधिकारी की रिक्तियां थीं। पहले ६ व्यक्तियों को डाइरेक्ट लेने की बात सरकार ने कही और बाकी भरती कमीशन द्वारा होने को थी। मेरी समझ में नहीं आया कि फिर सरकार द्वारा स्वयं छांटने वालों की संख्या १३ कैसे कर दी गई और उसके बाद उनकी तादाद २९ हो गई। पब्लिक सर्विस कमीशन को साइड ट्रैक करके २९ लोगों को ऐसे रखा जाना कहां तक उचित है? एक तरफ तो उत्तर में कहा जाता है कि यह सेवा दीर्घकालिक है और दूसरी तरफ जो एक्सप्लेनेशन सरकार की तरफ से दिया गया है उसके अन्त में उसे "अल्प काल के लिये" होना लिखा है। तो इसका सामंजस्य कहीं नहीं बैठता।

इसमें दूसरा उदाहरण है। एक कमेटी विशेष ने पदोन्नति किये जाने के लिये एक व्यक्ति को अयोग्य ठहराया। सरकार उसे मानने को तैयार नहीं हुई। आयोग को सन् ५६ में सिविल लिस्ट देखने से पता लगा कि न सिर्फ उसी की पदोन्नति की गई बल्कि ११ और व्यक्ति सरकार ने स्वयं रख लिये और वह कार्य कर रहे हैं और कतई भी पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश नहीं मानी। इसके अलावा एक दूसरा तजकिरा आया है जिसका माननीय जगदीशप्रसाद जी जिक्र कर चुके हैं सहायक निर्वाचन अधिकारी की जो योग्यतायें पहले रखी गई थीं उनमें ४५ वर्ष की आयु थी और कम से कम ला की डिग्री वाला ग्रेजुएट होना चाहिये था। लेकिन ४५ की जगह आयु ४८ कर दी गई और दूसरी शर्त ला ग्रेजुयेट होने की जो थी उसे एडीशनल क्वालीफिकेशन में रख दिया गया। यानी कोई आदमी ला का ग्रेजुएट हो यह प्रीफरेंशियल क्वालीफिकेशन थी पर यह जरूरी क्वालीफिकेशन नहीं थी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जिस निर्वाचन अधिकारी को कानून से गहरा संबंध रहता है वह एल-एल० बी० न हो और उसके लिये वह ऐसेन्शियल क्वालीफिकेशन न मानी जाय यह कहां तक उचित है इससे लोगों को सारे कार्यों पर संदेह होता है। पर सरकार ने अपने जवाब में कमीशन की इस आपत्ति का कोई निराकरण नहीं किया। अपने जवाब में सरकार ने यही कहा है कि चूंकि कमीशन ने यह स्वीकार कर लिया था कि सचिवालय के अधीक्षक भी निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं। मगर कमीशन ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हर दशा में लिये जायेंगे, चाहे वह ला पास भी न किये हों, ऐसी बातों के कारण ही जिले के स्तर पर जो कर्मचारी होते हैं उनमें शंका होना स्वाभाविक है जब कि सचिवालय के कर्मचारी तिकड़म से अच्छी जगहों पर निकल जाते हैं और वे लोग नहीं निकल पाते। जनता में ऐसी भावना है। इसलिये मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री जी इस पर सोचें और विचार करें।

*श्री राजनारायण---श्रीमन्, मुझे कुछ बहुत विशेष कहने की आवश्यकता नहीं थी मगर मैं कुछ इसके सैद्धांतिक पहलुओं पर अवश्य विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यों तो डिटेल विवरण रिपोर्ट में है कि कहां सरकार से कमीशन सहमत होता है कहां नहीं। आखिर लोक सेवा आयोग का गठन क्यों है? हमारे संविधान में इसको महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? जाहिर है कि सेवायें जो हैं उन पर जिनकी नियुक्ति हो उनमें पक्षपात न हो और योग्यतानुसार लोगों को चुना जाय और शासन दिन प्रतिदिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

की नियुक्तियों में हस्तक्षेप न करे यह उद्देश्य है। मगर देखा जाय उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं? जब नहीं हो रही है तो निश्चित रूप में हमको गम्भीरता के साथ सोचना पड़ेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी कितने सेंसिटिव हैं मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं। जैसा मोतीलाल अवस्थी जी ने कहा कि कानाफूसी से नियुक्तियां हो जाती हैं इससे मुख्य मंत्री जी को जरूर ठेस लगी होगी। मगर हमारी दिक्कत यह होती चली जा रही है कि हम जिन पदों की जानकारी अब रख रहे हैं और जिनके कारण आज के प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल रहा है उनको हम कब कहें, कैसे कहें, कहां कहें, इसलिये हम थोड़ा समय लेकर उनको कहना चाहते हैं। अक्सर लोग कहा करते हैं और बार बार सरकार की ओर से सफाई भी दी जाती है कि हमने हरिजनों व पिछड़ी जातियों के लिये कुछ सीट्स नियुक्त कर दी हैं मगर उनकी पूर्ति नहीं होती। तो सफाई के रूप में क्या बात आती है कि उनमें योग्यता नहीं है और जब हम ये देखते हैं कि ऐसे अयोग्य व्यक्ति ऐसे बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त हो जाते हैं जिनकी योग्यता की कसौटी करने के लिये कोई निष्पक्ष आदमी बैठे तो शून्य नम्बर उनको देगा तो यह मस्तिष्क में बात उठती है कि यह जो योग्यता व अयोग्यता का नारा हर समय उठाया जा रहा है यह ऐसे ही लोगों की तरफ से तो नहीं उठाया जा रहा है जिनके घरों से बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पहले ही से लोग बिराजमान हैं। मैं नम्रता से माननीय मुख्य मंत्री जी से उनकी भावनाओं को समझते हुए निवेदन करूंगा कि अब तक जिस प्रकार से वे अपने क्रोध को व्यक्त करते रहे हैं वे स्वतः बैठ कर सोचें उनकी इच्छा यह नहीं होगी कि उनकी सर्विसेज भ्रष्ट हो जायं, जो लोग नियुक्त किये जायं वे अयोग्य हों। मगर हो क्या रहा है? कोई भी विभाग ले लिया जाय शिक्षा का, जेल का, विकास की योजनाओं से संबंधित विभाग या प्रशासन के अन्य विभाग हर जगह देखा जाय तो स्तर गिरता जा रहा है।

अभी जब मैं जेल में था तो माननीय मुख्य मंत्री जी का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ था अखबारों में। पुलिस के संबंध में जो कमेटी बनी हुई है उसका उद्घाटन करते हुए उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारी पुलिस में कुछ बहादुर व योग्य लोग हैं, लेकिन जनतंत्र के लिये पुलिस को जैसा बनने की आवश्यकता है वैसी पुलिस नहीं बन पाई। माननीय मुख्य मंत्री ने ऐसा कहा था या नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से यह बयान पढ़ा है। तो जनतंत्र के योग्य पुलिस क्यों नहीं हो पाई इस समय मौका नहीं है, जब मौका आयेगा तब निवेदन करूंगा। ऐसे दुर्बल चित्त के लोगों से जिनको हम भरोसा दिला दें कि हम तुम्हारी नौकरी सुरक्षित कर देंगे जैसा बयान आप दिलवाना चाहें दिलवा सकते हैं। ऐसे लोग आज पब्लिक सर्विस कमीशन में विराजमान हैं। जिन जिलाधीशों के कार्य कलापों को हमने देखा है अगर वह जिलाधीश के पद से हटता है और पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्त कर दिया जाता है तो क्या उसकी पहले की खामियां धुल जायंगी और वह शुद्ध व पवित्र हो जायगा? ऐसे जो अफसरान हैं जो किसी डिपार्टमेंट के हेड थे उनका अगर कार्य समाप्त होता है तो उनको पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठा दिया जाता है। तो इस तरह का पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हो तो ऐसे ऐसे लोगों से हम शासन को सुधारेंगे या शासन को हम पतनोन्मुख करेंगे इस पर विचार करना आवश्यक हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री की पवित्र भावनायें अपनी जगह रह जायेंगी, प्रदेश को विकसित करने की उनकी इच्छा अपनी जगह रह जायगी। प्रदेश गिरता जा रहा है। इस वस्तु स्थिति से आंख नहीं मूंदी जा सकती। जो आलोचनायें होती हैं उन पर तनिक ध्यान नहीं दिया जाता है और अनेक प्रकार से उनकी उपेक्षा करने की प्रवृत्ति सरकार की ओर से हो रही है। बार बार इसी सदन में मुझे स्मरण है सरकारी पक्ष के लोगों ने कहा है कि न्याय हो, आप न्याय करें मगर जिसके साथ न्याय करें उसको मालूम होना चाहिये कि उसके साथ न्याय हो रहा है ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। बावजूद तमाम कोशिशों के आज हरिजनों और पिछड़ी जातियों में एक प्रकार का असंतोष व्याप्त हो रहा है और वे लोग यह कहते हैं कि हमको कौन पूछने वाला है, जो लोग ऊपर बैठे हुये हैं उनके इशारे पर सारा काम हो रहा है। एक नहीं अनेक जगह

आप देखेंगे। आप लंच आवर में चले जाइये, जहां मैजिस्ट्रेट लोग बैठते हैं उनकी टीका-टिप्पणी सरकार के बारे में सुन लें। रोडवेज विभाग में आप चले जायं। उनकी टिप्पणी को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात आपने शुरू कर दी। आप रेलेवेंट प्वाइंट पर आ जाइये।

श्री राजनारायण--मैं वही कह रहा हूं। इसका कारण यह है कि आज पब्लिक सर्विस कमीशन जिस ढंग से गठित हो रहा है उस ढंग में योग्यता और अयोग्यता का नारा खप नहीं पा रहा है। आज जिनके हाथ में शासन की सेवायें सुरक्षित हैं उन्हीं से जो लोग परिचित हों या उनके संबंधियों से जो लोग परिचित हों उन्हीं को किसी किसी स्थान पर रख दिया जाता है। क्यों जब इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की बात आ रही है तो सरकार नहीं सोचती ?

बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ने भी इस बात की मांग की है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन में बैकवर्ड और अनुसूचित जातियों के लोग भी रखे जायं ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि हमारे हित की उपेक्षा नहीं की जायगी। मैं इस निश्चित मत का हूं कि यह योग्यता और अयोग्यता का नारा गलत है, इसके लिये सरकार को कोई नियम बनाना चाहिये जिसमें केवल योग्यता और अयोग्यता का नारा न हो बल्कि अनुपात का भी हो, कितने लोग बेकार हैं कैसे तबके के लोग बेकार हैं, उनकी बेकारी को सरकार कहां तक दूर कर सकती है इसकी व्यवस्था हो। इसलिये मेरा इस संबंध में सुझाव है कि सरकार को निश्चित ढंग पर कहना चाहिये कि जो सरकारी सेवायें आ रही हैं उनमें हरिजन हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, औरतें हों, पिछड़े हुये मुसलमान हों, आदिवासी लोग हों, इसमें कोई जाति-पांति या सम्प्रदाय की बात नहीं है बल्कि जो पिछड़ा हुआ समाज है उसका सवाल है। सरकारी नौकरियों में कम से कम ६० फीसदी नौकरियां इस वर्ग को जरूर मिलनी चाहिये। इसमें योग्यता और अयोग्यता का नारा न हो क्योंकि यह नारा योग्य को अयोग्य और अयोग्य को योग्य बना देता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जेल विभाग को ले लीजिये। जेलर, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर। आखिर डिप्टी जेलर और असिस्टेंट जेलर में क्या फर्क है ?

श्री उपाध्यक्ष--इससे पब्लिक सर्विस कमीशन से क्या मतलब ?

श्री राजनारायण--मैं यह कह रहा हूं कि असिस्टेंट जेलर की सेवाओं को डिपार्टमेंट अपने हाथ में रखता है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह तो जब जेल डिपार्टमेंट का बजट वगैरह सामने आये उस वक्त कहियेगा।

श्री राजनारायण--वह तो ठीक है। मैंने प्रसंगवश कह दिया। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। सरकारी पक्ष की ओर से यह कहा गया कि दिन प्रति दिन शासन और पब्लिक सर्विस कमीशन में मतभेद कम होते जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर मतभेद के प्वाइंट ढूंढ़े जायें तो पहले से अधिक हैं। असल में बात यह है कि दिन प्रति दिन पब्लिक सर्विस कमीशन सरकारी होता जा रहा है, उसका सरकारीकरण होता जा रहा है, सरकार की इच्छा को सर्विसेज में अच्छी प्रकार खपाने की कोशिश हो रही है पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से इसलिये उसमें और सरकार में मतभेद कम है।

श्री उपाध्यक्ष--कोई प्रमाण भी दीजिए या जो चाहा सो कह दिया। यह उचित नहीं है।

इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद लिखा है कि बहुत प्रसन्नता है कि हम जो कहते हैं सरकार उसको मानती चली जा रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसका सरकारीकरण होता चला जा रहा है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, वहीं मैं आ रहा हूं । यह बारीक बात है । मैं उसी पर आ रहा हूं और सप्रमाण बात कहूंगा । इसी रिपोर्ट में लिखा है कि खास-खास जो जो घोषणायें होती हैं उनको छिपाया जाता है । यह एक शिकायत है । इससे आगे चलकर यह लिखा गया है कि कमीशन की ओर से जिनकी सर्विस खत्म करने की बात कही जाती है उसको न करके उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाता है यानी जो भ्रष्टाचार और पक्षपात के बढ़ाने की बात है वह इसमें कही गई है । लेकिन अन्त में एक वाक्य में लिख देते हैं, दिन प्रति दिन मतभेद होता चला जा रहा है, लेकिन लिखते उसके विपरीत हैं । जिस तरह से झा साहब की रिपोर्ट आई । उन्होंने लिखा कि शासन हमारे ऊपर हावी होना चाहता है । वह लोग थे जो हिम्मत के साथ लड़ते थे . . .

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उसी बात को आप बार-बार कह रहे हैं । उदाहरण जो आपके माफिक पड़ता है उसको आप मान लेते हैं और जो सरकार के माफिक होता है उसको नहीं मानते हैं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं कह रहा हूं कि कोई बता दे कि कमीशन ने कोई ऐसी व्यवस्था की कि तरक्की किस तरह से हो, ज्येष्ठता किस तरह से मानी जाय। अभी बनारस के म्युनिसिपल बोर्ड का मामला है। वहां दो एक्जीक्यूटिव आफिसर्स हैं। उनमें से कौन सीनियर माना जायगा इस पर बड़ा झगड़ा है। इस संबंध में दो मिनिस्टरों में मतभेद है। एक का सपोर्ट परिपूर्णानन्द जी वर्मा करते हैं और दूसरे का और कोई साहब करते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है। फाइनेन्स में अलग है, शिक्षा में अलग है, सिंचाई विभाग में अलग और परिवहन विभाग में अलग है। कमीशन ने क्यों नहीं अब तक कोई नियम इस में बनाया ? कमीशन क्यों नहीं अभी अपने को इस योग्य बना पाया कि इस नियम के अनुसार ज्येष्ठता मानी जानी चाहिये। मैं इसकी खामियों को पेश करना चाहता हूं। जो कमीशन इस बात को नहीं कर पाता है उसमें योग्य व्यक्ति नहीं हैं बल्कि ऐसे हैं जो किसी तरह से अपना समय काट रहे हैं, श्रीमान्, आपने लाल बत्ती जला दी हम भी चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी को मौका मिलना चाहिये, लेकिन हम अपने जजबात का इजहार किये बिना नहीं रहना चाहते थे। इसलिये हमने कहा कि सरकार को ऐसा करना चाहिये जिससे सर्विसेज में स्वच्छता आये, केवल तनख्वाह लेकर जीवन को सुखमय बनाने की जो आजकल इच्छा प्रबल होती चली जा रही है, उसका नाश होना चाहिये ।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायण दत्त जी का और उन दूसरे मित्रों का ऋणी हूं जिन्होंने इस रिपोर्ट के संबंध में हमको सुझाव दिये हैं । अफसोस यह है कि रिपोर्ट के संबंध में बातचीत करते समय ऐसी बातें कही गईं जो किसी भी दृष्टि से प्रासंगिक नहीं मानी जा सकतीं । एक आध बात मसलन म्युनिसिपल बोर्ड की बाबत कि किसी म्युनिसिपल बोर्ड में कौन-सा एक्जीक्यूटिव आफिसर है या नहीं और यह बात कि मंत्रियों में आपस में मतभेद हैं, निराधार है । पहली बात तो यह है पब्लिक सर्विस कमीशन से और म्युनिसिपल बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन जहां तक यह कहना है कि कौन शख्स एग्जीक्यूटिव आफिसर हो कौन न हो, इसके बारे में किन्हीं मंत्रियों में आपस में मतभेद है यह बिल्कुल निराधार बात है, गलत बात है । लेकिन इन बातों को विस्तार के साथ कुछ कहना गलत बातों की प्रतिष्ठा बढ़ाना है और इस सदन के समय का दुरुपयोग करना है। मैं इस बात में जाना नहीं चाहता ।

इसी तरह से कुछ और भी आक्षेप की बातें कही गईं जो इस सदन में शायद पहली बार सुनी गई हों । पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य भी मनुष्य हैं । न तो उन्होंने कभी इस बात का दावा किया न उनकी तरफ से कोई और शख्स दावा कर सकता है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनसे कभी कोई गलती नहीं होती है। हो सकता है कि मनुष्य होने के नाते कभी किसी मौके पर उनमें से किसी सदस्य ने कोई ऐसा काम किया हो जो कि शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा मनुष्य नहीं देखा जो अपने सीने पर हाथ रखकर ईमानदारी से कह सके कि उसमें कोई कमजोरी नहीं है और न उसने कोई गलत काम कभी किया।

यहां तक बात तो कही जा सकती थी---किसी की बुद्धि पर सन्देह हो सकता है, नासमझी की बात हो सकती है। लेकिन यहां सवाल आया नीयत का। इस सदन की एक परम्परा रही है और उचित परम्परा रही है कि जो आदमी यहां मौजूद न हो, जो आदमी अपने बचाव में कुछ कह न सकता हो, उस आदमी के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए। यह सही है कि सरकारी अफसर यहां मौजूद नहीं होते। अपने बचाव में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उनके सम्बन्ध में बातें कही जाती हैं और इसलिये कही जाती हैं कि सरकारी अफसर छोटा हो या बड़ा हो वह जो कुछ भी करता है उसके काम की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को किसी न किसी मिनिस्टर को लेनी होती है। लेकिन मसलन हाईकोर्ट के जज हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य हैं, वह यहां मौजूद नहीं हैं। अपनी सफाई में कुछ कह नहीं सकते और उनके कामों की जिम्मेदारी कोई मिनिस्टर ले नहीं सकता। सदन की यह परम्परा रही है कि ऐसे लोगों के सम्बन्ध में आक्षेप न किया जाय। इसके साथ ही, एक साहब ने यह कहा कि हमारे दिल में बातें हैं, हम कहें तो कहां कहें। उसके लिए है रास्ता खुला हुआ। कांस्टीट्यूशन का आर्टिकिल ३१७ है, उससे जाहिर होता है कि यदि पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी सदस्य के चाल-चलन पर, उसकी ईमानदारी पर सन्देह है तो इस बात की सूचना बाजाब्ता प्रेसीडेंट के पास जानी चाहिए। प्रेसीडेंट उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे और यदि सुप्रीम कोर्ट की यह राय हो कि सचमुच यह मामला ठीक है और पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों ने ऐसा काम किया है जो गलत है जिससे उसकी इंटेग्रिटी पर धब्बा लगता है तो प्रेसीडेंट उसे निकाल सकता है। तो है रास्ता खुला हुआ। अगर किसी को शिकायत है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई सदस्य या चेयरमैन या सभी सदस्य बेईमानी से काम करते हैं तो हिम्मत के साथ उसे ऐसा करना चाहिए। जो उसके पास प्रमाण हों वह उसे भेजना चाहिए। इस सदन में ऐसी बात कहने से कोई फायदा नहीं। जबकि यहां की स्पीच प्रिविलेज्ड है, इस बात को जानते हुए इस आड़ में यहां इस तरह की बात कहना कुछ शोभा नहीं देता। अगर शिकायत है तो हिम्मत के साथ उसे उन्हें भेजना चाहिए। रास्ता खुला हुआ है।

अब एक बात कही गई कमीशन के कांस्टीट्यूशन की बाबत। एक चीज श्री वर्मा ने कही जिसको मैं ठीक समझ नहीं पाया। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि इसमें कुछ पुराने सरकारी मैजिस्ट्रेट या और लोग जो पेंशन पाने लगते हैं उनको रख दिया जाता है। अगर मैं ठीक समझता हूं तो उन्होंने यही कहा। तो इसके लिए कोई उपाय नहीं मालूम होता। कांस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के इतने सदस्य ऐसे होने चाहिए। उसमें दिया है कि जिन्होंने कम से कम दस वर्ष सर्विस की हो। जाहिर बात है कि कोई डिप्टी कलेक्टर होगा, दस वर्ष सर्विस करने के मानी यह तो नहीं हुए कि ११ वें वर्ष उसे मुकर्रर कर दिया जाय। जब यह है कि सर्विस वाले आदमी रखने ही हैं तो उचित और निश्चित बात है कि सीनियर आदमी रखे जायंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा---६० वर्ष के बाद नहीं रखना चाहिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह नियम है। रख नहीं सकते। एक दिन नहीं रख सकते। कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---ऐट लीस्ट हाफ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, ऐट लीस्ट हाफ उसमें दिया है। अच्छा हो कि मेम्बर साहबान जब इस किस्म का कटाक्ष किया करें तो उसके पहले एक बार कांस्टीट्यूशन पढ़ लिया करें। जिसमें ख्वामख्वाह उनको जहमत न उठानी पड़े।

माननीय नारायणदत्त जी ने जहां तक मैं समझता हूं यह सुझाव दिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन का काम बढ़ गया है, सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए। मैं समझता हूं कि उनका कहना ठीक है। हम खुद इस बात को अनुभव करते हैं कि काम बहुत बढ़ गया है। डेवलपमेंट और प्लानिंग वगैरह के बीसों तरह के काम हो गये हैं जोकि आज से कुछ वर्ष पहले थे नहीं और उनकी वजह से बहुत सा काम बढ़ गया है और वह मौजूदा जो उनकी संख्या है उससे काम नहीं चल रहा है। लेकिन माननीय सदस्य स्वयं देखेंगे कि ऐसे लोगों को ढूंढ़ निकालना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर से बात कही जाती है कि ऐसा आदमी हो कि जो पालिटिक्स से सम्बन्ध न रखे। अब ऐक्टिव पालिटिक्स से बचा हुआ आदमी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर ऐसे उम्र का होना चाहिए जो ६० वर्ष से ऊपर न हो। यही नहीं बल्कि हमको यह भी देखना पड़ता है कि वह २, ४ वर्ष नौकरी कर सके। जो आदमी ६० या ५८ वर्ष का रखा जायगा उसको बाद में हटाना पड़ेगा। इस तरह से कई बातों को देखना पड़ता है। हम इस बात को देख रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरों की संख्या कुछ बढ़नी चाहिये या नहीं और अगर बढ़े तो कितनी।

एक चीज का जिक्र नारायणदत्त तिवारी जी ने किया और फिर कुछ दूसरे लोगों ने भी किया कि हरिजनों के लिये जो नियुक्ति की संख्या निर्धारित है वह उनको नहीं मिल पाती और अयोग्यता के नाम पर बहुत-सी जगह खाली रह जाती हैं और हरिजनों को नहीं मिलती है। कमीशन ने भी इसका जिक्र किया है। उसका एक उपाय तो यह हो सकता है जिसका जिक्र मेरे लायक दोस्त राजनारायण जी ने किया कि योग्यता के सवाल को बिल्कुल उठा देना चाहिये। उन्होंने फरमाया कि केवल अनुपात देखना चाहिये। आबादी के अनुपात को देखना चाहिये कि इतने परसेन्टेज में हरिजन, इतने परसन्टेज में बैकवर्ड हैं जो उसी अनुपात से उनको मिलना चाहिये। यहां तक कि उन्होंने औरतों का भी जिक्र किया कि उनको भी अनुपात में होना चाहिये। अगर औरतों को भी लिया जाय तो ५० फीसदी जगह उनके पास चली जायंगी। उनकी पार्टी का भी एक पत्र मेरे पास आया है और पुलिस फौज में भरती के लिये भी औरतों का उन्होंने जिक्र किया है। बड़ा अच्छा है, अगर ५० फीसदी औरतें फौज और पुलिस में चली जांय। आखिर हमारे यहां औरतें भी लड़ी हैं। लक्ष्मी बाई का नाम इसके लिये आता है। तो फौज में औरतें भर्ती की जांय यह उनकी पार्टी की राय है और बाकी हरिजन और बैकवर्ड लोगों के लिये हो। यह हो सकता है कि इन दोनों जगहों में आबादी के अनुपात से लिया जा सके, लेकिन बाकी स्थानों के लिये लियाकत की बात को छोड़ा नहीं जा सकता। लियाकत को वहां रखना पड़ेगा। फिर भी हमारा ध्यान उस तरफ गया है। मुझको आश्चर्य हुआ जब नारायणदत्त जी ने इसका जिक्र किया। वे इस बात को भूल गये। उनको मालूम है कि अभी थोड़े दिन पहले एक कमेटी नियुक्त की गई है जिसके चैयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन के एक मेम्बर जो इस समय चैयरमेन हो गये हैं, रखे गये हैं। इस सदन के भी उसमें कोई सदस्य हैं। जिसका काम हरिजनों के लिये, जो पोस्ट की संख्या रिजर्व है, तथा वह उनको क्यों नहीं मिल पाती है, उसके लिये क्या तरीका अख्तियार किया जाय, इस पर ऊपर से नीचे तक विचार करके वह कोई तरीका बतलायेगी जिससे जो संख्या उनके लिये रिजर्व है वह उनको मिल जाय, उस अनुपात से कम से कम उनको जगहें मिल जायं. . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं बाहर था इसलिये मुझे मालूम नहीं कि इस प्रकार की कोई कमेटी नियुक्त है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अच्छा तो ठीक है। मुझे इसका खयाल नहीं था।

श्री राजनारायण—क्या आज तक कोई भी आंकड़ा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक आंकड़ा पब्लिक सर्विस कमीशन ने दे रखा है उसको आप मानते नहीं। दूसरे आंकड़े मेरे पास हैं नहीं। वह कमेटी बैठी हुई है थोड़े दिनों में उसकी रिपोर्ट आ जायगी। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उस बात पर विचार हो रहा है ।

एक बात का राजनारायण जी ने जिक्र किया कि विज्ञापन दिये जाते हैं सर्विसेज के सम्बन्ध में, लेकिन फिर वापस कर लिये जाते हैं। यह बिलकुल ठीक है। यह गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिये। उन्होंने इस बात को याद दिलाया कि मैंने यहां पर इसके लिये वादा किया था। एक बात को आप सोचें कि मैंने सदन में वह वादा किया। वह कब किया था। यह रिपोर्ट १९५६-५७ की है। जो वायदा मैंने किया था उसका असर १९५८-५९ में जाकर दिखाई पड़ेगा। किन्तु अब तो ऐसे मालूम होता है कि हमको आगे इस बात के लिये तैयार रहना चाहिये कि आगे ३, ४ वर्ष के बाद जो रिपोर्ट आयेगी उसमें भी ऐसी शिकायतें हमारे सामने आयेंगी और ऐसी शिकायतें हो सकती हैं कि आपने इसको पूरा करने की कोशिश नहीं की ।

कैरेक्टर रोल का जिक्र नारायणदत्त जी ने किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा ध्यान उस तरफ गया है कि कोई न कोई तरीका सरकारी अफसरों के काम को एसेस करने का जरूर होना चाहिये। लेकिन यह बात जरूर है कि कैरेक्टर रोल में जो एन्ट्रीज होती हैं बहुत अच्छा असेस उसके जरिये नहीं होता है। जो अफसर साल भर के बाद लिखता है वह एक सबजेक्टिव चीज होती है। जो चीज उसके सामने आई उसको वह लिखता है। दूसरी चीज भाषा की लिमिटेशन है। एक आदमी गुड है, लेकिन ब्रिलियन्ट नहीं है तो किसको गुड कहें। दूसरा कहे कि यह बहुत अच्छा नहीं है। गुड, नाट सैटिस्फेक्टरी और नाट वैरी सैटिस्फैक्टरी लिख देने से किसी शख्स के बारे में ठीक-ठीक जांच करना बड़ा मुश्किल है। इसके आधार पर जब कहीं कोई किसी की बाबत जांच करनी होती है तो बड़ी दिक्कत पड़ जाती है इसको हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे क्या तरीका निकाला जाय कि जो सरकारी आदमी हैं उनके काम का असेसमेंट सही हो और जो शब्द भ्रामक हो सकते हैं, जो ठीक-ठीक अर्थ नहीं देते केवल उनकी वजह से ही किसी अधिकारी का, किसी व्यक्ति का कैरियर न खराब हो जाय।

एक चीज यह है कि टेक्निकल आदमी काफी नहीं मिलते। यह बिल्कुल सही है। कुछ हद तक इस चीज को दूर करना हमारे हाथ की बात है और कुछ हद तक नहीं। जैसे ओवरसियर ढूंढ़ना हो तो वे हमारे यहां मिल जायंगे, लेकिन कई तरह के काम ऐसे हैं कि जिनके लिये अगर हम लोगों को अपने यहां तैयार करना शुरू करने लगेंगे तो वह बहुत महंगा पड़ेगा। बाज वक्त ऐसा है कि एक खास क्वालिफिकेशन के आदमी सारे देश में दो चार हैं और उनके लिये डिमांड बहुत होती है। भारत सरकार की भी डिमांड होती है और दूसरे प्रदेशों की भी डिमांड होती है और बड़ी मुश्किल पड़ती है उनके लिये। उनको तैयार करने का पूरा पूरा इंतजाम हम अपने यहां नहीं कर सकते। मसलन ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जब आपके यहां खुल जायगी तो ऐग्रीकल्चर के ऊंचे से ऊंचे आदमी आप को अपने यहां मिल जायंगे। हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो आपके यहां कानपुर में खुलने वाला है उसके खुलने के बाद मैं आशा करता हूं कि कई तरह के टेक्निकल विशेषज्ञ आपको अपने यहां आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे, रुड़की में भी आप कई तरह के विशेषज्ञ तैयार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आल इंडिया तरीके पर हो सकती हैं। हम इतना खर्चा बरदाश्त नहीं कर सकते। मुश्किल पड़ती है इसलिये वह एक चीज पैदा होती है जिसका जिक्र यहां किया गया—पर्सनल कंटैक्ट ।

पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से विज्ञापन निकलता है, लेकिन कोई आदमी मिलता नहीं। कोई आदमी मिलता भी है तो उसे कोई दूसरी अच्छी जगह मिल जाती है और वह नामंजूर कर देता है। मिसाल के लिये जैसा नारायणदत्त जी ने जिक्र किया, एक आब्जरवेटरी है

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

उत्तर प्रदेश में। किसी यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनोमी पढ़ायी नहीं जाती और वह गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ायी नहीं जा सकती। यूनिवर्सिटी शायद इसलिये नहीं पढ़ाती कि महंगा बहुत पड़ता है। अभी तक किसी यूनिवर्सिटी ने इसको चालू नहीं किया। हमें उनके लिये उत्तर प्रदेश के बाहर ही आदमियों को ढूंढ़ना पड़ता है और उसमें जितने आदमी बड़े ओहदों पर हैं वे सब देश के बाहर से ही पढ़ कर आये हैं। ऐसे लोगों की कमी है। तो जब पब्लिक सर्विस कमीशन हार जाता है तो हमसे कहता है कि पर्सनल कंट्रेक्ट से आप आदमी तय कर लीजिये। इसके माने यह है कि विज्ञापन में तो कोई दरख्वास्त देता नहीं, अगर किसी जगह कोई काबिल आदमी हो तो उसे आप लिख कर, कुछ ज्यादा रुपया देकर अपने यहां बुला लीजिये। बहुत से आदमी जो स्पेशल क्वालिफिकेशन के होते हैं वह दरख्वास्त नहीं देते। जब ऐसी सूरत होती है तो दिक्कत पड़ती है और अभी हमारे पास ऐसे साधन नहीं हैं कि हम इन दिक्कतों को दूर कर सकें।

विशारद जी ने एक राय दी कि गवर्नमेंट को जगहें तय कर लेनी चाहिये और उसकी क्वालिफिकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन पर छोड़ देनी चाहिये ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता और हम भी ऐसा नहीं कर सकते। हम को आदमियों की जरूरत है और हम ही बतला सकते हैं कि हमको किस तरह के आदमी चाहिये और इसका बोझ उनके ऊपर नहीं डाला जा सकता।

पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह मानने की बात आती है। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर उसको स्पष्ट कर देता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन एडवाइस देने वाली एक संस्था है। उसकी सलाह को हम महत्व देते हैं, उसका आदर करते हैं। उसे वेट देते हैं और इतना ही नहीं, बल्कि जैसा कि आप देखते हैं इस रिपोर्ट से, कई बार ऐसा होता है कि अगर उनकी सलाह हमको ठीक नहीं जंचती तो हम उसके लिये चिट्ठी-पत्री करते हैं, खतो-किताबत करते हैं कि कोई रास्ता निकल आये। जैसा उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है, कभी-कभी ऐसा होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से और मुझसे बातचीत होती है, लेकिन बावजूद इन सब बातों के कोई कोई मौका ऐसा होता है कि हमारी उनकी राय नहीं मिलती। इस सिलसिले में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि शासन की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे ऊपर है, उनके ऊपर नहीं। अगर शासन में कोई गड़बड़ी हो, गलत काम हो, तो हम से जवाब तलब हो सकता है, उनसे नहीं। तो इस जिम्मेदारी को हम छोड़ नहीं सकते। हम उनसे सलाह लेते हैं, वह सलाह मानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम इस बात को कभी नहीं मान सकते कि उनकी सलाह हम हमेशा मान ही लेंगे। जब तक शासन की जिम्मेदारी हमारी है, अंतिम जिम्मेदारी हमारी है, तब तक अंतिम फैसला भी हमारा ही होगा। यदि उनकी सलाह हमारे साथ है तो अच्छा है, हमको मारल सपोर्ट मिलती है। अन्त में फैसला हम ही करेंगे। यद्यपि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे मौके आते हैं, आये हैं और आगे भी आयेंगे जबकि हमको उनसे डिफर करना ही होगा। मैं समझता हूं, रिपोर्ट के सम्बन्ध में और कोई खास बात नहीं है। जो सुझाव दिये गये हैं उन पर हम जरूर गौर करेंगे और अगले साल की बाबत तो नहीं कह सकता, लेकिन दो एक साल के बाद मैं आशा करता हूं कि जो उन्होंने सुझाव दिये हैं उनका उत्तरोत्तर समावेश उनको हमारे कामों में देख पड़ेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पब्लिक सर्विस कमीशन आइंदा परसनालिटी टेस्ट के सम्बन्ध में भी कैंडीडेट को अपनी रिपोर्ट दे इस सम्बन्ध में आप चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन से बात करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मुझे यह पसन्द है। एक जिक्र करना भूल गया। १९४७-४८ का जिक्र किया गया, कुछ उन्होंने फीस कम ज्यादा करने का सुझाव दिया था, वह भी मैं देखूंगा। मैं जिक्र करना भूल गया। इन दोनों चीजों की बाबत मैं ऐक्शन लूंगा।

नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ *

†सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---उपाध्यक्ष महोदय, यह मेंडिंग बिल जो मैंने पहले हाउस के सामने रख दिया था, उस वक्त भी यह बात कह दी थी, अब ज्यादा बात कहने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जैसा कि साफ जाहिर है कि नदी पार करने के लिए जो फेरीज के जरिये से प्रबन्ध होता है उसे फेरीज ऐक्ट के मातहत स्टेट गवर्नमेंट करती है। जहां पर दो स्टेटस आ जाती हैं और बीच में बार्डर पर नदी पड़ती है उस वक्त इस ऐक्ट के मातहत यह जरूरी है कि जो नोटिफिकेशन हो वह दोनों स्टेटस करें। मिसाल के तौर पर यू० पी० और मध्य प्रदेश हो, यू० पी० या बिहार हो और जैसा कि यू० पी० और बिहार के बीच में गंगा आती है तो जरूरी है कि फेरीज की स्थापना करने के पहले हमारी तरफ से भी नोटिफिकेशन हो और बिहार की तरफ से भी नोटिफिकेशन हो। लेकिन जैसा कि बिहार स्टेट के अन्दर फेरीज का प्रबन्ध किसी दूसरे ऐक्ट के मातहत हो रहा है---बंगाल फेरीज ऐक्ट के मातहत होता है---तो यह चीज मुनासिब नहीं है कि वह इसी ऐक्ट के मातहत नोटिफिकेशन करे। हम तो नोटिफिकेशन कर देंगे, लेकिन उनके लिए दिक्कत होगी। सो, इस दिक्कत को दूर करने के लिए इस ऐक्ट के अन्दर जो थोड़ा-सा अमेंडमेंट रखा गया है वह दो एक लफ्ज है, "to which this applices" इस साधारण अमेंडमेंट से यह उम्मीद है कि जहां पर यह ऐक्ट लागू है वहीं पर नोटिफिकेशन की जरूरत होगी वरना नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, यह बहुत ही सूक्ष्म और दो तीन लफ्जों का अमेंडमेंट है, इसलिए मुझे उम्मीद है और सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे जल्दी से, बगैर किसी विरोध के पास करके इसको खत्म करे।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मोतीलाल अवस्थी, आपके इस अमेंडमेंट के बारे में आपका ध्यान नियम २८४ (५) की तरफ दिलाना चाहता हूं---

"(५) अध्यक्ष किसी प्रक्रम में किसी संशोधन को जो उनकी राय में निरर्थक हो, अनुज्ञापित कर सकेंगे या उस पर मत लेना अस्वीकार कर सकेंगे।"

तो चूंकि इस विधेयक के जरिये से केवल एक शब्द जोड़ा जा रहा है कि दोनों स्टेट्स में उसका ज्ञापन होना चाहिए और इसको आपने प्रवर समिति में भेजने का संशोधन दिया है। इस लिये यह संशोधन निरर्थक क्यों न माना जाय इस पर आप अगर कुछ कहना चाहते हों तो कहें ?

†श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, आपने अन्त में क्या कहा यह मेरी समझ में नहीं आया ?

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया अपना संशोधन मूव करने से पहले यह बताइये कि आपका यह संशोधन निरर्थक क्यों न माना जाय ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, आपने नियम २८५ (५) का उल्लेख किया है किन्तु इस नियमावली में विधेयक आने के बाद जितने भी अधिकार हमको हासिल हैं वे सब जरूरी हैं और वह हमको मिलने चाहिये। यह जो विधेयक हाउस के सामने परिवर्तन होने के बाद आया है वह जिस रूप में है इस पर हमें विचार करना है। यद्यपि इसमें कुछ थोड़ा-सा शाब्दिक हेर-फेर है, यह देखने में जरूर ऐसा मालूम होता है, लेकिन मैंने जो संशोधन रखा है उसमें इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार रखा है और कई बातें हैं जिन पर हमें इस संबंध में विचार करना होगा।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया एक दो प्वाइन्ट जो हों उनको बताइये ताकि मैं यह समझ सकूं कि आपका संशोधन ठीक है, निरर्थक नहीं है।

---

*२१ दिसम्बर, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं आगे उसी पर आ रहा हूं। आप यह देखें कि यह इंडियन फेरीज ऐक्ट जो है वह सन १८७८ में पास हुआ था। १८७८ के बाद अभी तक गंगा नदी का कितना ही जल बह चुका है और इसीलिये इस संबंध में देश की आर्थिक अवस्था को देखते हुये बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। वह जिन जिन हालतों में हुये हैं उनको भी हमने देखा है और उनका संबंध विशेष कर ग्रामीण जीवन से है। उनके लिये कुछ थोड़ी-सी सहूलियतें प्रदान हों यही हम चाहते हैं। तो देखना यह है कि क्या इस विधेयक को लाकर वह सुविधायें जो हम देना चाहते हैं दे सकेंगे या नहीं . . . .

श्री उपाध्यक्ष--आप एक दो प्वाइंट तो इस संबंध में बतायें जो आपको परेशान कर रहे हों और जिनके कारण आप इस संशोधन को लाना चाहते हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं वह भी बतलाऊंगा। आप यह देखें कि यह फेरीज का प्रबन्ध जो है यह डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के हाथ में है। उन घाटों पर से गरीब जनता को ही आना जाना पड़ता है और एक शैडूल रेट के अनुसार उनसे टैक्स लिया जाता है। कभी-कभी उनका हैरा-समेन्ट भी होता है। सरकार ने उनको राइट्स डेलीगेट कर रखे हैं और उनका ठीक से उपयोग नहीं होता है। जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर टैक्स लगाये जा सकते हैं वह भी इसके अन्दर आ जाते हैं और इसमें वहां पर मनमानी होती है। तो कोई एक बात नहीं है, कई बातें ऐसी हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिये और इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसकी परिधि को और भी बढ़ाना चाहते हैं। यह संशोधन केवल एक शब्द के लिये ही नहीं है। तो अगर यह संशोधन मान लिया जाता है तो हम इस पर अच्छी तरह विचार कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है, आमतौर पर यह होता है कि इस किस्म के प्रस्ताव भेज दिये जाते हैं जिनमें कोई अर्थ नहीं होता। अगर अवस्थी जी ने इस प्रस्ताव में परिधि बढ़ाने की शब्दावली न रखी होती तो वह बिलकुल ही निरर्थक होता और उसको मैं अस्वीकार कर देता, लेकिन चूंकि वह परिधि बढ़ा कर बहुत-सी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इसलिये मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं और अवस्थी जी को इजाजत देता हूं कि वह इसको पेश करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस ऐक्ट के अन्तर्गत उन बातों को सदन के सामने रखने का मुझे मौका दिया जो आये दिन हम लोगों को ग्राम्य जीवन में परेशान करती रहती हैं. . . .

श्री उपाध्यक्ष--पहले आप अपना संशोधन पेश कर लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे जो उसके परिधि को भी बढ़ा सके और अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।

आप देखें कि मेरा संशोधन है कि इस विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। अगर सरकार की यह मंशा हो कि इसको जल्द पास किया जाय तो उसमें भी मेरा संशोधन कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता क्योंकि एक सप्ताह का समय कोई अधिक नहीं होता। मैं यह जरूर चाहता हूं कि इस समय के अन्दर समिति उन सभी बातों को जान ले जो इस ऐक्ट के अन्तर्गत रोज गांवों में परेशानियों का माध्यम बन गई हैं। मंत्री जी ने यह परेशानी बताई कि बाउन्डरी की दिक्कत की वजह से यह विधेयक हमारे सामने लाया गया है। यह संशोधन दफा ४ के प्रोवाइजो के सम्बन्ध में है। मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं। इसमें लिखा है--

"provided that when a river lies between two States, the powers conferred by this section shall in respect of such river be exercised jointly by the

State Government of those States by notification in their respective official gazetts".

इससे पहले धारा १ में लिखा हुआ है जहां ऐक्ट का जुरिस्डिक्शन बताया गया है--

"This Act may be called the Northern India Ferries Act, 1878. It extends only to U. P., Punjab, the Central Provinces, Assam, Delhi and Ajmer."

यह अवश्य है कि हमारी सीमा पंजाब और सेन्ट्रल प्राविन्सेज से मिलती है और नोटीफिकेशन के सम्बन्ध में सरकार दिक्कत को दूर करना चाहती है। जब उनके सामने यह दिक्कत आई तो वह उसे इस सदन के सामने विचार करने के लिये लाये। तो यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं इसलिये क्यों न हम इस पर ऐसी निगाह से विचार करें जिससे वर्तमान स्थिति को देखते हुये इसमें जो और परिवर्तन वांछनीय हों उनको भी किया जाय। यह ऐक्ट १८७८ का पास किया हुआ है, उसके बाद कुछ संशोधन अवश्य हुये होंगे, लेकिन मूल बातें ज्यों की त्यों हैं। इसमें मौलिक परिवर्तन जो हुआ है वह यह कि फेरीज विशेष रूप से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अन्तर्गत आ गई हैं। लेकिन लोकल बाडीज को जब हम कार्य करते हुये देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि जिस रूप में कार्य किया जाना चाहिये उस रूप में नहीं हो रहा है। इस ऐक्ट में कुछ शुरू से ही ऐसी परिभाषायें आयी हैं जो हर मानी में बहुत व्यापक हैं। फेरी शब्द भी बहुत व्यापक है। धारा (३) में लिखा है कि फेरी में नावों के पुल, पौन्टून्स जो थोड़ी बहुत लकड़ी के बना लिये जाते हैं, स्विंग ब्रिज या टैम्पोरेरी पुल या फ्लाइंग पुल जो बना लिये जाते हैं और उनके एप्रोचेज, यानी घाटों के आस पास के हिस्से और उतरने के स्थान, ये सब फेरी में आते हैं। बड़ी व सभी प्रकार की छोटी-छोटी नदियों व नालों के पार करने के साधन भी इसमें आ जाते हैं। आप देखेंगे कि इस ऐक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार भी बहुत व्यापक हैं। इसमें लिखा है कि --

"The State Government may from time to time declare what ferries shall be deemed public ferries."

बरसात में बेतवा, केन, टोंस आदि नदियों के पुल जो सीजनल होते हैं उन सभी को सरकार समय समय पर अपने हाथ में ले सकती है।

(इस समय ४ बजकर १३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जनता के घाटों को भी सरकार चाहे तो ले सकती है। ऐसे स्थानों को भी वह सरकारी फेरी कह सकती है जिन्हें सरकार आवश्यक समझे। फेरी की हद को भी सरकार डिक्लेयर कर सकती है। उसके रास्ते को भी बदल सकती है। कोई पब्लिक फेरी जोकि पहले से चलती हुई हो और अनावश्यक मालूम पड़े तो सरकार उसे बन्द कर सकती है। इस तरह की बात सरकार गजट में घोषित करके अपने हाथ में ले सकती है। इनके संरक्षण के नियम भी सरकार ने बहुत व्यापक बनाये हैं।

श्री अध्यक्ष--क्या ले रहे हैं आप ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--फैरीज ऐक्ट की बातें ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--स्कोप यह है कि "to which this Act applies" ये शब्द संशोधन से बढ़ाने हैं। आप पूरे ऐक्ट को नहीं ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो नान-आफीशियल बिल लाकर कर सकते हैं। आप इसके ऊपर सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ऐक्ट में बहुत खामियां हैं। आप पूरे ऐक्ट पर टीका नहीं कर सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आप मेरी बात सुन तो लें और अगर पसन्द करें तो मैं...

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। आप स्कोप बढ़ाने के लिये एक जनरल बात कह सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से आप यहां से वहां तक जो ऐक्ट है उसको डिस्कशन में ले आयें, उसको पूरा का पूरा आप ले लें तो यह कहां तक ठीक हो सकता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अभी माननीय उपाध्यक्ष जी ने माननीय मोतीलाल जी से कहा कि आपका परिधि बढ़ाने का जो संशोधन है उसको क्यों स्वीकार किया जाय, इसको आप बतायें। उन्होंने नियम २८४ (५) को पढ़ा और बताया कि उसके अनुसार उनको अधिकार है कि किसी भी संशोधन को वे अस्वीकार कर सकते हैं अगर वह फ्रिवोलस हो। इस नियम के मातहत उन्होंने कहा कि माननीय मोतीलाल जी बतायें कि क्यों न उनके संशोधन को रद्द कर दिया जाय। उन्होंने उनसे कहा कि वे उन तमाम कारणों और वस्तुस्थिति को बतायें जिनकी वजह से इस विधेयक का स्कोप बढ़ाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये वे एक जनरल बात कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो रूल्स पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे सामने समय का भी तो सवाल है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, यदि आप मेरी बात दो चार मिनट सुन लेते तो आपको इतना संदेह पैदा न होता। मैं यह कहने जा रहा हूं कि हमने अपने संशोधन में जो परिधि बढ़ाने की बात कही है, उसके क्या आधार और कारण हैं, वह मुझे बताने पड़ेंगे। इस परिधि बढ़ाने की गरज से इसको सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जा रहा है जिससे सेलेक्ट कमेटी इसकी परिधि को बढ़ा सके और समालोचना उसकी कर सके और उसमें जो संशोधन उचित हों वे भी कर सके।

मैं अभी फेरीज की डेफिनीशन के बारे में कह रहा था कि इन फेरीज के व्यापक उपयोग में हम सभी लोगों का ग्राम्य जीवन लगा हुआ है। ऐसे तो इसमें धारा ५ में यह अधिकार दिया हुआ है कि पावर्स को डेलीगेट किया जा सकता है और इसीलिये यह अधिकार जिला परिषदों को दिये गये हैं। कहीं वे अपने आप उनको संचालित करते हैं और कहीं नीलाम की प्रथा उसके लिये अपनाई जाती है। यद्यपि जनता उनका उपयोग करती है, लेकिन देखा यह गया है कि जो लोग वहां रहते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, जिसकी रोकथाम होना अत्यन्त आवश्यक है। अब हमें देखना है कि अगर उन अधिकारों का दुरुपयोग होता है तो उस डेलीगेशन को वापस लेना चाहिये और सरकार के डायरेक्ट सुपरिविजन में उनको चलाना चाहिये या उसके सदुपयोग के लिये कोई अन्य उपाय सोचा जाना चाहिये। अभी तक हमारा अनुभव है कि इन घाटों को नीलाम कर दिया जाता है और आमदनी चाहे कम हो कम्पीटीटिव रेट्स पर उनको नीलामी में ले लिया जाता है। जिसका नतीजा यह होता है कि बाद में जनता को हैरेस किया जाता है और जबरदस्ती वसूलयाबी के नाजायज तरीके अपनाये जाते हैं। एक दो जगह नहीं ग्राम्य जीवन में ऐसी कोई फेरी नहीं है जहां का अफसर बेजा दाम बढ़ाने में न लगा हुआ हो। वे नाजायज पैसा वसूल करते हैं और गरीबों को हर हालत में शिड्यूल रेट से अधिक देना पड़ता है और वे लोग उसका कोई प्रतिकार भी नहीं कर पाते हैं। इसलिये हमें कहना पड़ता है कि इसकी पूरी पूरी जांच करने का हमें मौका मिलना चाहिये। इसीलिये हमने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा है जो एक सप्ताह के अन्दर ही बिल को अपने प्रतिवेदन के साथ सदन को वापस कर सके।

एक दो बातें मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को भी देखें कि जब सीजनल टाइम आता है, जब बरसात का समय आता है तो बावजूद इसके कि इन फेरीज का इन्तजाम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, जनता से मनमाने ढंग से किराया वसूल किया जाता है। इस काम में सरकारी सर्विस के लोग तथा ठेकेदार दोनों मिल जाते हैं और मनमाने तरीके से पब्लिक को परेशान करते हैं। यहां पर मैं इलाहाबाद कुम्भ मेले का उदाहरण दूं जहां पर पैंटुन ब्रिज बनाया गया जो इतना घातक और डिफेक्टिव था कि उसकी वजह से एक दो नहीं बल्कि १०, २० आदमियों की जानें गयीं और जब उसकी जिम्मेदारी की बात आयी तो किसी ने भी नहीं स्वीकार किया कि इस दुर्घटना के लिये हम जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा मैं थोड़ा-सा अपने जिले की फेरीज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि वहां पर किस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है। फेरीज वाले चाहते हैं कि लोगों से शेड्यूल्ड रेट से जितना भी ज्यादा से ज्यादा वसूल हो सके वसूल किया जाय। अगर कोई आदमी संयोगवश अकेला आ गया और उसके साथ उसके बाल-बच्चे भी हुए तब तो उससे कहीं ज्यादा वसूल करने की कोशिश की जाती है। इस ऐक्ट की एक धारा को मैं पढ़ता हूं जिसमें लिखा हुआ है---

"All arrears due by the lessee of the tolls of a public ferry on account of his lease may be recovered from the lessee or his surety (if any) by the Magistrate of the district in which such ferry is situated as if they were arrears of land revenues."

इस धारा में यह चीज दी हुई है कि अगर कोई एरियर हो तो उसे लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल किया जा सकता है। लेकिन होता यह है कि लोग कम्पीटीटिव स्पिरिट में, मुकाबले के रूप में घाट से जितनी साधारण तौर पर आमदनी होने की आशा होती है उससे ज्यादा पर उसके ठेका ले लेते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि अन्त में वे उसे छोड़ कर भाग जाते हैं। इस तरह से जो घाटा होता है उसकी जिम्मेदारी लोकल बाडीज के ऊपर आती है और उस बाकी रकम को लोकल बाडीज राइट आफ कर देती हैं और इस तरह से पब्लिक के धन का बड़ा नुकसान होता है। इस काम में भी लोकल बाडीज वाले पक्षपात करते हैं। अगर उनका आदमी हुआ तब तो उसे आसानी से राइट आफ कर दिया जाता है और घाटे की जिम्मेदारी लोकल बाडीज को बर्दाश्त करनी पड़ती है। ऐक्ट में साफ लिखा हुआ है कि एरियर्स की वसूलयाबी लैंड रेवेन्यू की तरह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कर सकता है। लेकिन लोकल बाडीज की सर्विस के लोग और ठेकेदार दोनों मिल कर पब्लिक के साथ अपघात करते हैं। आगे लिखा हुआ है---

"State Government may cancel the lease of the tolls of any public ferry."

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं शुरू से ही देख रहा हूं कि आप इर्रेलिवेंट बात कर रहे हैं। अब मैं आपको आगे बोलने की इजाजत नहीं देता।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अगर मेरी बात इर्रेलिवेंट थी तो आपने बीच में एक जगह भी नहीं टोका। मैं अपनी बात को बतला दूं।

श्री अध्यक्ष---मैंने आपको पहले ही टोक दिया था। आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जरगाम हैदर (जिला बहराइच)---अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक इस वक्त सदन के सामने है इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि वह एक बड़ा छोटा सा अमेंडमेंट है। इसमें कोई शुबहा नहीं कि अल्फाज इसके बहुत मुख्तसिर से हैं और सिर्फ इतना सा मामला है कि दो रियासतों के बीच में, यू० पी० और बिहार के बीच में, यू० पी० और देहली के बीच में या पंजाब और यू० पी० के बीच में कोई नदी हो और उस पर पुल या फेरी बनाना हो तो उसके मुताल्लिक जो नोटिफिकेशन इशू होगी उसके बारे में कहा गया है कि वह नोटोफिकेशन सिर्फ उस एरिया के बारे में जारी होगी जिस पर नार्दर्न इंडिया फेरीज एक्ट एप्लाई होता है। इसके मुख्तसिर माने यह हैं कि आप एक नये टैक्सेशन को इसके जरिये से लाना चाहते हैं और आपकी यह कोशिश है कि जो फेरीज इस तरह से बनेंगी दो स्टेट्स के बीच में और उनके मुताल्लिक जो कानूनी दुश्वारियां होंगी उनको आप रफा करना चाहते हैं। अगर एक जगह नोटिफिकेशन होता है और दूसरे सूबे में नहीं होता तो उसमें बहुत सी दुश्वारियां पड़ेंगी। इधर से आप लेंगे उधर दूसरों ने नहीं पार होने दिया। इस तरह की दुश्वारियों

[श्री जरगाम हैदर]

को आप रोकना चाहते हैं। पहले जब कि जमींदारी अबालिशन नहीं हुआ था उस वक्त भी अक्सर नदियों की फेरीज पर इस तरह की दिक्कतें होती थीं, एक तरफ एक ताल्लुकेदार था और दूसरी तरफ दूसरा ताल्लुकेदार था और वह दोनो टैक्स लेना चाहते थे.....

श्री अध्यक्ष---यह आप अपोज कर रहे हैं उनके संशोधन को ?

श्री जरगाम हैदर---जी हां, मेरा कहना यह है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं है, जरा सा मामला है वह यहीं पर इसी वक्त तय होना है तो हो जाय, दो अल्फाज के लिये सेलेक्ट कमेटी में भेजना बेकार होगा। लेकिन यहीं पर उसूली तौर पर मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि इस ऐक्ट के मातहत किसी तरह का टैक्सेशन नहीं होना चाहिये और इसका सबब यह है कि जो दो स्टेट्स के बीच का ट्रेफिक और व्यापार है उसको हमें बढ़ाना चाहिये न कि और हम उस पर टैक्स लगावें और उसे रोकें। इस तरह का उसूलन टैक्सेशन नहीं होना चाहिये क्योंकि जब कभी भी ऐवान में नये टैक्सेशन सरकार की तरफ से लाये जाते हैं तो वह हमेशा इस मुतालबे के साथ पेश किये जाते हैं कि हमें पुल बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, स्कूल कालेज खोलने हैं, अस्पताल बनाने हैं, उस वक्त आप इस तरह की चीजों की दोहाई देते हैं और करोड़ों रुपया हम से मंजूर करा लिया जाता है। जब सड़कों और पुलों के लिये एक दफा रुपया ले लेते हैं तो उन पर और इस तरह का टैक्स लगा कर यह कम्पाउन्ड इन्टरेस्ट क्यों लिया जाता है ? इसलिये इन फेरीज पर किसी तरह का टैक्सेशन न होना चाहिये और वे फ्री होने चाहिये। आपको ध्यान होगा कि पहले पी० डब्लू० डी० के पुलों पर टैक्स नहीं था, लेकिन अब उन पुलों पर भी जिन पर एक लाख से ज्यादा लागत आयेगी टैक्स लगाया जाता है। इसलिये उसूली तौर पर मैं इस संशोधन विधेयक की मुखालफत करता हूं। क्योंकि जहां पर अभी तक टैक्सेशन की सरकार को पावर नहीं है वह पावर आप इसके जरिये से लेना चाहते हैं और सदन के सामने आप इसको इस तरह से रख रहे हैं कि हम सिर्फ २ लफ्ज ही बढ़ा रहे हैं। इन २ अल्फाज के जरिये से आप करोड़ों और लाखों रुपया का टैक्स लगाने का अधिकार ले रहे हैं। इसलिये मैं इस संशोधन विधेयक की मुखालफत करता हूं। जब डेवलपमेंट के नाम पर तमाम टैक्सेशन हो रहा है तो फेरीज चाहे वह जिला परिषद की हों, ग्रामसभा की हों, इन्टरस्टेट फेरीज हों या स्टेट के फेरीज हों कहीं भी टैक्सेशन न किया जाय और फ्री पैसेज एलाट किया जाय और कम्पाउन्ड इन्टरेस्ट इस तरह से चार्ज न किया जाय।

श्री अध्यक्ष (श्री ब्रजनारायण तिवारी से)---आप अपना संशोधन उपस्थित नहीं कर सकते क्योंकि वह बेकार सा है, उसमें आप दो शब्दों के लिये उसे आम लोगों की राय लेने के लिये घुमाना चाहते हैं। आप जनरल आलोचना करना चाहें तो कर सकते हैं।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग ८२ वर्ष के बाद इसमें मुश्किल से चार शब्दों के संशोधन की जरूरत पड़ी। मोतीलाल जी अवस्थी का जो प्रस्ताव है उसके बारे में भी आपने बोलने से रोक दिया है। मैं सरकार का ध्यान केवल इस ओर दिलाना चाहता हूं कि संयोगवश मंत्री जी उसी बिरादरी से सम्बन्धित हैं जिस बिरादरी के लिये इस सदन के सदस्य कई बार कहा करते हैं कि हम उनकी सेवा के लिये ही सब कुछ कर रहे हैं। मुझे पुराने ऐक्ट को भी पढ़ने का मौका मिला। आज से कुछ दिन पहले इसी सदन के सामने उस खास बिरादरी के लोगों ने अनशन भी किया था २४ घंटे का और उनका कहना था कि फैरीज ऐक्ट के द्वारा तमाम घाटों के ऊपर सरकारी आधिपत्य हो गया जिससे प्रदेश में रहने वाली एक बहुत बड़ी जमात की जीविका समाप्त हो गई। जो अब तक बचे हुए थे उन पर भी सरकार की आंख चली गई। इस ऐक्ट के अनुसार सरकार ने उन तमाम साधनों को अपने हाथ में ले रखा है या ठेके पर उठा रखा है। ठेकेदार मनमाने तौर पर लोगों को तंग करते हैं और अधिक वसूल करके सरकार को कम दिया करते हैं। इसका असर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस वर्ग पर बुरा पड़ा है जो नाव खेकर अपनी जीविका चलाया करता था। अतः इसे मंत्री जी वापस ले लें और फिर इस प्रकार का इसमें संशोधन करें ताकि उस वर्ग का भी हित हो जिसने २४ घंटे की एक लाक्षणिक हड़ताल यहां पर की थी और फिर बुनियादी परिवर्तनों के साथ इसे सदन में लाएं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मोतीलाल जी के संशोधन के समर्थन में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी जो मेरे मित्र बोल गये हैं उनसे मैं नाइत्तफाक करता हूं। बेकार तो यह इसलिये हो सकता है उनकी दृष्टि से कि उनकी समझ में इसमें कुछ और विशेष संशोधन होना चाहिए और इसीलिये माननीय मोतीलाल जी ने इसकी परिधि बढ़ाने और सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये कहा। यह ऐक्ट बहुत पुराना है। इसमें जो संशोधन हो रहा है उसके उद्देश्य और कारणों की ओर म ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा है "नार्दर्न इंडिया फैरीज ऐक्ट, १८७८ की धारा ४ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अभिप्राय को स्पष्ट करने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है"। वह अभिप्राय स्पष्ट नहीं था इसलिये यह संशोधन रखा गया है। मुझ एक मामले की जानकारी है। देवरिया जिले में बिहार की सीमा पड़ती है और गन्डक नदी सीमा पर बहती है। वहां पर हमारे यहां का नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट लागू है और दूसरी तरफ बंगाल फेरीज ऐक्ट लागू है। यह प्रश्न संभवतः सरकार के समक्ष भी आया हो। वहां का इन्तजाम किस ऐक्ट के अन्तर्गत हो। नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट के अन्तर्गत या बंगाल फेरीज ऐक्ट के अन्तर्गत जब नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट को लागू करने के लिये वहां अन्तरिम जिला परिषद् ने कदम उठाया तो वहां से सरकार ने अन्तरिम जिला परिषद् और सरकार पर एक मुकदमा चला दिया गया। माननीय मंत्री जी के पास फाइल आई होगी। वह बतावें कि कितना रुपया उसमें अनावश्यक तरीके से खर्च हुआ ?

इसमें लिखा है कि रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट होगा और यह विधेयक २२ मई, १९५० से प्रवलित हुआ समझा जायगा। श्रीमन्, हाईकोर्ट ने बहुत-सी रूलिंग्ज दी हैं और जो विधेयक इस तरह से रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट वाले आये उन्हें वायड डिक्लेयर किया है। संभवतः माननीय मंत्री जी अपनी इर्रेग्युलिरिटी को रेगुलराइज करने के लिये इस ऐक्ट के अन्तर्गत जो हमारा नुकसान हो गया है, जो हम पहले उससे लाभ उठा सकते हैं, इसलिए उन्होंने २२ मई, १९५० तिथि रखी है। यह मेरी शंका है मंत्री जी इसका समाधान करेंगे।

यह आवश्यक है कि दोनों स्टेट्स की इस ऐक्ट के अन्तर्गत विज्ञप्ति होनी चाहिये और तभी हमारी स्टेट को फायदा भी है।

अब परिधि बढ़ाने का जो संशोधन अवस्थी जी ने रखा है वह क्यों रखा है ? इसकी अगर २, ४ धाराओं में और संशोधन हो जाता तो अच्छा होता। इसमें एक धारा है जिसमें लिखा है कि फैरीज ठेकेदार की कहां नाव लगेगी, कहां माल उतारा जायगा और तभी टैक्सेशन होगा। इसमें एक शब्द "लैंडिंग ग्राउन्ड" है। इसका इंटरप्रीटेशन ५२ जिलों के जिलाधीश तरह-तरह से करते हैं, कमिश्नर महोदय अलग तरह से करते हैं। उसमें लिखा हुआ है अगर माल इस पार से उस पार जायगा, यात्री इधर से उधर जायेंगे तो कूपन मिलेगा और उसके जरिये से टैक्स वसूल होगा। लेकिन यह सिस्टम बहुत कम जगह लागू है। बाहर से १०, १२ मील से जो सामान आयेगा और उनके लैंडिंग ग्राउन्ड में उतरेगा तभी टैक्स लगेगा। लेकिन बरहज नगरपालिका के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में झगड़ा हुआ तो कमिश्नर महोदय ने कहा कि जहां नाव लगती है, माल उतारा जाता है, उससे एक मील पूरब और एक मील पश्चिम, दो मील के अन्तर्गत कोई आदमी कहीं से माल लायेगा मगर उसे फेरी पर टैक्स देना पड़ेगा। श्रीमन्, यह अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है और भी बहुत से पुराने कानून हैं। मुझे अफसोस है कि अंग्रेजी की जानकारी यहां लोगों को तरह तरह की है। तो कानून को स्पष्ट होना चाहिये। इसका संशोधन भी अंग्रेजी में होगा जिसका इंटरप्रेटेशन

[श्री उग्रसेन]

कम जानकार लोग ऐसा करते हैं जिससे बड़ा नुकसान होता है। विज्ञप्ति निकालने वाली बात मुझे भी पसन्द है। मगर यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक संशोधन क्यों नहीं किया ?

इसके अलावा इस ऐक्ट में बहुत से ऐसे सेक्शन हैं जिनमें जनता मारी जाती है। लाखों आदमी मांग करते हैं कि घाटों के हम मालिक हैं। मुझे उस डेपुटेशन की बात याद है जो मंत्री जी से मिला इस सिलसिले में और उन्होंने कहा कि मौजूदा ऐक्ट के अधीन दे नहीं सकते और जब संशोधन होगा तब आपकी बात देखी जायगी। लेकिन मंत्री जी ने उन तमाम बातों के बाद विज्ञप्ति निकालने का ही संशोधन किया है, इसका मुझे दुःख है। इसलिये मैं माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारीलाल—मैंने तमाम बातों को सुना, मान्यवर। सदन ने खुद इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना आवश्यक नहीं समझा। इसके अलावा दूसरी चीज को अध्यक्ष महोदय ने खुद ही यहां से हटा दिया। अब तो २, १ विशेष चीजें हैं जो इसमें रखी गई हैं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था यह दो, चार शब्दों का छोटा सा संशोधन है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ इर्रेगुलैरिटीज थीं जिनको रेगुलराइज किया है। यानी फेरीज अमेंडमेंट ऐक्ट में एक कमी थी और उस कमी की पूर्ति ही इन शब्दों के जरिये से की गयी है।

श्री राजनारायण—वह कमी क्या थी ?

श्री गिरधारीलाल—ये अल्फाज नहीं थे। इस तरह से उस कमी को इन शब्दों को वहां रख कर पूरा किया गया। जैसा शुरू में कहा था एक स्टेट में एक कानून है और दूसरी स्टेट में दूसरा कानून है तो हमारी स्टेट के कानून के मुताबिक नोटिफिकेशन करना जरूरी होता है, लेकिन दूसरी स्टेट में भी जब तक वह कानून न हो तब तक हमारा कानून उस जगह लागू नहीं हो सकता और हम नोटिफिकेशन नहीं कर सकते। इसलिये इस अमेंडमेंट का यह मतलब है कि जहां पर यह ऐक्ट लागू हो वहीं पर यह माना जायगा। इतनी सी यह बात थी।

आमदनी के सिलसिले में जो बात कही गयी उसका सीधा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन उजियार घाट के सम्बन्ध में जो बात कही गयी तो जितनी आमदनी सरकार को होती है उतना ही खर्चा भी होता है और जितनी ज्यादा बढ़ जाती है बजाय इसके कि वह रुपया किसी ठेकेदार की जेब में जाय वह रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास जाता है और उन सारे कामों में वह उसे इस्तेमाल करता है। इसलिये इसमें कोई लाभ करने की बात नहीं है। इसको सदन स्वीकार करे और ज्यादा समय खर्च न करे तो अच्छा होगा।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पहली आपत्ति यह है कि इसके उद्देश्य व कारण में लिखा है "नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट, १८७८ की धारा ४ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अभिप्राय को स्पष्ट करने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरः स्थापित किया जा रहा है जिससे कि सार्वजनिक घाटों (Public Ferries) को घोषित करने की संयुक्त विज्ञप्तियां केवल उन्हीं राज्य सरकारों द्वारा जारी की जा सकें जिनमें उक्त ऐक्ट प्रवृत्त हो।" अब श्रीमन्, सरकार की ओर से जो यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है इसके जरिये दो स्टेट्स में एक साथ-साथ नोटिफिकेशन जारी करने के अधिकार को छीना जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—आप जो बात कह रहे हैं उसे उन्होंने नहीं कहा।

श्री राजनारायण—मैं फिर जरा स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस संशोधन के लाने से क्या लाभ होगा।

श्री गिरधारीलाल—जैसा मैंने कहा दो स्टेट्स हैं। अभी तक इस कानून के माफिक यह था कि फेरीज के सिलसिले में पहले नोटिफिकेशन करना जरूरी था। जहां तक अपने प्रदेश की बात थी उसमें कोई शंका नहीं थी, लेकिन जिस वक्त दो स्टेट्स के बीच की बात

आती है जैसे बिहार और अपने प्रदेश की जिसे गंगा नदी अलग करती है तो उस वक्त नोटीफिकेशन की यहां पर तो जरूरत है और इस ऐक्ट के मातहत दोनों को नोटिफिकेशन करना चाहिये, लेकिन वहां पर अगर दूसरा ऐक्ट लागू है तब हम उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वहां पर वे भी नोटिफिकेशन करें। ऐसी हालत में इस अमेंडमेंट के जरिये यह व्यवस्था की गयी है कि आगे जहां पर यह ऐक्ट लागू हो वहीं पर नोटिफिकेशन जारी हो, जहां पर न हो वहां पर नोटिफिकेशन नहीं हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष—यानी बिहार में जहां यह ऐक्ट नहीं है वहां नोटिफिकेशन नहीं कर सकते और आज शायद गलती से करते होंगे, इसलिये झगड़ा पैदा हो जाता होगा।

श्री गिरधारीलाल—नहीं अभी तक नोटिफिकेशन नहीं होता था, लेकिन इसकी मार्फत नोटिफिकेशन होगा।

श्री अध्यक्ष—इसे कबूल करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल—नोटिफिकेशन वहां होने की जरूरत थी, लेकिन वहां के ऐक्ट के मातहत नोटिफिकेशन नहीं होता था।

श्री अध्यक्ष—इसलिये झगड़ा पैदा होता था?

श्री गिरधारीलाल—हां, इसलिये यह दिक्कत होती थी। अब जहां पर यह ऐक्ट एप्लीकेबिल होगा वहीं पर नोटिफिकेशन की जरूरत होगी दूसरी जगह नहीं।

श्री अध्यक्ष—आपके जो अफसर हैं वे आइन्दा जब तक बिहार राजी न हो जाय या बिहार का ऐक्ट आपके मुताबिक न हो तब तक अब नोटिफिकेशन इश्यू नहीं करेंगे। इससे यह क्लियर हो जायगा। नहीं तो कभी-कभी गलती से कर दिया करते थे?

श्री गिरधारीलाल—नोटिफिकेशन जो होगा वह हमारी स्टेट में होगा और वहां के सिलसिले में भी हमारी स्टेट में होगा। जैसे उजरिया घाट है या बार्डर पर कोई ऐसी नदी पड़ती हो जिसमें फेरी हो तो उसमें हमारी ही स्टेट के अन्दर नोटिफिकेशन होगा बशर्ते कि उनकी स्टेट में कोई दूसरा कानून हो।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, ...

श्री अध्यक्ष—जवाब हो चुका, अब मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—वह तो हमारा स्पष्टीकरण किया।

श्री अध्यक्ष—स्पष्टीकरण के लिये मैंने इजाजत दी वैसे उनकी ओर से जवाब हो चुका।

श्री राजनारायण—मैंने तो यह कहा कि स्पष्टीकरण करा कर तब बोलूं। जरा देखा जाय कि यह ऐक्ट कहां-कहां लागू है। इसमें लिखा है—

"This Act may be called 'the Northern India Ferries Act, 1878.' It extends only to U. P., Punjab, the Central Provinces, Assam, Delhi and Ajmer."

[श्री राजनारायण]

बिहार में यह ऐक्ट नहीं है। अब यह संशोधन कहां हो रहा है, जरा इसको देखा जाय। जो चौथा खंड है उसके प्राविजो में यह संशोधन किया जा रहा है—

"The State Government may from time to time declare what ferries shall be deemed public ferries and the respective districts in which for purposes of this Act they shall be deemed to be situate....."

श्री अध्यक्ष—प्राविजो पढ़िये।

श्री राजनारायण—जी हां। उसमें है—

"Provided that when a river lies between two States the powers conferred by this section shall in respect of such river be exercised jointly by the State Government of those States by notifications in their respective official gazettes."

तो मंत्री जी 'two States" और "powers" के बीच में बढ़ाना चाहते हैं "to which this Act applies". यानी इसका मतलब यह हो जायगा कि अगर वह नदी ऐसी दो स्टेट्स के बीच में पड़ती है जिसमें यह ऐक्ट लागू है तो दोनों स्टेट्स नोटिफ़ाई करेंगी। चूंकि बिहार में यह ऐक्ट लागू नहीं है इसलिये अगर बिहार की गवर्नमेंट ज्वाइंटली हमारे साथ नोटिफिकेशन न करे तो न करे। मगर इस संशोधन के जरिये सरकार कहती है कि हम जो अपने यहां नोटिफाई कर देंगे बिहार में पड़ने वाली नदी के बारे में तो वह हमारा फाइनल हो जायगा। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था कि देखा जाय तो बहुत सही कहना है सरकार का कि बड़ा साधु संशोधन है मगर यह बड़ा अनर्थकारी है।

श्री अध्यक्ष—आप एक्सप्लेनेशन चाहते थे तो उन्होंने दे दिया।

श्री राजनारायण—उन्होंने दिया कि हमने किया?

श्री अध्यक्ष—आपने भी किया।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हम अवस्थी जी के संशोधन के समर्थक हैं। यद्यपि पी० एस० पी० के भी दो संशोधन थे.....

श्री अध्यक्ष—वे तो खत्म हो गये।

प्रश्न यह है कि नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो उसके परिधि को भी बढ़ा सके और अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२१।

विपक्ष में —११२।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १ व २

नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९

नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट, १८७८ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करने के लिये

ऐक्ट संख्या १७, १८७८ ।

विधेयक

यह इष्टकर है कि नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट, १८७८ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में आगे दी हुई रीति से और संशोधित किया जाय--

ऐक्ट संख्या १७, १८७८ ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह २२ मई, १९५० में प्रचलित हुआ समझा जायगा।

ऐक्ट संख्या १७, १८७८ की धारा ४ का संशोधन ।

२--उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट, १८७८ की धारा ४ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "two States" और शब्द "the powers" के बीच शब्द "to which this Act applies" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, २, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गिरधारी लाल--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ पारित किया जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमान्, मैं इसका विरोध करता हूं और विरोध करने के हमारे कारण हैं। श्रीमन्, मैं बहुत ही नम्रता के साथ कहना चाहता हूं जैसा कि अभी इस सदन में इस संशोधन विधेयक का स्पष्टीकरण हुआ है उससे अब सदन के सम्मानित सदस्य समझ गये होंगे कि यह महज नन्हा-सा विधेयक नहीं है। इस विधेयक का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इसका खासकर के प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश बिहार को लेकर। उसमें जिला आयेगा वाराणसी, उसमें जिला आयेगा बलिया, उसमें जिला आयेगा गाजीपुर, इधर ले लीजिए देवरिया, ये तमाम जिले हैं। अब अगर सरकार कोई पुल बनाना चाहे या सरकार कोई नाव का घाट बना देना चाहे या और कोई भी रास्ता आवागमन का सरकार बनाना चाहे....

श्री अध्यक्ष--यह बनारस से भी मिला हुआ है ?

श्री राजनारायण--जी हां, कर्मनाशा, वह तो ऐसे स्थान पर मिला है कि क्या कहा जाय ?

श्री अध्यक्ष--वहां से पार जाना मुश्किल है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री जी का क्षेत्र वही है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जरा यह देखा जाय कि यह सदन जब किसी विधेयक में संशोधन करने की इच्छा प्रकट करता है तो ऐसे मौके पर हम क्यों न इस बात को मद्देनजर रखें कि हमारे सामने जो खामियां, कठिनाइयां और दिक्कतें हैं, उन सबका समावेश, सबका हल निकालें। सरकार की ओर से किसी भी स्थल पर इस बात को साफ किया गया होता कि सरकार इससे प्रदेश का क्या हित करेगी, तो हम कुछ समझ सकते। मैं समझ रहा हूं श्रीमन्, कि यह एक अनावश्यक विधेयक संशोधित रूप में भी हो जायगा क्योंकि प्रदेश का कोई हित इससे होने वाला नहीं है। बिहार को फायदा हो सकता है जैसा कि अब मैं आपको बताऊं हमने भी उसका फायदा उठाया है, इसलिये मैं कह दूं। हमारे यहां वाराणसी में दुलहीपुर में साहू फैक्टरी बन गई। अब भी वहां से ऐसा पानी बहता है जो कि तमाम फसल को खराब कर देता है। सरकार से बिनती की गई कोई फायदा नहीं हुआ। अब वहां की न्याय पंचायत में वहां के किसानों के पांच पांच सौ और एक एक हजार का दावा करना शुरू कर दिया और न्याय पंचायत ने डिग्री करना शुरू कर दिया। तो अब वहां चिल्लाहट मची हुई है। तो जो सीमा बिहार की है अगर वहां की सरकार या वहां की लोकल अथारिटी चाहे तो अपने क्षेत्र में वहां आने-जाने वालों को लेकर के ....

श्री अध्यक्ष---आप कितना समय और लेंगे।

श्री राजनारायण---बहुत थोड़ा। ज्यादा नहीं। वही जो आपको अधिकार है, १५ मिनट बढ़ाने का उसी के अन्दर खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष---तो मैं १५ मिनट समय बढ़ाता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह---(जिला जालौन) उसके बाद हम भी बोलेंगे।

श्री राजनारायण---अब और लोग बोलें तो मैं नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष---तो ठीक है। और लोग बोलेंगे तो अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१० फरवरी, १९६० ई०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पष्ठ ७५५ पर)

Copy of telegram dated October 26, 1959, *from* NAVINCHANDRA KHANNA *of Kanpur to Election Commission, Local Bodies Election. Lucknow*

LOCK OF BALLOT BOX OF BOOTH NO FOUR WARD SIX KANPUR FOUND BROKEN COVERS OF BALLOT BOXES OF BOOTH NUMBER TWO AND THREE FOUND REMOVED ALL THE THREE BOXES TAMPERED WITH OFFICERS INFORMED COUNTING NOT STOPPED INTERVENE.

संसद ग्रंथालय विधान सभा

पी० एस०यू० पी०—ए० पी० २८१ एल० ए०—१९६०—८४५।

विधान सभा
उत्तर प्रदेश